स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अक्तूबर, 2021

I.S.S.N. : 2457-0486

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

**प्रधान संपादक (प्रभारी)**

श्री कमला कान्त

**संपादक**

श्री कमला कान्त
श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

**सहायक संपादक**

श्री पुण्डरीक शर्मा

**उप-संपादक**

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

---

**ISSN-2457-0486**

**कीमत : डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

**© 2021 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

---

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर, 2021 अंक - 10

**प्रधान संपादक (प्रभारी)**

**श्री कमला कान्त**

**सहायक संपादक**

**पुंडरीक शर्मा**

विधि साहित्य
प्रकाशन

**(2021) 2 दा. नि. प.**

## विधि साहित्य प्रकाशन

**विधायी विभाग**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**Online selling of law Patrikas/Books is available on**

**Website** → **https://bharatkosh.gov.in/product/product**

---

**विक्रय कार्यालय** : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

# संपादकीय

क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन सेशन न्यायालय से जमानत संबंधी उपचार का फायदा प्राप्त किए बिना सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **हरे राम शर्मा** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** (2021) 2 दा. नि. प. 473 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के पास अग्रिम जमानत से संबंधित समवर्ती अधिकारिता है किन्तु अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदन सीधे उच्च न्यायालय में केवल उस समय फाइल किया जा सकता है जब आपवादिक, दुर्लभ या अप्रायिक कारण अथवा परिस्थितियां विद्यमान हों ।

क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सुदृढ़ परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्वयं में दोषसिद्धि का आधार बनने हेतु पर्याप्त है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **इमामुल हक** बनाम **असम राज्य** (2021) 2 दा. नि. प. 450 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई अपराध घर के भीतर किया जाता है तो घर के सह-निवासियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह इस संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं कि उनकी उपस्थिति में अपराध किस प्रकार कारित किया गया । वर्तमान मामले में प्रमुख अभियुक्त/पति उक्त प्रभाव का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहा है । अतः, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त पति की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश सर्वथा उचित प्रतीत होते हैं ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन चैक के अनादर संबंधी किसी परिवाद में यदि परिवादी अपनी आय के उस स्रोत को दर्शित करने में असफल रहता है जिससे उसने अभियुक्त को अभिकथित रूप से ऋण उपलब्ध कराया था तो क्या ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार

करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **आशिक हुसैन** बनाम **कमाल** (2021) 2 दा. नि. प. 572 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि अभिकथित चैक पर मौजूद हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हैं और प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त के पुत्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके पिता ने परिवादी से ऋण प्राप्त किया था । इस प्रकार, अभियुक्त इस उपधारणा को नकारने में असफल रहा है कि उस पर किसी प्रकार का ऋण या दायित्व विद्यमान नहीं है । अतः, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निचले न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि उपयुक्त प्रतीत होती है ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

**पुंडरीक शर्मा**
सहायक संपादक

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर, 2021

## निर्णय-सूची


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| अब्दुल मनन **बनाम** त्रिपुरा राज्य | 495 |
| आशिक हुसैन **बनाम** कमाल | 572 |
| इमामुल हक **बनाम** असम राज्य | 450 |
| पवन कुमार महतो **उर्फ** पवन कुमार सिंह **बनाम** बिहार राज्य | 527 |
| बिस्वाजीत घोष **बनाम** त्रिपुरा राज्य | 508 |
| महाराष्ट्र राज्य **बनाम** सीताबाई रामभाऊ निगाडे और अन्य | 544 |
| वी. एच. सुरेश **बनाम** केरल राज्य | 437 |
| हरे राम शर्मा **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य | 473 |


## संसद् के अधिनियम


| | |
|---|---|
| प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ | 1– 17 |

**विषय-सूची**

**पृष्ठ संख्या**

## केरल आबकारी अधिनियम, 1977 (1977 का 1)

– धारा 8(1) और (2) – अभिकथित रूप से उत्पाद शुल्क पदधारियों द्वारा अपनी पैट्रोल ड्यूटी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से छह लीटर ताड़ी बरामद किया जाना जिसके आधार पर उसके विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आपराधिक मामला दर्ज किया गया – अभियोजन पक्षकथन के अनुसार घटना के समय अभियुक्त विनिषिद्ध पदार्थ के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और उत्पाद शुल्क पदधारियों के दल को देखकर वह विनिषिद्ध पदार्थ को वहीं छोड़कर घटनास्थल से भाग गया – उत्पाद शुल्क पदधारियों ने मिलकर उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिवाक् किया जाना कि विनिषिद्ध पदार्थ का पता लगाने या बरामदगी या अभिग्रहण की प्रक्रिया में किसी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया – यद्यपि, अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना किन्तु उक्त साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना – तथापि, शासकीय साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से पर्याप्त रूप से यह तथ्य स्पष्ट हो जाना कि अभियुक्त उत्पाद शुल्क पदधारियों के दल को देखकर घटनास्थल से भाग गया था और उसे गिरफ्तार करने के पश्चात् उत्पाद शुल्क पदधारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना से अगले ही दिन विनिषिद्ध पदार्थ तथा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा ऐसे किसी भी तथ्य/बात को न्यायालय

**पृष्ठ संख्या**

के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहना जिससे शासकीय साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो सके – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर पुन: विचार करने के पश्चात् अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित प्रतीत होती है, यद्यपि उक्त घटना वर्ष 2005 में लगभग 15 वर्ष पूर्व घटित हुई थी किन्तु संस्थागत कमियों के कारण मामले का विचारण समय पर पूरा नहीं हो सका, इसके अतिरिक्त अभियुक्त की कोई अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि भी विद्यमान नहीं है, अत: उक्त परिस्थितियों में उसके विरुद्ध आरोपित 4 वर्ष के साधारण कारावास के दंडादेश को कम करके छह मास करने से न्याय का प्रयोजन सिद्ध होगा ।

**वी. एच. सुरेश** बनाम **केरल राज्य** 437

## दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 438 – अग्रिम जमानत – अभियुक्त द्वारा उक्त धारा के अधीन अग्रिम जमानत हेतु आवेदन सेशन न्यायालय से जमानत संबंधी उपचार का फायदा प्राप्त किए बिना सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक पर विचार किया जाना कि क्या इस प्रकार का आवेदन सर्वप्रथम सेशन न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए और उसके पश्चात् ही उच्च न्यायालय से संपर्क किया जाना चाहिए – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के पास अग्रिम जमानत से संबंधित समवर्ती अधिकारिता है किन्तु अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदन सीधे उच्च

**पृष्ठ संख्या**

न्यायालय में केवल उस समय फाइल किया जा सकता है जब आपवादिक, दुलर्भ या अप्रायिक कारण अथवा परिस्थितियां विद्यमान हों ।

**हरे राम शर्मा** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 473

## दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 107, 108, 498क, 306 और 34 – अभियुक्तों, जो मृतका के पति के नातेदार हैं, के विरुद्ध क्रूरता और आत्महत्या हेतु उकसाकर उसका दुष्प्रेरण करने का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से अभियुक्तों के विरुद्ध यह अभिकथन किया जाना कि चूंकि विवाह के दो वर्ष के पश्चात् भी मृतका गर्भधारण नहीं कर सकी थी इसलिए वे उसके विरुद्ध अत्याचार करते थे और उनका आचरण इस प्रकार था कि जिसके कारण मृतका ने तंग आकर एक जलाशय में कूदकर आत्महत्या कर ली – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त मृतका को बांझ कहकर चिढ़ाते थे और वे उसे भरपेट खाना भी नहीं देते थे और प्रत्येक छिटपुट बात पर उससे झगड़ा करके उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे – एक अभियोजन साक्षी द्वारा यह भी कथन किया जाना कि मृतका के पति के चचरे भाई ने मृतका के साथ बलात्संग करने के पश्चात् उसकी हत्या की है – यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध बलात्संग और हत्या का मामला न बनाया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस प्रतिरक्षा का अवलंब लिया जाना कि मृतका का पति अपने कार्य के कारण वर्ष में केवल दो या तीन बार गांव आता था और इसलिए मृतका अवसादग्रस्त थी जिसके कारण उसने

**पृष्ठ संख्या**

आत्महत्या की और उक्त प्रतिरक्षा को साबित करने हेतु डाक्टर के माध्यम से यह सुझाव दिया जाना कि यदि कोई व्यक्ति लैंगिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो वह अवसादग्रस्त हो सकता है और अवसाद अत्यधिक बढ़ने पर तथा लंबे समय तक बने रहने पर वह आत्महत्या भी कर सकता है – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत कथनों में सारवान् विसंगतियों और विरोधाभासों का मौजूद होना – उनके द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए कथनों और न्यायालय के समक्ष किए गए कथनों में सारवान् रूप से अंतर होना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण किए जाने के अपराध के अनिवार्य घटकों को स्थापित करने में असफल रहा है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषमुक्ति सर्वथा उपयुक्त है और उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

**महाराष्ट्र राज्य** बनाम **सीताबाई रामभाऊ निगाडे और अन्य** 544

– धारा 302 और धारा 34 – पति और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों पर मृतका की हत्या करने का आरोप लगाया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित करने हेतु मृतका की बहन को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाना – इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध सुदृढ़ परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस प्रभाव की प्रतिरक्षा लिया जाना कि मृतका के किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध थे

**पृष्ठ संख्या**

और रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसके द्वारा आत्महत्या किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा उसके पूर्वतन कथनों में अनेक प्रकार की विसंगतियों का पाया जाना – उक्त विसंगतियों के आधार पर उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सुदृढ़ परिस्थितिजन्य साक्ष्य का स्वयं में दोषसिद्धि का आधार बनने हेतु पर्याप्त होना – इसके अतिरिक्त विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई अपराध घर के भीतर किया जाता है तो घर के सह-निवासियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह इस संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं कि उनकी उपस्थिति में अपराध किस प्रकार कारित किया गया – वर्तमान मामले में प्रमुख अभियुक्त/पति द्वारा उक्त प्रभाव का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि अभियुक्त पति की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश सर्वथा उचित है, जबकि अन्य अभियुक्तों/ अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने की दायी है ।

**इमामुल हक** बनाम **असम राज्य** 450

– धारा 304क, 279 और 338 [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184] – सड़क पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो जाने के कारण मोटरसाइकिलों के चालकों और एक मोटर-साइकिल की पिछली सीट पर सवार व्यक्ति का आहत

**पृष्ठ संख्या**

होना – इस प्रकार सड़क दुर्घटना में आई क्षतियों के कारण एक मोटरसाइकिल चालक की अस्पताल में मृत्यु हो जाना – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने अत्यंत तीव्र गति और उतावलेपन से मोटर-साइकिल का चालन करते हुए दूसरी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और इस प्रकार दूसरी मोटरसाइकिल के चालक की मृत्यु कारित की जो मानववध की कोटि में नहीं आती है – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त अत्यंत तीव्र गति से मोटर-साइकिल चला रहा था और वह उक्त दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था – वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा सड़क की चौड़ाई, दुर्घटना में संलिप्त यानों की सड़क पर स्थिति, सारवान् स्थान पर यातायात का घनत्व जैसे अनेक सुसंगत तथ्यों को अभिनिश्चित किए जाने के लिए समुचित अन्वेषण करने में असफल रहना जिसके कारण यह सुनिश्चित करना सुगम नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती के कारण घटित हुई और उसके लिए कौन-सा चालक वस्तुत: जिम्मेदार था – अभियुक्त को केवल इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना हेतु दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह अपनी मोटर-साइकिल का चालन तीव्र गति से कर रहा था – इस प्रकार अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्वक अपने यान का चालन कर रहा था जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई और जिसके परिणामस्वरूप दूसरी मोटरसाइकिल के चालक की मृत्यु हो गई, अत: अभियुक्त दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।

**पृष्ठ संख्या**

– धारा 366क और 376 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3] – अभियुक्त पर बलात्संग का आरोप लगाया जाना – मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब होना जिसके संबंध में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की सही आयु साबित करने में असफल रहना जिससे यह तथ्य साबित न होना पाना कि अभियोक्त्री अभिकथित अपराध के समय विधिमान्य सहमति देने हेतु असमर्थ थी – अभियोक्त्री द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के माध्यम से यह आरोप लगाया जाना कि जब वह 16 वर्ष की थी तो उस समय वह शौच करने हेतु अपने घर से निकली और उसी समय अभियुक्त और सह-अभियुक्त ने बलपूर्वक उसके मुख को दबाकर अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और उसके पश्चात् उन्होंने उसे एक समीप स्थित महाविद्यालय में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया – अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में अनेक प्रकार की विसंगतियां विद्यमान होना – इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री का आचरण भी संदेहास्पद होना, जो इस तथ्य से दर्शित होता है कि वह बलात्संग के तुरंत पश्चात् अभियुक्तों के साथ रेलवे स्टेशन गई और वहां बिना कोई विरोध दर्शित किए या चीख-पुकार मचाए बिना उनके साथ रेल में सवार हो गई और जब अभियुक्त उसे रेलगाड़ी में छोड़कर वहां से फरार हो गए तो वह किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ, उसके द्वारा विवाह का आश्वासन दिए जाने पर गुजरात चली गई – मामले के उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह

**पृष्ठ संख्या**

प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है, अतः, उसकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।

**पवन कुमार महतो** उर्फ **पवन कुमार सिंह** बनाम **बिहार राज्य** 527

## परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 138 – चैक का अनादर – परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उसने अभियुक्त को 3.0 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया था, जिसका प्रतिसंदाय करने हेतु अभियुक्त द्वारा उसे उक्त रकम का एक चैक जारी किया गया जिसे बैंक खाते में प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त के खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण अनादर कर दिया गया – अभियुक्त द्वारा परिवादी के उक्त दावे से इनकार किया जाना और अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिकथन करना कि उसने परिवादी से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया था – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा यह प्रतिरक्षा लिया जाना कि कुछ समय पूर्व उसकी चैक बुक, मोबाइल और कतिपय अन्य वस्तुएं खो गई थीं जिसके संबंध में उसने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई थी और उक्त चैक बुक में से चैक का उपयोग करके परिवादी ने उसे मिथ्या रूप से वर्तमान मामले में फंसाया है – इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह तर्क दिया जाना कि परिवादी अपनी आय के उस स्रोत को दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसने अभियुक्त को अभिकथित रूप से

**पृष्ठ संख्या**

ऋण उपलब्ध कराया था – इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि अभिकथित चैक पर मौजूद हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हैं – प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त के पुत्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके पिता ने परिवादी से ऋण प्राप्त किया था – इस प्रकार, अभियुक्त इस उपधारणा को नकारने में असफल रहा है कि उस पर किसी प्रकार का ऋण या दायित्व विद्यमान नहीं है – मामले की सभी परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए निचले न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि उपयुक्त प्रतीत होती है और इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है, यद्यपि, अभियुक्त की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उसके कारावास की अवधि में कमी की जाती है ।

**आशिक हुसैन** बनाम **कमाल** 572

**वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)**

– धारा 42 [सपठित त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952, नियम 13] – अभियोजन पक्ष द्वारा याची के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि वह अप्राधिकृत रूप से सागवान वृक्ष के 23 अचिह्नित कटे हुए तनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिवहन कर रहा था – अभियुक्त/याची द्वारा अपने इस अपराध की स्वीकारोक्ति किया जाना कि वह वन उत्पाद की उदयपुर से बांग्लादेश को तस्करी करने के कार्य में संलिप्त था – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में संगत, पुष्टिकारक और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – अभियुक्त द्वारा अपने कब्जे में

**पृष्ठ संख्या**

मौजूद वन उत्पाद के औचित्य को स्थापित करने में असफल रहना – याची द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी प्रकार की सारवान् सामग्री को अभिलेख पर प्रस्तुत करने में असफल रहना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में लेते हुए याची की दोषसिद्धि सर्वथा उचित प्रतीत होती है और अपील न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

**अब्दुल मनन** बनाम **त्रिपुरा राज्य** 495

**वी. एच. सुरेश**

बनाम

**केरल राज्य**

(2011 की दांडिक अपील सं. 952)

तारीख 8 मार्च, 2021

**न्यायमूर्ति के. हरिपाल**

**केरल आबकारी अधिनियम, 1977 (1977 का 1) – धारा 8(1) और (2) – अभिकथित रूप से उत्पाद शुल्क पदधारियों द्वारा अपनी पैट्रोल ड्यूटी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से छह लीटर ताड़ी बरामद किया जाना जिसके आधार पर उसके विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आपराधिक मामला दर्ज किया गया – अभियोजन पक्षकथन के अनुसार घटना के समय अभियुक्त विनिषिद्ध पदार्थ के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और उत्पाद शुल्क पदधारियों के दल को देखकर वह विनिषिद्ध पदार्थ को वहीं छोड़कर घटनास्थल से भाग गया – उत्पाद शुल्क पदधारियों ने मिलकर उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिवाक् किया जाना कि विनिषिद्ध पदार्थ का पता लगाने या बरामदगी या अभिग्रहण की प्रक्रिया में किसी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया – यद्यपि, अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना किन्तु उक्त साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना – तथापि, शासकीय साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से पर्याप्त रूप से यह तथ्य स्पष्ट हो जाना कि अभियुक्त उत्पाद शुल्क पदधारियों के दल को देखकर घटनास्थल से भाग गया था और उसे गिरफ्तार करने के पश्चात् उत्पाद शुल्क पदधारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना से अगले**

**ही दिन विनिषिद्ध पदार्थ तथा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा ऐसे किसी भी तथ्य/बात को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहना जिससे शासकीय साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो सके – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर पुन: विचार करने के पश्चात् अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित प्रतीत होती है, यद्यपि उक्त घटना वर्ष 2005 में लगभग 15 वर्ष पूर्व घटित हुई थी किन्तु संस्थागत कमियों के कारण मामले का विचारण समय पर पूरा नहीं हो सका, इसके अतिरिक्त अभियुक्त की कोई अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि भी विद्यमान नहीं है, अत: उक्त परिस्थितियों में उसके विरुद्ध आरोपित 4 वर्ष के साधारण कारावास के दंडादेश को कम करके छह मास करने से न्याय का प्रयोजन सिद्ध होगा ।**

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 11 जुलाई, 2005 को सायं लगभग 5.45 बजे, निवारक अधिकारी, उत्पाद शुल्क प्रवर्तन और स्वापक रोधी विशेष स्क्वाड, वायनाड और दल जिस समय अपनी रूटीन पैट्रोल ड्यूटी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने यह पाया कि अपीलार्थी पोन्नकम धान भूमि क्षेत्र पर वेंडोल से नम्बीअरकुन्नु जाने वाले मार्ग पर सुल्तान बाथरी ताल्लुक में स्थित चीराल ग्राम में एक कैन, जिसकी क्षमता 10 लीटर की थी, में 6 लीटर ताड़ी को अपने कब्जे में रखे हुए था । उसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया, स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में तैयार किए गए एक महाजर के अधीन विनिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण किया गया तथा इस संबंध में सारवान् कागज-पत्रों को उत्पाद शुल्क रेंज के कार्यालय को सौंपा गया और उसके पश्चात् उक्त अपराध को रजिस्टर किया गया । अभियुक्त को अगले दिन विनिषिद्ध पदार्थ के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अन्वेषण प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात् न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सुल्तान बाथरी के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आबकारी अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अधीन सी. पी. सं. 93/2006 के रूप में मामले को फाइल

पर स्वीकार किया गया । प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय, कलपेट्टा को सौंप दिया गया जहां उक्त मामले का विचारण अपर सेशन न्यायालय (तदर्थ) I, कलपेट्टा के समक्ष आरंभ किया गया । दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् अपर सेशन न्यायाधीश ने आबकारी अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अधीन अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए । दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा किए गए निर्दोष होने के अभिवाक् को नकाराते हुए उसे उक्त अपराध का दोषी पाया और उस पर दंडादेश अधिरोपित किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन फाइल की गई वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री को विचार में लेने तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात् अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अभियोजन के पक्षकथन की विश्वसनीयता मुख्यत: अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, जो क्रमश: ताड़ी का पता लगाने वाला अधिकारी तथा उत्पाद शुल्क गार्ड है और वे दोनों एक साथ घटनास्थल पर उपस्थित थे । विद्वान् सेशन न्यायाधीश मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नितांत रूप से अनुपस्थित है जिसके आधार पर उक्त साक्षियों के कथन पर संदेह किया जा सके । वस्तुत:, उक्त दोनों साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य अभियोजन के पक्षकथन को ठोस आधार प्रदान करता है । यद्यपि, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल उक्त दोनों साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के प्रति शंका रखते हैं किन्तु वे ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने में असफल रहे जिसके आधार पर उनके कथन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सके । उक्त दोनों साक्षियों ने अपने शासकीय कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में उक्त आपराधिक घटना को देखा है ।

पूर्ण विचारण के दौरान किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई अभिकथन नहीं किया कि वे अपीलार्थी से पूर्व परिचित थे और इस कारण से उनके द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध वर्तमान गंभीर आपराधिक मामला मिथ्या रूप से तैयार किए जाने का कोई हेतुक प्रतीत नहीं होता है । निस्संदेह रूप से स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन के एक भाग का समर्थन नहीं किया है जिससे यह उपदर्शित होता है कि उत्पाद शुल्क दल को देखकर अपीलार्थी सड़क के किनारे विनिषिद्ध पदार्थ को छोड़कर घटनास्थल से भाग गया था । किन्तु उच्च न्यायालय के मतानुसार विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश को अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य के संबंध में सारवान् पहलुओं का अवलंब लेने में कोई दोष प्रतीत नहीं हुआ होगा । द्वितीयतः, एक साथ तैयार किए गए दस्तावेजों, जैसे कि प्रदर्श पी-5 अभिग्रहण महाजर और प्रदर्श पी-6 गिरफ्तारी ज्ञापन को अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य के साथ रखकर उन पर एक साथ विचार करना होगा । यद्यपि, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया फिर भी उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करके कि सारवान् दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर विद्यमान हैं, आंशिक रूप से अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का समर्थन किया है । उनके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के उस भाग से स्पष्ट रूप से यह सुझाव प्राप्त होता है कि वे दस्तावेज उत्पाद शुल्क पदधारियों द्वारा एक साथ तैयार किए गए थे । अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों, जिसके अंतर्गत साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य भी हैं, की ध्यानपूर्वक समीक्षा करने पर इस न्यायालय को यह कठिन प्रतीत होता है कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7, जो शासकीय साक्षी हैं, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को परित्यक्त किया जाए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को दर्शित किया है कि अपीलार्थी उत्पाद शुल्क पदधारियों को देखने के पश्चात् उसके कब्जे में मौजूद वस्तु को सड़क पर छोड़कर घटनास्थल से भाग गया । वस्तुतः, उनके साक्ष्य से अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाने के मत को बल प्राप्त होता है । वस्तुओं

को घटनास्थल पर ही अभिगृहीत किया गया था और उसके पश्चात् उसे यथासंभव शीघ्र अवसर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सारवान् वस्तुओं को घटना से अगले दिन अग्रेषण टिप्पण के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि उत्पाद शुल्क पदधारियों ने वर्तमान मामले में तुरंत कार्रवाई की है । विनिषिद्ध पदार्थ की रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट से यह सुझाव प्राप्त होता है कि उक्त वस्तु में परिमाण में 24.02 प्रतिशत इथायल अल्कोहल विद्यमान है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वस्तुत ताड़ी है और उसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप विरचित किए गए । अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर पुन: विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायलय के इस निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है कि अपीलार्थी आबकारी अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन अपराध के लिए दोषी है जो आबकारी अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन दंडनीय है । उसे सही रूप से उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है अत:, उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । जहां तक दंडादेश का संबंध है, जैसा कि विद्वान् काउंसेल द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त घटना वर्ष 2005 में घटित हुई थी और संस्थागत कमियों/दोषों के कारण इस मामले का निपटारा 15 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात् किया जा सका । उस समय अपीलार्थी की आयु केवल 24 वर्ष थी । उक्त अपराध के अलावा अपीलार्थी की किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला है । इन पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पर अधिरोपित 4 वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश थोड़ा अधिक है । इसमे उपांतरण किया जाना अपेक्षित है । यह प्रतीत होता है कि केवल छह मास का साधारण कारावास न्याय के हितों की पूर्ति करने में सक्षम होगा । जुर्माना अधिरोपित करने वाला दंडादेश का भाग कानूनी रूप से न्यूनतम है और इसलिए दंडादेश के उस भाग तथा व्यतिक्रम दंडादेश के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया जाता है । उपरोक्त उपांतरणों के अधीन रहते हुए

अपील खारिज की जाती है । (पैरा 11, 12, 13, 14 और 15)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 952.**

वर्तमान दांडिक अपील सेशन प्रभाग, कलपेट्टा द्वारा वर्ष 2006 के सेशन मामला सं. 386 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

**अपीलार्थी की ओर** सर्वश्री ए. वी. जेम्स, एम. जे. अब्राहम और पी. दलबी इमैनुअल

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री एम. एस. ब्रीज, वरिष्ठ लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति के. हरिपाल** – वर्तमान दांडिक अपील सेशन प्रभाग, कलपेट्टा द्वारा वर्ष 2006 के सेशन मामला सं. 386 में केरल आबकारी अधिनियम, 1977 (1977 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'आबकारी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8(1) और (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए अभियुक्त द्वारा फाइल की गई है । उक्त दोषसिद्धि के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध 4 वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश पारित किया गया और साथ ही उस पर 1,00,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया था जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । यह मामला उत्पाद शुल्क निरीक्षक, सुल्तान बाथरी द्वारा बाथरी उत्पाद शुल्क रेंज के अपराध मामला सं. 46/2005 में प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आरंभ किया गया था ।

2. स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 11 जुलाई, 2005 को सायं लगभग 5.45 बजे, निवारक अधिकारी, उत्पाद शुल्क प्रवर्तन और स्वापक रोधी विशेष स्क्वाड, वायनाड और दल जिस समय अपनी रूटीन पैट्रोल ड्यूटी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने यह पाया कि अपीलार्थी पोन्नकम धान भूमि क्षेत्र पर वेंडोल से नम्बीअरकुन्नु जाने वाले मार्ग पर सुल्तान बाथरी ताल्लुक में स्थित चीराल ग्राम में एक कैन, जिसकी क्षमता 10 लीटर की थी, में 6 लीटर ताड़ी को अपने

कब्जे में रखे हुए था । उसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया, स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में तैयार किए गए एक महाजर के अधीन विनिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण किया गया तथा इस संबंध में सारवान् कागज-पत्रों को उत्पाद शुल्क रेंज के कार्यालय को सौंपा गया और उसके पश्चात् उक्त अपराध को रजिस्टर किया गया । अभियुक्त को अगले दिन विनिषिद्ध पदार्थ के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अन्वेषण प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात् न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सुल्तान बाथरी के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आबकारी अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अधीन सी. पी. सं. 93/2006 के रूप में मामले को फाइल पर स्वीकार किया गया । प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय, कलपेट्टा को सौंप दिया गया जहां उक्त मामले का विचारण अपर सेशन न्यायालय (तदर्थ) I, कलपेट्टा के समक्ष आरंभ किया गया ।

3. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् अपर सेशन न्यायाधीश ने आबकारी अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अधीन अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए, जिन्हें मलयालम भाषा में पढ़कर अपीलार्थी को सुनाया गया और उन आरोपों को स्पष्ट किया गया, जिनके संबंध में अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया । उस समय अपीलार्थी जमानत पर था । उसकी प्रतिरक्षा उसके द्वारा चुने गए काउंसेल द्वारा की गई ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 7 का मौखिक परिसाक्ष्य और साथ ही प्रदर्श पी-1 से पी-7 के रूप मे चिह्नित दस्तावेजी साक्ष्यों को भी अभिलेख पर रखा गया । सारवान् वस्तुओं की पहचान की गई और उन्हें एम. ओ. 1 और एम. ओ. 2 के रूप में चिह्नित किया गया । साक्ष्य संबंधी प्रक्रियाएं समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313(1)(ख) के अधीन परीक्षा की गई और उक्त परीक्षा के दौरान अपीलार्थी ने उसे अपराध में फंसाने

वाली सभी सामग्रियों के संबंध में इनकार किया तथा इस बात को दोहराया कि वह निर्दोष है । चूंकि उक्त मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के अधीन दोषमुक्ति के लिए उपयुक्त मामला नहीं था इसलिए अपीलार्थी से यह आग्रह किया गया कि वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करे । तथापि, अपीलार्थी द्वारा उसकी प्रतिरक्षा में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा किए गए निर्दोष होने के अभिवाक् को नकाराते हुए उसे उक्त अपराध का दोषी पाया और ऊपर कथित किए गए अनुसार उस पर दंडादेश अधिरोपित किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन फाइल की गई वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

5. मैंने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल और साथ ही विद्वान् वरिष्ठ लोक अभियोजक को सुना । विचारण न्यायालय के अभिलेखों को भी सत्यापित किया गया ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने अनुचित रूप से अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7, उत्पाद शुल्क पदधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य का अवलंब लिया है ; अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 जो स्वतंत्र साक्षी हैं, के मौखिक परिसाक्ष्य से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि वे अपीलार्थी के कब्जे में विनिषिद्ध पदार्थ होने संबंधी तथ्य के प्रकट होने या उसकी बरामदगी के साक्षी नहीं थे, उन्हें महाजर तैयार किए जाने के समय घटनास्थल पर बुलाया गया था और इसलिए इस संबंध में कानूनी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभिकथित घटनास्थल एक ऐसा स्थान है जहां दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक का खुला स्थान मौजूद है । यदि यह वास्तविक मामला होता तो अपीलार्थी के लिए 200 मीटर की दूरी से विभाग के यान को देखने के पश्चात् घटनास्थल से फरार होना कठिन नहीं था । किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपीलार्थी के कब्जे में मौजूद किसी विनिषिद्ध पदार्थ को नहीं

देखा और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी ने यह देखा कि अपीलार्थी विनिषिद्ध पदार्थ को छोड़कर घटनास्थल से भागा था । अतः, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 के मौखिक साक्ष्य, जिसकी कहीं भी अभिपुष्टि नहीं हो सकी है, के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता है । विद्वान् काउंसेल को यह तथ्य भी प्राकृतिक प्रतीत नहीं हुआ कि विनिषिद्ध पदार्थ की मौजूदगी के अभिकथित रूप से प्रकटन के पश्चात् उत्पाद शुल्क पदधारी समीप स्थित उत्पाद शुल्क कार्यालय, सुल्तान बाथरी को छोड़कर दूर-दराज स्थित मीनानगढ़ी गए जिससे केवल यह तथ्य उपदर्शित होता है कि प्रदर्श पी-5 के रूप में चिह्नित महाजर और संबद्ध दस्तावेज अभिकथित घटनास्थल पर घटना के तुरंत पश्चात् तैयार नहीं किए गए थे अपितु उन्हें मीनानगढ़ी स्थित कार्यालय में तैयार किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस को समाप्त किया कि वर्तमान मामले में मिथ्या साक्ष्य को तैयार करके अपीलार्थी को किसी परित्यक्त विनिषिद्ध पदार्थ की सहायता से मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभियोजन पक्ष विनिषिद्ध पदार्थ और अपीलार्थी के बीच संबंध को स्थापित करने में असफल रहा है और इसलिए अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी अभिवाक् किया कि वैकल्पिक रूप से न्यायालय को दयालु मत अपनाना चाहिए क्योंकि उक्त घटना 15 वर्ष पहले तारीख 11 जुलाई, 2005 को घटित हुई थी ।

7. दूसरी ओर, विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश का समर्थन किया है ।

8. अभि. सा. 6 वह अधिकारी है जिसने विनिषिद्ध पदार्थ का पता लगाया । वह एक निवारक अधिकारी है जो उत्पाद शुल्क प्रवर्तन और स्वापक रोधी विशेष स्क्वाड से जुड़ा है । उसने आरोप के समर्थन में न्यायालय के समक्ष अपना कथन प्रस्तुत किया है । उसके अनुसार घटना के दिन वह स्वयं और उसका दल रुटीन पैट्रोल ड्यूटी पर थे और उस समय जब वे उक्त मार्ग से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो सड़क के किनारे पुल के समीप उनसे लगभग 30

मीटर की दूरी पर खड़ा था जिसके पास एक लगभग 10 लीटर की क्षमता वाला जैरी केन था । शासकीय यान को देखकर वह व्यक्ति अपने कब्जे वाले जैरी केन को वहीं छोड़कर पूर्व दिशा की ओर धान की भूमि की ओर भागा । उसके पश्चात् उसने उत्पाद शुल्क गार्ड, अनिल कुमार को विनिषिद्ध पदार्थ की रक्षा की ड्यूटी पर लगाया और उसके दल के शेष सदस्यों ने उस व्यक्ति का पीछा किया और उन्होंने उसे 50 मीटर की दूरी के भीतर ही दबोच लिया तथा वे उसे लेकर वापस उसी स्थान पर आए जहां वह पूर्व में खड़ा था । उसके पश्चात् जैरी केन में मौजूद अंतर्वस्तु की चखकर और सूंघ कर जांच की गई और यह पाया गया कि वह अंतर्वस्तु ताड़ी है । उसके अनुसार उस वस्तु का अभिग्रहण किया गया तथा इस संबंध में स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में महाजर तैयार किया गया जो प्रदर्श पी-5 के रूप में चिह्नित है, गिरफ्तारी सूचना तैयार करने के पश्चात् अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया तथा उसी दिन सायंकाल को विनिषिद्ध पदार्थ तथा अपीलार्थी को उत्पाद शुल्क रेंज कार्यालय को सौंप दिया गया, जहां उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया । के. वी. विजय कुमार, उत्पाद शुल्क गार्ड (अभि. सा. 7), जो सुसंगत समय पर अभि. सा. 6 के साथ था, ने भी इसी प्रकार का कथन किया है । उक्त दोनों साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य के संबंध में उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई संदेहास्पद बात सामने नहीं आई ।

9. सुकुमारन (अभि. सा. 3) और ओनन (अभि. सा. 4) स्वतंत्र साक्षी हैं और उन्होंने अभिग्रहण महाजर तथा गिरफ्तारी ज्ञापन को अनुप्रमाणित किया है । दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने दस्तावेजों पर मौजूद अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की किन्तु उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया कि उन्होंने अपीलार्थी से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी और उसकी गिरफ्तारी को देखा है । अभियोजन पक्ष ने उक्त दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया और लोक अभियोजक ने उनकी प्रतिपरीक्षा की ।

10. आरोप को साबित किए जाने के संबंध में अन्य साक्षियों की कोई सारवान् भूमिका नहीं है । अभि. सा. 1 उत्पाद शुल्क अंचल

निरीक्षक है, जिसने घटना के अगले दिन, अर्थात् तारीख 12 जुलाई, 2005 को न्यायालय में संपत्ति, दस्तावेजों की सूची तथा अभियुक्त को प्रस्तुत किया । उसने अग्रेषण टिप्पण को भी तैयार किया जो प्रदर्श पी-2 के रूप में चिह्नित है । अभि. सा. 2 उत्पाद शुल्क निरीक्षक है और उसने इस मामले का अन्वेषण किया है और साथ ही उसने स्थलनक्शा महाजर (प्रदर्श पी-3) को भी तैयार किया तथा अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया । उसने रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट को भी साबित किया जिससे यह सुझाव प्राप्त होता है कि विनिषिद्ध पदार्थ ताड़ी है । अभि. सा. 5 वह निवारक अधिकारी है, जिसने अपराध को दर्ज किया ।

11. अभियोजन के पक्षकथन की विश्वसनीयता मुख्यत: अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, जो क्रमश: ताड़ी का पता लगाने वाला अधिकारी तथा उत्पाद शुल्क गार्ड है और वे दोनों एक साथ घटनास्थल पर उपस्थित थे । विद्वान् सेशन न्यायाधीश मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नितांत रूप से अनुपस्थित है जिसके आधार पर उक्त साक्षियों के कथन पर संदेह किया जा सके । वस्तुत:, उक्त दोनों साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य अभियोजन के पक्षकथन को ठोस आधार प्रदान करता है । यद्यपि, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल उक्त दोनों साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के प्रति शंका रखते हैं किन्तु वे ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने में असफल रहे जिसके आधार पर उनके कथन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सके । उक्त दोनों साक्षियों ने अपने शासकीय कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में उक्त आपराधिक घटना को देखा है । पूर्ण विचारण के दौरान किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई अभिकथन नहीं किया कि वे अपीलार्थी से पूर्व परिचित थे और इस कारण से उनके द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध वर्तमान गंभीर आपराधिक मामला मिथ्या रूप से तैयार किए जाने का कोई हेतुक प्रतीत नहीं होता है । निस्संदेह रूप से स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन के एक भाग का समर्थन नहीं किया है जिससे यह उपदर्शित होता है कि उत्पाद

शुल्क दल को देखकर अपीलार्थी सड़क के किनारे विनिषिद्ध पदार्थ को छोड़कर घटनास्थल से भाग गया था । किन्तु मेरे मतानुसार विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश को अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य के संबंध में सारवान् पहलुओं का अवलंब लेने में कोई दोष प्रतीत नहीं हुआ होगा ।

12. द्वितीयतः, एक साथ तैयार किए गए दस्तावेजों, जैसे कि प्रदर्श पी-5 अभिग्रहण महाजर और प्रदर्श पी-6 गिरफ्तारी ज्ञापन को अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य के साथ रखकर उन पर एक साथ विचार करना होगा । यद्यपि, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया फिर भी उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करके कि सारवान् दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर विद्यमान हैं, आंशिक रूप से अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का समर्थन किया है । उनके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के उस भाग से स्पष्ट रूप से यह सुझाव प्राप्त होता है कि वे दस्तावेज उत्पाद शुल्क पदधारियों द्वारा एक साथ तैयार किए गए थे ।

13. अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों, जिसके अंतर्गत साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य भी हैं, की ध्यानपूर्वक समीक्षा करने पर इस न्यायालय को यह कठिन प्रतीत होता है कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7, जो शासकीय साक्षी हैं, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को परित्यक्त किया जाए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को दर्शित किया है कि अपीलार्थी उत्पाद शुल्क पदधारियों को देखने के पश्चात् उसके कब्जे में मौजूद वस्तु को सड़क पर छोड़कर घटनास्थल से भाग गया । वस्तुतः, उनके साक्ष्य से अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाने के मत को बल प्राप्त होता है । वस्तुओं को घटनास्थल पर ही अभिगृहीत किया गया था और उसके पश्चात् उसे यथासंभव शीघ्र अवसर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सारवान् वस्तुओं को घटना से अगले दिन अग्रेषण टिप्पण के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि उत्पाद शुल्क पदधारियों ने वर्तमान मामले में तुरंत कार्रवाई की है । विनिषिद्ध पदार्थ की रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट से यह सुझाव प्राप्त होता है कि उक्त वस्तु में परिमाण में

24.02 प्रतिशत इथायल अल्कोहल विद्यमान है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वस्तुत ताड़ी है और उसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप विरचित किए गए ।

14. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर पुन: विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायलय के इस निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है कि अपीलार्थी आबकारी अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन अपराध के लिए दोषी है जो आबकारी अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन दंडनीय है । उसे सही रूप से उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है अत:, उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

15. जहां तक दंडादेश का संबंध है, जैसा कि विद्वान् काउंसेल द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त घटना वर्ष 2005 में घटित हुई थी और संस्थागत कमियों/दोषों के कारण इस मामले का निपटारा 15 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात् किया जा सका । उस समय अपीलार्थी की आयु केवल 24 वर्ष थी । उक्त अपराध के अलावा अपीलार्थी की किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला है । इन पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पर अधिरोपित 4 वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश थोड़ा अधिक है । इसमे उपांतरण किया जाना अपेक्षित है । यह प्रतीत होता है कि केवल छह मास का साधारण कारावास न्याय के हितों की पूर्ति करने में सक्षम होगा । जुर्माना अधिरोपित करने वाला दंडादेश का भाग कानूनी रूप से न्यूनतम है और इसलिए दंडादेश के उस भाग तथा व्यतिक्रम दंडादेश के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया जाता है ।

उपरोक्त उपांतरणों के अधीन रहते हुए अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

**इमामुल हक**

बनाम

**असम राज्य**

(2019 की दांडिक अपील सं. 377)

तारीख 8 मार्च, 2021

**न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 34 – पति और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों पर मृतका की हत्या करने का आरोप लगाया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित करने हेतु मृतका की बहन को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाना – इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध सुदृढ़ परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस प्रभाव की प्रतिरक्षा लिया जाना कि मृतका के किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध थे और रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसके द्वारा आत्महत्या किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा उसके पूर्वतन कथनों में अनेक प्रकार की विसंगतियों का पाया जाना – उक्त विसंगतियों के आधार पर उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सुदृढ़ परिस्थितिजन्य साक्ष्य का स्वयं में दोषसिद्धि का आधार बनने हेतु पर्याप्त होना – इसके अतिरिक्त विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई अपराध घर के भीतर किया जाता है तो घर के सह-निवासियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह इस संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं कि उनकी उपस्थिति में अपराध किस प्रकार कारित किया गया – वर्तमान मामले में प्रमुख अभियुक्त/पति द्वारा उक्त प्रभाव का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि अभियुक्त पति की दोषसिद्धि और उसके**

**विरुद्ध पारित दंडादेश सर्वथा उचित है, जबकि अन्य अभियुक्तों/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने की दायी है ।**

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मृतका अर्जुमा का निकाह घटना से 12/13 वर्ष पूर्व अपीलार्थी इमामुल हक के साथ हुआ था । निकाह के पश्चात् मृतका पर उसके पति तथा ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया गया । तारीख 27 दिसम्बर, 2007 को अपीलार्थियों तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित कुछ अन्य व्यक्तियों ने मृतका पर शारीरिक रूप से हमला किया तथा उसकी हत्या कर दी । यद्यपि, अपीलार्थियों ने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया, किन्तु मृतका के पिता को किसी प्रकार इस घटना की जानकारी प्राप्त हो गई और उसने अपीलार्थियों और कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-5) दर्ज की । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 304(ख)/34 के अधीन जुरिया पुलिस थाने का मामला सं. 205/2007 रजिस्टर किया तथा अन्वेषण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् पुलिस ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304(ख)/34 के अधीन न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण के दौरान, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जिनके संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया । विचारण पूरा हो जाने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में वर्तमान दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने और अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य का समुचित मूल्यावन करने के पश्चात् अपील का भागत: मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्रियों की अत्यंत सावधानीपूर्वक समीक्षा और परिशीलन किया । इस प्रकार, साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभि. सा. 4 ने स्वयं को घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है और यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी इमामुल

हक को एक कुल्हाड़ी से मृतका की छाती पर वार करते हुए देखा था । उसने पीड़िता पर किए गए उस हमले में अन्य अपीलार्थियों को संलिप्त किया है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हुई और ऐसा करते हुए उसने अपीलार्थियों में से प्रत्येक के संबंध में कतिपय विनिर्दिष्ट आपराधिक कार्य करने का आरोप लगाया है । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके पूर्वतन कथन के माध्यम से प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके परिसाक्ष्य का सम्यक् रूप से खंडन किया गया और जिसकी पुष्टि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 7) के माध्यम से की गई और इस प्रकार यह तथ्य सामने आया कि उसने न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में किए गए कथनों को कभी भी अपने पूर्वतन कथनों में उल्लिखित नहीं किया । उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभि. सा. 4 के कथन को भी विचार में लिया है और उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पुलिस के समक्ष उसके द्वारा किए गए कथन तथा न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं । उक्त अभि. सा. 4 ने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करते समय यह कथन किया है कि अभियुक्त मुजम्मिल और इमामुल ने मृतका की गर्दन मरोड़ी थी जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में उसने यह कहा है कि केवल इमामुल हक ने ही मृतका की गर्दन मरोड़ी थी । उसने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने अभिसाक्ष्य में पूर्णत: भिन्न कथन प्रस्तुत किया है । यह भी स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभि. सा. 4 के कथन को घटना के लगभग सात मास पश्चात् लेखबद्ध किया गया था । जब उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 4 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके अभिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और साथ ही धारा 164 के अधीन किए गए पूर्वतन कथनों का परिशीलन करते हैं तो वे एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं और इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उसने न केवल न्यायालय में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य में गंभीर सुधार किए हैं अपितु उसने न्यायालय में प्रस्तुत किए गए अपने अभिसाक्ष्य के माध्यम से अपने पूर्वतन कथनों में उल्लिखित सारवान्

विशिष्टियों का विरोध किया है तथा ये तीनों कथन एक-दूसरे के लिए परस्पर घातक हैं । यद्यपि अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि पीड़िता की हत्या करने के पश्चात् उसके शव को भूसे के ढेर पर फेंक दिया गया था, किन्तु अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव के साक्ष्य को अन्य साक्षियों, जिसमें पीड़िता के पिता और भाई भी सम्मिलित हैं, ने झुठलाया है । इस प्रकार की परिस्थिति में उच्च न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया यह दावा कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, किसी भी प्रकार से विश्वासोत्पादक नहीं है और इस प्रकार विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील में बल प्रतीत होता है कि अभि. सा. 4, जिसने एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा प्रस्तुत किया है, द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि यदि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य का परित्याग कर भी दिया जाता है तो भी अपीलार्थियों को संदेह के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य के अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का भी अवलंब लिया था, जो वर्तमान मामले के न्यायनिर्णय हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने सर्वप्रथम इस परिस्थिति का अवलंब लिया है कि मृतका के शरीर पर पाई गई क्षतियों के कारण पीड़िता की मृत्यु मानववध प्रकृति की है । डाक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की गई है कि पीड़िता की मृत्यु उसे कारित की गई क्षतियों के कारण मानववध प्रकृति की है और डाक्टर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त राय संपूर्ण विचारण के दौरान अकाट्य बनी रही यद्यपि अपीलार्थियों द्वारा यह स्थापित करने का असफल प्रयास किया गया कि मृतका ने आत्महत्या की थी । अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में यह कहा है कि मृतका के अब्दुल समद (अभि. सा. 6) के साथ नाजायज संबंध थे और जब उसे शौचालय के भीतर अब्दुल समद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया तो वह शौचालय से नीचे कूद गई और इस प्रकार उसे क्षतियां कारित हुई । अभियोजन पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उनके समक्ष इस प्रभाव के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जिसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया है ।

अत:, यह दर्शित करने वाले किसी साक्ष्य के अभाव में कि पीड़िता को आई क्षतियां शौचालय से कूदने के कारण कारित हो सकती हैं और साथ ही मृतका को हुई क्षतियां की प्रकृति तथा इस स्पष्ट चिकित्सा साक्ष्य को विचार में लेते हुए कि मृतका की मृत्यु मानववध प्रकृति की है, अपीलार्थियों द्वारा किया गया यह अभिवाक् कि मृतका ने आत्महत्या की थी, न केवल मिथ्या है अपितु वह मूर्खतापूर्ण भी प्रतीत होता है । पीड़िता के पिता (अभि. सा. 1) द्वारा प्रस्तुत यह अभिसाक्ष्य कि घटना से एक वर्ष पूर्व अपीलार्थी इमामुल हक, पीड़िता के पति ने पीड़िता पर केरोसिन तेल छिड़ककर, उसे जलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था और उक्त साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किया गया यह कथन कि पीड़िता को उसके वैवाहिक घर में शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा था, स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि पीड़िता का पति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था । यह भी स्पष्ट है कि मृतका अर्जुमा की मृत्यु गोपनीय रूप से वैवाहिक घर के भीतर हुई थी, जहां वह अपने पति/अपीलार्थी इमामुल हक के साथ निवास कर रही थी । यह दर्शित करने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उस सुसंगत समय पर जब पीड़िता की घर के भीतर हत्या की गई, अपीलार्थी इमामुल घर में मौजूद नहीं था । अपीलार्थी पति ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में इस प्रभाव का कोई अभिवाक् नहीं किया है कि घटना के समय वह अपराध के स्थल से अनुपस्थित था, इसकी बजाय उसने ऐसा अभिवाक् किया जो अंततोगत्वो ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार मिथ्या और मूर्खतापूर्ण साबित हुआ । अत:, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को साबित किया है कि पीड़िता के साथ उसके पति द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था और पूर्व में भी अपीलार्थी इमामुल ने पीड़िता की हत्या करने का प्रयास किया था और यह भी कि पीड़िता की हत्या गोपनीय रूप से उसके वैवाहिक घर के भीतर की गई है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् विचारण न्यायालय ने एक अन्य परिस्थिति का भी अवलंब लिया है कि अपीलार्थी इस संबंध में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई, यद्यपि मृतका की गोपनीय रूप से उसके वैवाहिक घर में हत्या की गई थी और

साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अभिवाक् को मूर्खतापूर्ण और मिथ्या पाया गया है कि पीड़िता ने आत्महत्या की थी । निस्संदेह रूप से यह सत्य है कि यह भार अभियोजन पक्ष पर है कि वह सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करे । तथापि, जब कतिपय तथ्य केवल अभियुक्त व्यक्ति की विशेष जानकारी में ही होते हैं और ऐसे तथ्यों का अपराध के किए जाने में सारवान् प्रभाव होता है तो अभियुक्त के लिए यह आबद्धकर हो जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए, वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट करे जो अभियुक्त पर एक तत्समान विलोम भार डालती हैं कि वह उसके विरुद्ध विद्यमान उसे अपराध में फंसाने वाले ऐसी परिस्थितियों को अपनी विशेष जानकारी के माध्यम से स्पष्ट करे । अभियुक्त अपने इस दायित्व से बच नहीं सकता और उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी विशेष जानकारी से उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे क्योंकि वह यह विशिष्ट तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसे सभी सुसंगत संदेहों से परे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और उसे मौन रहने का अधिकार है क्योंकि अभियोजन पक्ष से ऐसी कोई बात साबित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में है । वर्तमान मामले के तथ्यों ओर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि जब पीड़िता की गोपनीय रूप से उसके वैवाहिक घर के भीतर हत्या की गई और उसके पति ने न तो इस प्रभाव का कोई अभिवाक् किया और न ही उसने यह दर्शित करने हेतु अभिलेख पर कोई सामग्री रखी कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट करना उसका दायित्व है कि वह न्यायालय को यह बताए कि पीड़िता की हत्या किस प्रकार की गई थी और वह अपने मौन रहने के अधिकार का प्रयोग करके बच नहीं सकता । अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य का विश्लेषण करने पर उच्च न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक परिस्थितियों को स्थापित किया है, अर्थात् (i) मृतका की मृत्यु मानववध प्रकृति की है, (ii) मृतका के प्रति उसके वैवाहिक घर में उसके पति द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, (iii) मृतका की उसके वैवाहिक घर के भीतर गोपनीय रूप से हत्या की गई थी और (iv) मृतका का अपीलार्थी

पति इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई, और उच्च न्यायालय की सुविचारित राय में उक्त स्थापित तथ्यों के आधार पर बिना किसी त्रुटि के वह श्रृंखला पूर्ण होती है जिसके आधार पर संगत रूप से केवल यह सैद्धांतिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतका का पति अपीलार्थी इमामुल हक दोषी है । उच्च न्यायालय की सूचना में यह भी आया है कि अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए मिथ्या स्पष्टीकरण से परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी भी जुड़ी है । उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी विचार में लिया है कि केवल मृतका की बहन (अभि. सा. 4) ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने साक्ष्य में पीड़िता के पति के कुटुम्ब के सभी सदस्यों को अपराध में फंसाने का प्रयास किया है । उच्च न्यायालय ने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य ऊपर कथित कारणों से विश्वसनीय नहीं है । अभि. सा. 4 के साक्ष्य को परित्यक्त करने के पश्चात् उच्च न्यायालय को अन्य अपीलार्थियों, जो मृतका के पति के माता-पिता और कुटुम्ब के अन्य सदस्य हैं, के वर्तमान मामले में संलिप्त होने के संबंध में कोई विधिक साक्ष्य अभिलेख पर दिखाई नहीं दिया और अभिलेख पर लाई गई तथा स्थापित की गई सभी परिस्थितियां केवल मृतका के पति अभियुक्त इमामुल हक के दोषी होने के प्रति संकेत करती हैं । इसके अतिरिक्त विवाह संबंधी अपराधों में वैवाहिक कुटुम्ब के सभी सदस्यों को संलिप्त करने की प्रवृति आजकल एक सामान्य परिपाटी बन गई है । वर्तमान मामले में यदि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष के पास अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन, जो अपीलार्थी इमामुल हक के क्रमश: माता-पिता और भाई हैं, को अपराध से सहबद्ध करने का कोई विधिक साक्ष्य नहीं बचता है । अत:, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन को सिद्धदोष ठहराए जाने के निर्णय और उनके विरुद्ध पारित दंडादेश को अपास्त किया तथा अपीलार्थी इमामुल हक की दोषसिद्धि की निर्णय और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश की पुष्टि की । तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन द्वारा फाइल की गई अपील को

मंजूर किया तथा अपीलार्थी इमामुल हक द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज किया । तद्नुसार, वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है । अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन जमानत पर हैं । इन अपीलार्थियों के जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है । अभिलेख को निचले न्यायालय को वापस भेजा जाए । (पैरा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 और 27)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2006] (2006) 10 एस. सी. सी. 681 =
2007 क्रिमिनल ला जर्नल 20 एस. सी. :
**त्रिमुख मारुति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 23

[1994] 1994 क्रिमिलन ला जर्नल 131 एस. सी. =
ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 458 :
**मध्य प्रदेश** बनाम **रतन लाल** । 24

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 377**.

वर्तमान दांडिक अपील, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नागांव द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2019 को वर्ष 2007 के जुरिया पुलिस थाना मामला सं. 205 में पारित निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

**अपीलार्थी की ओर** श्री एन. उद्दीन

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री एम. फुकन, अपर लोक अभियोजक और श्री जेड. हम्माद

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली ने दिया ।

**न्या. अली** – अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एन. उद्दीन और साथ ही प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एम. फुकन को सुना । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री जेड. हम्माद को भी सुना ।

2. वर्तमान अपील विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नागांव द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2019 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । उक्त निर्णय के माध्यम से विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने सभी चार अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया था और चारों अपीलार्थियों को आजीवन कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और उनमें से प्रत्येक पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उन्हें 6 (छह) मास का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।

3. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतका अर्जुमा का निकाह घटना से 12/13 वर्ष पूर्व अपीलार्थी इमामुल हक के साथ हुआ था । निकाह के पश्चात् मृतका पर उसके पति तथा ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया गया । तारीख 27 दिसम्बर, 2007 को अपीलार्थियों तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित कुछ अन्य व्यक्तियों ने मृतका पर शारीरिक रूप से हमला किया तथा उसकी हत्या कर दी । यद्यपि, अपीलार्थियों ने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया, किन्तु मृतका के पिता को किसी प्रकार इस घटना की जानकारी प्राप्त हो गई और उसने अपीलार्थियों और कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-5) दर्ज की । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 304(ख)/34 के अधीन जुरिया पुलिस थाने का मामला सं. 205/2007 रजिस्टर किया तथा अन्वेषण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् पुलिस ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304(ख)/34 के अधीन न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. विचारण के दौरान, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जिनके संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए सात साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त हो जाने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 313 के अधीन अपीलार्थियों की परीक्षा की गई जिसमें अपीलार्थियों ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और यह कथन किया कि मृतका ने उस समय शौचालय से कूद कर आत्महत्या की थी जब उसे अब्दुल समद (अभि. सा. 6) नामक एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया । अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गई अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में प्रति. सा. 1 के रूप में एक साक्षी की भी परीक्षा की ।

6. असमत अली, मृतका के पिता की विचारण के दौरान अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई । उसने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका अर्जुमा का निकाह अपीलार्थी इमामुल हक के साथ कराया गया था और अपीलार्थी इमामुल हक के साथ इस निकाह के परिणामस्वरूप मृतका ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था । घटना के दिन उसकी एक अन्य पुत्री असमा खातून (अभि. सा. 4), जो मृतका के घर के समीप ही निवास कर रही थी, ने उसे यह सूचित किया कि अपीलार्थी इमामुल ने अर्जुमा की एक लाठी से पिटाई करके उसकी हत्या कर दी है । यह जानकारी मिलने के तुरंत पश्चात् वह राहुल, अंसारूल और नुरुद्दीन (अभि. सा. 2) के साथ अपीलार्थियों के घर पहुंचा और वहां उसने यह पाया कि मृतका अर्जुमा एक कक्ष के भीतर फर्श पर मृत पड़ी थी । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि उसने यह भी देखा था कि मृतका के शरीर पर अनेक क्षतियां विद्यमान थीं । उसने यह भी कथन किया कि उक्त घटना से एक वर्ष पूर्व अपीलार्थी इमामुल ने उसकी पुत्री पर किरोसिन तेल छिड़ककर उसे जलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था । उक्त घटना के पश्चात् वह अपनी पुत्री को अपने घर ले आया था और उक्त घटना के 20/22 दिन के पश्चात् अपनी पत्नी के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर उसने मृतका को वापस उसके वैवाहिक घर भेज दिया था । उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान यह

तथ्य प्रकट हुआ कि उसने पुलिस के समक्ष किए गए अपने कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था कि असमा (अभि. सा. 4) ने उसे यह सूचना दी थी कि अभियुक्त इमामुल ने एक लाठी से अर्जुमा पर हमला करके उसकी हत्या कर दी है । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अभि. सा. 1 के समक्ष यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि मृतका अर्जुमा ने आत्महत्या की थी, जिससे उक्त साक्षी ने इनकार किया ।

7. नुरुद्दीन (अभि. सा. 2) ने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसे इस घटना के संबंध में अपनी पत्नी से जानकारी प्राप्त हुई जिसके पश्चात् वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अनिसीदुल नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और अपीलार्थियों के घर पहुंचने के पश्चात् उसने यह पाया कि मृतका अर्जुमा अभियुक्त के घर के भीतर फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी थी । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त इमामुल हक के पिता के सिवाय उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य उस समय घर पर मौजूद नहीं थे । उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उसने अक्सर मृतका और उसके पति इमामुल के बीच होने वाले झगड़ों की आवाजों को सुना था ।

8. जेहिरुल इस्लाम (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, साहिदुल, जाकिर और हजरत के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने यह पाया कि अपीलार्थी इमामुल के पिता घर के बाहर बैठे थे । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया कि उसने घर का द्वार खोलकर घर में प्रवेश किया और यह पाया कि मृतका का शव घर के भीतर पड़ा था । उसने यह भी कथन किया कि उसने मृतका की गर्दन के समीप क्षतियों को देखा था । उसके अनुसार पीड़िता की गर्दन पूरी तरह टूटी हुई थी ।

9. असमा खातून (अभि. सा. 4) मृतका अर्जुमा की सगी बहन है और उसने यह दावा किया है कि वह अपीलार्थियों की निकट पड़ोसी है । उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना की तारीख को सायं लगभग 7.00 बजे मृतका और उसके पति इमामुल के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हआ था कि इमामुल किसी अन्य लड़की से निकाह करने का इच्छुक था । झगड़ा सुनने के पश्चात् जब वह अपीलार्थियों और

अभि. सा. 4 के घर के बीच बनी दीवार की ओर आई तथा उसने मृतका के समीप जाने का प्रयास किया तो अभियुक्त इमामुल हक ने उसे ऐसा करने से रोक दिया । उसने यह भी कथन किया है कि उसने यह देखा था कि इमामुल ने मृतका की छाती पर एक कुल्हाड़ी से वार किया था । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त मुजम्मिल ने एक गमछे से मृतका का मुंह दबा रखा था जबकि तोजोमोल, रहीमा और अब्दुल खलीक ने मृतका अर्जुमा को पकड़ा हुआ था तथा उसी समय अभियुक्त इमामुल और मुजम्मिल ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसके पश्चात् उन्होंने उसे भूसे के ढेर पर फेंक दिया । यद्यपि अभि. सा. 4 ने अपीलार्थियों का विरोध किया तथा उन्हें रोकने का प्रयास किया किन्तु सभी अपीलार्थियों ने उसे धक्का देकर वहां से हटा दिया । कुछ समय पश्चात् वह पुन: एक टार्च लेकर घटनास्थल पर आई तो उसने यह पाया कि अर्जुमा की मृत्यु हो चुकी थी । उसने तुरंत अपने पिता अभि. सा. 1 को फोन किया और उन्हें इस घटना के संबंध में जानकारी दी । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रतिरक्षा पक्ष ने अभि. सा. 4 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कथन का, उसके द्वारा पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष किए गए पूर्वतन कथन के माध्यम से खंडन करने का प्रयास किया, जिससे अभि. सा. 4 ने यद्यपि इनकार किया किन्तु उसे अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 7) द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया गया तथा उसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई ।

10. डा. पी. के. शर्मा (अभि. सा. 5), जिसने मृतका की शव परीक्षा की थी, ने मृतका के शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

> "तीसरी और चौथी ग्रीवा कशेरुका का अस्थि भंग जिसमें अंत:कशेरुकी लिगामेंट को टूटा हुआ पाया गया, मस्तिष्क और रीढ़ में क्षति पाई गई, रीढ़ में तीसरी और चौथी ग्रीवा कशेरुका के समीप क्षति पाई गई ।
>
> ये सभी क्षतियां मृत्यु-पूर्व प्रकृति की हैं ।"

डाक्टर ने यह राय अभिव्यक्त की है कि पीड़िता की मृत्यु, पीड़िता को कारित हुई क्षतियों के परिणामस्वरूप हुए आघात के कारण हुई है ।

तथापि, डाक्टर ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए इस सुझाव से इनकार किया कि शव पर मौजूद क्षतियां मृत्यु के पश्चात् हुई क्षतियों की प्रकृति की हैं ।

11. अब्दुल समद (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसे इदरीश अली नामक एक व्यक्ति ने यह बताया था कि उसके घर में काफी चीख-पुकार मची हुई है । उसके तुरंत पश्चात् वह अपने घर आया और वहां उसे अपनी पत्नी (अभि. सा. 4) से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त इमामुल हक ने अर्जुमा की हत्या कर दी है । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया कि उसके तुरंत पश्चात् वह अपीलार्थी की घर गया और उसने यह पाया कि मृतका अर्जुमा एक भूसे के ढेर पर पड़ी थी और इमामुल के कुटुम्ब का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था । उसने यह भी कथन किया है कि उसने यह देखा था कि मृतका की गर्दन टूटी हुई थी ।

12. अभि. सा. 7 वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है, जिसने मूल रूप से अन्वेषण के अनुक्रम में उसके द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने अभि. सा. 4 और अभि. सा. 6 द्वारा किए गए कतिपय पूर्वतन कथनों की पुष्टि की । उसके अनुसार अभि. सा. 4 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में यह नहीं कहा था कि इमामुल ने एक कुल्हाड़ी से अर्जुमा की छाती पर वार किया था और मुजम्मिल ने गमछे के माध्यम से अर्जुमा के मुख को दबा रखा था और जब अर्जुमा नीचे गिर गई तो तोजोमोल, रहीमा और अब्दुल खलीक ने उसे दबोच लिया और तब इमामुल और मुजम्मिल ने उसकी गर्दन मरोड़ दी । उसने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि अभि. सा. 4 ने उसके समक्ष यह कथन नहीं किया था कि जब अभि. सा. 4 मृतका के समीप जाना चाह रही थी तो उस समय अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे रोका था ।

13. प्रति. सा. 1, जिसकी अपीलार्थियों द्वारा विचारण के दौरान परीक्षा की गई, ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना के दिन सायं लगभग 6.00 बजे वह चीख-पुकार की आवाजें सुनकर अपीलार्थियों

के घर आई थी और उसने यह पाया कि अर्जुमा एक पत्थर पर पड़ी थी और उसके शरीर पर क्षतियां विद्यमान थीं । प्रति. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि उसे यह ज्ञात हुआ कि अर्जुमा और समद (अभि. सा. 6) को शौचालय के भीतर अनैतिक क्रियाकलाप करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था जिसके पश्चात् अर्जुमा शौचालय से कुद गई और वह सीधे पत्थर पर जाकर गिरी । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त के घर में बना शौचालय स्वच्छता वाला था ।

14. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने ऊपर उद्धृत साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् सभी चार अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार दंडादेश पारित किया ।

15. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए यह दलील प्रस्तुत की कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को एकमात्र अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य के आधार पर सिद्धदोष ठहराया है । अभि. सा. 4, जो वर्तमान मामले की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य पूर्णतया अविश्वसनीय है क्योंकि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उसके साक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके पूर्वतन कथन तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके द्वारा किए गए कथन में सारवान् विसंगतियां विद्यमान हैं और इस प्रकार श्री अहमद ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराने के लिए अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

16. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि यद्यपि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य में कतिपय महत्वहीन विसंगतियां विद्यमान हैं, फिर भी अभियोजन पक्ष अभिलेख पर इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य रखने में सफल रहा है, जिसके अंतर्गत पूर्णत: विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी है, जिससे स्पष्ट रूप से

अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित होते हैं और इसलिए आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

17. हमने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्रियों की अत्यंत सावधानीपूर्वक समीक्षा और परिशीलन किया है । इस प्रकार, साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभि. सा. 4 ने स्वयं को घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है और यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी इमामुल हक को एक कुल्हाड़ी से मृतका की छाती पर वार करते हुए देखा था । उसने पीड़िता पर किए गए उस हमले में अन्य अपीलार्थियों को संलिप्त किया है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हुई और ऐसा करते हुए उसने अपीलार्थियों में से प्रत्येक के संबंध में कतिपय विनिर्दिष्ट आपराधिक कार्य करने का आरोप लगाया है । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके पूर्वतन कथन के माध्यम से प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके परिसाक्ष्य का सम्यक् रूप से खंडन किया गया और जिसकी पुष्टि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 7) के माध्यम से की गई और इस प्रकार यह तथ्य सामने आया कि उसने न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में किए गए कथनों को कभी भी अपने पूर्वतन कथनों में उल्लिखित नहीं किया । हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अभि. सा. 4 के कथन को भी विचार में लिया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुलिस के समक्ष उसके द्वारा किए गए कथन तथा न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं । उक्त अभि. सा. 4 ने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करते समय यह कथन किया है कि अभियुक्त मुजम्मिल और इमामुल ने मृतका की गर्दन मरोड़ी थी जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन में उसने यह कहा है कि केवल इमामुल हक ने ही मृतका की गर्दन मरोड़ी थी । उसने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने अभिसाक्ष्य में पूर्णत: भिन्न कथन प्रस्तुत किया है । यह भी स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभि. सा. 4 के कथन को घटना के लगभग सात मास

पश्चात् लेखबद्ध किया गया था । जब हम अभि. सा. 4 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके अभिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और साथ ही धारा 164 के अधीन किए गए पूर्वतन कथनों का परिशीलन करते हैं तो वे एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं और इसके परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उसने न केवल न्यायालय में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य में गंभीर सुधार किए हैं अपितु उसने न्यायालय में प्रस्तुत किए गए अपने अभिसाक्ष्य के माध्यम से अपने पूर्वतन कथनों में उल्लिखित सारवान् विशिष्टियों का विरोध किया है तथा ये तीनों कथन एक-दूसरे के लिए परस्पर घातक हैं । यद्यपि अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि पीड़िता की हत्या करने के पश्चात् उसके शव को भूसे के ढेर पर फेंक दिया गया था, किन्तु अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव के साक्ष्य को अन्य साक्षियों, जिसमें पीड़िता के पिता और भाई भी सम्मिलित हैं, ने झुठलाया है ।

18. इस प्रकार की परिस्थिति में हमारा यह समाधान हो गया है कि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया यह दावा कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, किसी भी प्रकार से विश्वासोत्पादक नहीं है और इस प्रकार हमें विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील में बल प्रतीत होता है कि अभि. सा. 4, जिसने एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा प्रस्तुत किया है, द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि यदि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य का परित्याग कर भी दिया जाता है तो भी अपीलार्थियों को संदेह के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य के अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का भी अवलंब लिया था, जो वर्तमान मामले के न्यायनिर्णय हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण है ।

19. विद्वान् विचारण न्यायालय ने सर्वप्रथम इस परिस्थिति का अवलंब लिया है कि मृतका के शरीर पर पाई गई क्षतियों के कारण पीड़िता की मृत्यु मानववध प्रकृति की है । अभि. सा. 5, डाक्टर, जिसने मृतका की शवपरीक्षा की थी, ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि

मृतका के शरीर पर पाई गई क्षतियां, जो तीसरी और चौथी ग्रीवा कशेरुका के अस्थिभंग और साथ ही अंत:कशेरुकी लिगामेंट के टूट जाने तथा रीढ़ की हड्डी में तीसरे और चौथे ग्रीवा कशेरुका के स्तर पर क्षति की प्रकृति की हैं, मृत्यु-पूर्व कारित हुई क्षतियां हैं और इसलिए उसकी मृत्यु मानववध प्रकृति की है । डाक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की गई है कि पीड़िता की मृत्यु उसे कारित की गई क्षतियों के कारण मानववध प्रकृति की है और डाक्टर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त राय संपूर्ण विचारण के दौरान अकाट्य बनी रही यद्यपि अपीलार्थियों द्वारा यह स्थापित करने का असफल प्रयास किया गया कि मृतका ने आत्महत्या की थी । अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में यह कहा है कि मृतका के अब्दुल समद (अभि. सा. 6) के साथ नाजायज संबंध थे और जब उसे शौचालय के भीतर अब्दुल समद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया तो वह शौचालय से नीचे कूद गई और इस प्रकार उसे क्षतियां कारित हुई । अभियोजन पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उनके समक्ष इस प्रभाव के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जिसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथनों में अपीलार्थियों द्वारा किए गए इस अभिवाक् को प्रति. सा. 1 की परीक्षा करके स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसने न्यायालय के समक्ष इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों के घर में विद्यमान शौचालय स्वच्छता वाला था । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने पीड़िता को शौचालय से कुदते हुए नहीं देखा था और न ही उसने उस समय मृतका को समद के साथ देखा था । इस प्रकार, प्रति. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से प्रतिरक्षा पक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ । इसलिए यह बात स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है कि क्या शौचालय की उंचाई इतनी अधिक थी कि वहां से कूदने या वहां से गिरने पर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की घातक क्षतियां कारित हो सकती हैं जैसी कि मृतका की गर्दन पर पाई गई हैं । किन्तु इस संबंध में किसी

प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः, यह दर्शित करने वाले किसी साक्ष्य के अभाव में कि पीड़िता को आई क्षतियां शौचालय से कूदने के कारण कारित हो सकती हैं और साथ ही मृतका को हुई क्षतियों की प्रकृति तथा इस स्पष्ट चिकित्सा साक्ष्य को विचार में लेते हुए कि मृतका की मृत्यु मानववध प्रकृति की है, अपीलार्थियों द्वारा किया गया यह अभिवाक् कि मृतका ने आत्महत्या की थी, न केवल मिथ्या है अपितु वह मूखर्तापूर्ण भी प्रतीत होता है ।

20. पीड़िता के पिता (अभि. सा. 1) द्वारा प्रस्तुत यह अभिसाक्ष्य कि घटना से एक वर्ष पूर्व अपीलार्थी इमामुल हक, पीड़िता के पति ने पीड़िता पर केरोसिन तेल छिड़ककर, उसे जलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था और उक्त साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किया गया यह कथन कि पीड़िता को उसके वैवाहिक घर में शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा था, स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि पीड़िता का पति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था ।

21. अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने उनके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थियों के घर पहुंचने पर उन्होंने यह पाया कि मृतका अपने वैवाहिक घर के अंदर मृत पड़ी थी । स्थलनक्शा, जो प्रदर्श-6 के रूप में चिन्हित है, से भी यह दर्शित होता है कि घटना का स्थान घर के भीतर था । यद्यपि, अभि. सा. 4 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि मृतका का शव एक भूसे के ढेर पर पड़ा था, किन्तु अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रभाव के साक्ष्य को अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के मौखिक परिसाक्ष्य तथा साथ ही प्रदर्श-6 द्वारा झुठलाया गया है । अतः, यह स्पष्ट है कि मृतका अर्जुमा की मृत्यु गोपनीय रूप से वैवाहिक घर के भीतर हुई थी, जहां वह अपने पति/अपीलार्थी इमामुल हक के साथ निवास कर रही थी । यह दर्शित करने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उस सुसंगत समय पर जब पीड़िता की घर के भीतर हत्या की गई, अपीलार्थी इमामुल घर में मौजूद नहीं था ।

अपीलार्थी पति ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में इस प्रभाव का कोई अभिवाक् नहीं किया है कि घटना के समय वह अपराध के स्थल से अनुपस्थित था, इसकी बजाय उसने ऐसा अभिवाक् किया जो अंततोगत्वा ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार मिथ्या और मूर्खतापूर्ण साबित हुआ । अत:, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को साबित किया है कि पीड़िता के साथ उसके पति द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था और पूर्व में भी अपीलार्थी इमामुल ने पीड़िता की हत्या करने का प्रयास किया था और यह भी कि पीड़िता की हत्या गोपनीय रूप से उसके वैवाहिक घर के भीतर की गई है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् विचारण न्यायालय ने एक अन्य परिस्थिति का भी अवलंब लिया है कि अपीलार्थी इस संबंध में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई, यद्यपि मृतका की गोपनीय रूप से उसके वैवाहिक घर में हत्या की गई थी और साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अभिवाक् को मूर्खतापूर्ण और मिथ्या पाया गया है कि पीड़िता ने आत्महत्या की थी ।

22. निस्संदेह रूप से यह सत्य है कि यह भार अभियोजन पक्ष पर है कि वह सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करे । तथापि, जब कतिपय तथ्य केवल अभियुक्त व्यक्ति की विशेष जानकारी में ही होते हैं और ऐसे तथ्यों का अपराध के किए जाने में सारवान् प्रभाव होता है तो अभियुक्त के लिए यह आबद्धकर हो जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए, वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट करे जो अभियुक्त पर एक तत्समान विलोम भार डालती हैं कि वह उसके विरुद्ध विद्यमान उसे अपराध में फंसाने वाले ऐसी परिस्थितियों को अपनी विशेष जानकारी के माध्यम से स्पष्ट करे । अभियुक्त अपने इस दायित्व से बच नहीं सकता और उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी विशेष जानकारी से उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे क्योंकि वह यह विशिष्ट तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसे सभी सुसंगत संदेहों से परे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पक्ष

पर है और उसे मौन रहने का अधिकार है क्योंकि अभियोजन पक्ष से ऐसी कोई बात साबित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में है । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि जब पीड़िता की गोपनीय रूप से उसके वैवाहिक घर के भीतर हत्या की गई और उसके पति ने न तो इस प्रभाव का कोई अभिवाक् किया और न ही उसने यह दर्शित करने हेतु अभिलेख पर कोई सामग्री रखी कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट करना उसका दायित्व है कि वह न्यायालय को यह बताए कि पीड़िता की हत्या किस प्रकार की गई थी और वह अपने मौन रहने के अधिकार का प्रयोग करके बच नहीं सकता ।

23. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **त्रिमुख मारुति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया जा सकता है जहां समान परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 14 और 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

> "14. यदि कोई अपराध किसी घर के भीतर निजता में किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में जहां अक्रांताओं के पास उनके द्वारा चुने गए समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे कारित करने के सभी अवसर विद्यमान हैं तो अभियोजन पक्ष के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह उस समय अभियुक्त के दोष को स्थापित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करे जब ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कड़े सिद्धांत को न्यायालयों द्वारा कड़ाई से लागू किया जाता है । किसी न्यायाधीश को किसी ऐसे दांडिक विचारण का पर्यावलोकन मात्र इस कारण से नहीं करना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए । कोई न्यायाधीश यह सुनिश्चित करने के लिए भी विचारण चलाता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न जाए । ये दोनों

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 681 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 20 एस. सी.

लोक कर्तव्य हैं । [स्टिरलैंड **बनाम** लोक अभियोजन निदेशक (1944 एसी 315) जिसे पंजाब राज्य **बनाम** करनैल सिंह (2003) 11 एस. सी. सी. 271 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3609) वाले मामले में न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत के अनुमोदन से कोट किया गया है] । विधि अभियोजन पक्ष पर यह कर्तव्यबोध नहीं रखती कि वह ऐसी प्रकृति का साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिसे प्रस्तुत किया जाना लगभग असंभव है या जिसे प्रस्तुत किया जाना अत्यंत कठिन है । अभियोजन पक्ष का कर्तव्य ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करना है जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए जाने योग्य है । यहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि जबकि कोई तथ्य विशेषत: किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है । इस धारा के साथ संलग्न दृष्टांत "ख" इस उपबंध की अंतर्वस्तु और उसके परिधि क्षेत्र को स्पष्ट करता है जो निम्नानुसार है :–

(ख) क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है । यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है ।

15. जब हत्या जैसा कोई अपराध किसी घर के भीतर गोपनीय रूप से किया जाता है तो निस्संदेह रूप से मामले को साबित करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर होता है किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे किसी मामले में आरोप को साबित करने हेतु अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य की प्रकृति और परिमाण उस स्तर का नहीं हो सकता जैसा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में अपेक्षित होता है । उपरोक्त मामले में आरोप साबित करने का भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए घर के सह-निवासियों पर भी एक तत्समान भार होगा कि वे इस तथ्य के संबंध में कोई अकाट्य स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं कि प्रश्नगत अपराध किस प्रकार किया गया । घर के सह-निवासी साधारण रूप से मौन रहकर और स्वयं के घटनास्थल पर उपस्थित

होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न देकर अपने कर्तव्य से इस सिद्धांत का अवलंब लेकर बच नहीं सकते कि अभियोजन पक्षकथन को स्थापित करने का भार संपूर्ण रूप से अभियोजन पक्ष पर है और ऐसे किसी अभियुक्त का किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण प्रदान किए जाने संबंधी कोई कर्तव्य नहीं है ।"

24. अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य का विश्लेषण करने पर हम इस संबंध में संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक परिस्थितियों को स्थापित किया है, अर्थात् (i) मृतका की मृत्यु मानववध प्रकृति की है, (ii) मृतका के प्रति उसके वैवाहिक घर में उसके पति द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, (iii) मृतका की उसके वैवाहिक घर के भीतर गोपनीय रूप से हत्या की गई थी और (iv) मृतका का अपीलार्थी पति इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई, और हमारी सुविचारित राय में उक्त स्थापित तथ्यों के आधार पर बिना किसी त्रुटि के वह श्रृंखला पूर्ण होती है जिसके आधार पर संगत रूप से केवल यह सैद्धांतिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतका का पति अपीलार्थी इमामुल हक दोषी है । हमारी सूचना में यह भी आया है कि अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए मिथ्या स्पष्टीकरण से परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी भी जुड़ी है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश** बनाम **रतन लाल**[1] वाले मामले में यह संप्रेक्षण किया है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए मिथ्या स्पष्टीकरण को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटनाओं की श्रृंखला की एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में विचार में लिया जा सकता है ।

25. हमने इस तथ्य को भी विचार में लिया है कि केवल मृतका की बहन (अभि. सा. 4) ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने साक्ष्य में पीड़िता के पति के कुटुम्ब के सभी सदस्यों को अपराध में फंसाने का प्रयास किया है । हमने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य ऊपर कथित कारणों

[1] 1994 क्रिमिलन ला जर्नल 131 एस. सी. = ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 458.

से विश्वसनीय नहीं है । अभि. सा. 4 के साक्ष्य को परित्यक्त करने के पश्चात् हमें अन्य अपीलार्थियों, जो मृतका के पति के माता-पिता और कुटुम्ब के अन्य सदस्य हैं, के वर्तमान मामले में संलिप्त होने के संबंध में कोई विधिक साक्ष्य अभिलेख पर दिखाई नहीं देता है और अभिलेख पर लाई गई तथा स्थापित की गई सभी परिस्थितियां केवल मृतका के पति अभियुक्त इमामुल हक के दोषी होने के प्रति संकेत करती हैं । इसके अतिरिक्त विवाह संबंधी अपराधों में वैवाहिक कुटुम्ब के सभी सदस्यों को संलिप्त करने की प्रवृति आजकल एक सामान्य परिपाटी बन गई है । वर्तमान मामले में यदि अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष के पास अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन, जो अपीलार्थी इमामुल हक के क्रमश: माता-पिता और भाई हैं, को अपराध से सहबद्ध करने का कोई विधिक साक्ष्य नहीं बचता है । अत:, हम अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन को सिद्धदोष ठहराए जाने के निर्णय और उनके विरुद्ध पारित दंडादेश को अपास्त करते हैं तथा अपीलार्थी इमामुल हक की दोषसिद्धि के निर्णय और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश की पुष्टि करते हैं ।

26. तद्नुसार, हम अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन द्वारा फाइल की गई अपील को मंजूर करते हैं तथा अपीलार्थी इमामुल हक द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज किया जाता है । तद्नुसार, वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है । हमें यह बताया गया है कि अपीलार्थी अब्दुल खलीक, रहीमा खातून और तोजोमोल हुसैन जमानत पर हैं । इन अपीलार्थियों के जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

27. अभिलेख को निचले न्यायालय को वापस भेजा जाए ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

पु.

**हरे राम शर्मा**

बनाम

**छत्तीसगढ़ राज्य**

(2020 की एमसीआरसीए सं. 234)

तारीख 18 नवम्बर, 2020

**न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438 – अग्रिम जमानत – अभियुक्त द्वारा उक्त धारा के अधीन अग्रिम जमानत हेतु आवेदन सेशन न्यायालय से जमानत संबंधी उपचार का फायदा प्राप्त किए बिना सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक पर विचार किया जाना कि क्या इस प्रकार का आवेदन सर्वप्रथम सेशन न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए और उसके पश्चात् ही उच्च न्यायालय से संपर्क किया जाना चाहिए – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के पास अग्रिम जमानत से संबंधित समवर्ती अधिकारिता है किन्तु अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदन सीधे उच्च न्यायालय में केवल उस समय फाइल किया जा सकता है जब आपवादिक, दुर्लभ या अप्रायिक कारण अथवा परिस्थितियां विद्यमान हों ।**

अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने संबंधी वर्तमान दो आवेदनों का निपटारा किए जाने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि 2020 की एमसीआरसीए सं. 234 में आवेदक (हरे राम शर्मा) को इस बात की आशंका है कि उसे राज्य आर्थिक अपराध पुलिस/भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, रायपुर (ईओडब्ल्यू/एसीबी, रायपुर) द्वारा रजिस्टर अपराध सं. 27/2016 के संबंध में उस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(1)(ङ)

के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन दंडनीय अपराध है, जबकि 2020 की एमसीआरसीए सं. 362 के आवेदक (टी आर कुंजम) को यह आशंका है कि उसे भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की पुलिस, जिला रायपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ङ) के साथ पठित उसकी धारा 13(2) के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में रजिस्टर किए गए अपराध सं. 5/2016 के संबंध में गिरफ्तार किया जा सकता है । अत: उक्त दोनों अभियुक्तों ने अग्रिम जमानत हेतु सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए हैं । उच्च न्यायालय ने दोनों आवेदनों पर एक साथ विचार करते हुए मुख्यत: इस विवाद्यक पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के पास समवर्ती अधिकारिता मौजूद है, किन्तु क्या कोई व्यक्ति/अभियुक्त सेशन न्यायालय के समक्ष उक्त धारा के अधीन अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किए बिना सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्रभाव का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और उच्च न्यायालय किस प्रकार की परिस्थितियों के अधीन ऐसे आवेदन पर कार्यवाही कर सकता है । उच्च न्यायालय ने दोनों आवेदनों के गुणागुण पर विचार न करते हुए केवल उक्त विवाद्यक के संबंध में भलीभांति परीक्षा करके तथा उच्चतम न्यायालय और अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा समान विवाद्यक के संबंध में किए गए संप्रेक्षणों को विचार में लेते हुए, उक्त दोनों आवेदनों को खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – यद्यपि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 किसी उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को समवर्ती अधिकारिता प्रदान करती है किन्तु सामान्यत: ऐसा कोई आवेदन सर्वप्रथम सेशन न्यायालय के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और न कि सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष । उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे आवेदन फाइल करने के लिए आवेदक को यह उपदर्शित करना होगा तथा उच्च न्यायालय का इस संबंध में समाधान करना होगा कि ऐसी आपवादिक दुर्लभ या असामान्य परिस्थितियां या कारण विद्यमान हैं जिनके परिणामस्वरूप आवेदक ने

सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क किया है । मात्र इस कारण से कि अभियुक्त के पास गुणागुण के आधार पर एक उत्तम मामला है, वह सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन फाइल नहीं कर सकता और उपरोक्त कारण सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए आधार नहीं हो सकता क्योंकि यदि किसी अभियुक्त के पास गुणागुण के आधार पर उत्तम मामला विद्यमान है और पुलिस के पास अभियुक्त को मामले में फंसाने हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि विद्यमान सेशन न्यायाधीश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन नहीं करेंगे और अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे । उच्च न्यायालय ने वर्तमान जमानत आवेदनों के गुणागुण के संबंध में कोई विचार नहीं किया है क्योंकि उच्च न्यायालय को वर्तमान मामले में ऐसी कोई आपवादिक परिस्थितियां दिखाई नहीं दी हैं जो आवेदकों को सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु हकदार बनाए । गुणागुण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण सेशन न्यायालय के समक्ष आवेदक के मामले को प्रभावित कर सकता है और इसलिए उच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे फाइल किए गए इन दो जमानत आवेदनों को इस आधार पर खारिज करते हुए कि वे चलाए जाने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक आपवादिक परिस्थितियों को उपदर्शित करने में असमर्थ रहे हैं, आवेदकों के पक्ष में यह राय व्यक्त की है कि वे सर्वप्रथम सेशन न्यायालय के पास जाएं और उसके पश्चात् यदि आवश्यक हो, तो उच्च न्यायालय के पास अपनी प्रार्थना पुन: प्रस्तुत करें । चूंकि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे फाइल किए गए ये दो जमानत संबंधी आवेदन चलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए उच्च न्यायालय ने आवेदकों को मंजूर की गई अंतिम सुरक्षा को जारी रखने की प्रार्थना को भी अस्वीकार किया है, तथापि, सेशन न्यायालय को यह निदेश दिया गया है कि जब भी आवेदक सेशन न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत संबंधी आवेदनों को प्रस्तुत करें तो वह शीघ्रातिशीघ्र उक्त

अग्रिम जमानत संबंधी आवेदनों का विनिश्चय करें । परिणामत: दोनों आवेदनों को इस आधार पर खारिज किया जाता है कि वे चलाए जाने योग्य नहीं है और इस संबंध में ऊपर कथित किए गए अनुसार संप्रेक्षण किए जाते हैं । (पैरा 16, 17, 18, 19 और 20)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2019] | 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 10602 : **बिरेन्द्र कुमार मुतरेजा** बनाम **राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र सरकार)** ; | 5 |
| [2019] | 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 4821 : **विनोद कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 8,9 |
| [2019] | 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 4571 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 इलाहाबाद 1707 : **हरेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 8 |
| [2018] | (2018) 12 एस. सी. सी. 119 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. (क्रिमिनल) 181 : **बरुण चंद ठाकुर** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य** ; | 4,15 |
| [2015] | (2015) 3 गुवाहाटी ला रिपोर्ट्स 453 = 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 250 (गुवाहाटी) : **कामता गारा ब्रह्मा** बनाम **असम राज्य** ; | 4,14 |
| [2013] | (2013) 6 गुवाहाटी एल. आर. 201 : **मयुर बरदोलिया** बनाम **असम राज्य** ; | 5 |
| [2007] | 2007 (4) महाराष्ट्र ला जर्नल 9 = 2007 (5) ए. आई. आर. बम्बई आर. 641 : **मोहन लाल, पुत्र नंदराम चौधरी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 5,13 |

[1988] (1988) क्रिमिनल ला जर्नल 210 (गुजरात) :
**रमेशचंद्र काशीराम बोरा और अन्य** बनाम
**गुजरात राज्य और अन्य** ; 5,12,13

[1983] (1983) सी. जे. (कर्नाटक) 137 =
1985 क्रिमिनल ला जर्नल 214 :
**के. सी. ईय्या और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 5,11

[1978] 1978 क्रिमिनल ला जर्नल 608 :
**छज्जु राम** बनाम **हरियाणा राज्य** ; 13

[1976] (1976) सी. जे. (राजस्थान) 65 =
1976 क्रिमिनल ला जर्नल 1658 :
**हाजीअलीशेर** बनाम **राजस्थान राज्य** । 5,10

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की एमसीआरसीए सं. 234**.

आवेदकों द्वारा वर्तमान दो जमानत आवेदन सीधे उच्च न्यायालय में फाइल किए गए हैं और आवेदकों ने उक्त आवेदनों के माध्यम से अपने गिरफ्तार होने की आशंका को व्यक्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

**आवेदकों की ओर से** श्री रमाकांत मिश्रा, श्री शरद मिश्रा सुश्री नौशिना अली और सुश्री अनामिका मल्होत्रा

**प्रत्यर्थी की ओर से** सुश्री फौजिया मिर्जा, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने दिया ।

**न्या. मिश्रा** – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 438 के अधीन आवेदकों द्वारा वर्तमान दो जमानत संबंधी आवेदन, सेशन न्यायालय के समक्ष जमानत के उपचार का फायदा लिए बिना सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए हैं । तारीख 21 अगस्त, 2020 को जब इन दोनों जमानत आवेदनों को पृथक् रूप से सूचीबद्ध किया गया था, उस समय इस न्यायालय ने इनकी कायम रखे जाने की

योग्यता के विवाद्यक पर सुनवाई करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख तय की थी ।

2. आवेदकों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने तारीख 16 सितम्बर, 2020 को इस न्यायालय की एक अन्य एकल न्यायपीठ द्वारा रतनेश सिंह चौहान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019 की एमसीआरसीए सं. 918, जिसका विनिश्चय तारीख 23 जुलाई, 2019 को किया गया था) वाले मामले में पारित आदेश का अवलंब लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अग्रिम जमानत संबंधी आवेदनों को सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है । तथापि, यह तथ्य ज्ञात होने पर कि एकल न्यायपीठ ने रतनेश सिंह चौहान (उपरोक्त) वाले मामले में विनिर्दिष्ट रूप से इस विवाद्यक के संबंध में विचार नहीं किया था कि क्या प्रत्येक मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया प्रत्येक आवेदन सुनवाई योग्य होगा या ऐसे किसी आवेदन पर किन्हीं दुर्लभ या आपवादिक मामलों में सुनवाई की जा सकती है, अत: इस विवाद्यक का समाधान करने के लिए मामला उच्च न्यायालय की एक बड़ी न्यायपीठ को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया गया था । तत्पश्चात् ये दोनों जमानत संबंधी आवेदन हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं ।

3. 2020 की एमसीआरसीए सं. 234 में आवेदक (हरे राम शर्मा) को इस बात की आशंका है कि उसे राज्य आर्थिक अपराध पुलिस/भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, रायपुर (ईओडब्ल्यू/एसीबी, रायपुर) द्वारा रजिस्टर अपराध सं. 27/2016 के संबंध में उस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(1)(ङ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन दंडनीय अपराध है, जबकि 2020 की एमसीआरसीए सं. 362 के आवेदक (टी आर कुंजम) को यह आशंका है कि उसे भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की पुलिस, जिला रायपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ङ) के साथ पठित उसकी धारा 13(2) के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में रजिस्टर किए गए अपराध सं. 5/2016 के संबंध में गिरफ्तार किया जा सकता है ।

4. 2020 की एमसीआरसीए सं. 234 के आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री रमाकांत मिश्रा और 2020 की एमसीआरसीए के आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री नौशिना अली द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि उनके संबद्ध आवेदकों को मिथ्या रूप से मामलों में फंसाया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध आगे कार्यवाही करने और अभिकथित अपराध के संबंध में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है । दोनों काउंसेलों ने यह दलील प्रस्तुत की है कि रतनेश सिंह चौहान वाले मामले में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अग्रिम जमानत संबंधी आवेदनों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि वर्तमान मामलों में आवेदकों के विरुद्ध कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की दशा में उन्हें अपरिहार्य हानि होगी । सारवान् रूप से उन्होंने मामले के गुणागुणों को निर्दिष्ट करते हुए उक्त मामलों को दुर्लभ या आपवादिक मामला बनाने का प्रयास किया है । उनके अनुसार, यदि मामला संबंधी डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध कोई मामला नहीं बन पा रहा है तो आवेदन सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है । अपने इस अभिवाक् पर बल देने के लिए विद्वान् काउंसेलों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा **बरुण चंद ठाकुर** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा **कामता गारा ब्रह्मा** बनाम **असम राज्य**[2] वाले मामले में दिए गए निर्णय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ (पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ) द्वारा अंकित भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में दिए गए निर्णय तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन 2020 का दांडिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन सं. 1094 (जिसका विनिश्चय तारीख 2 मार्च, 2020 को किया गया) और अन्य संबद्ध मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया ।

---

[1] (2018) 12 एस. सी. सी. 119 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. (क्रिमिनल) 181.

[2] (2015) 3 गुवाहाटी ला रिपोर्ट्स 453 = 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 250 (गुवाहाटी).

5. राज्य के लिए उपस्थित होने वाली विद्वान् अपर महाधिवक्ता सुश्री फौजिया मिर्जा ने इसके विपरीत यह दलील प्रस्तुत की है कि यद्यपि सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन तत्समान अधिकारिता विद्यमान है, फिर भी अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाला कोई आवेदन सर्वप्रथम सेशन न्यायालय के समक्ष फाइल किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात् उसे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है । अपने इस प्रतिवाद के समर्थन में सुश्री फोजिया मिर्जा ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भिन्न-भिन्न मामलों में दिए गए निर्णयों को निर्दिष्ट किया, जैसे कि **हाजीअलीशेर** बनाम **राजस्थान राज्य**[1], **के. सी. ईय्या और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2], **रमेशचंद्र काशीराम बोरा और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[3], **मोहन लाल, पुत्र नंदराम चौधरी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[4], **मयुर बरदोलिया** बनाम **असम राज्य**[5], और **बिरेन्द्र कुमार मुतरेजा** बनाम **राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र सरकार)**[6] **।**

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में यथाउपबंधित अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने संबंधी उपबंध निम्नानुसार हैं :–

> "438. (1) जहां किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अधिभोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अर्थात् –
>
> (i) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता,

---

[1] (1976) सी. जे. (राजस्थान) 65 = 1976 क्रिमिनल ला जर्नल 1658.

[2] (1983) सी. जे. (कर्नाटक) 137 = 1985 क्रिमिनल ला जर्नल 214.

[3] 1988 क्रिमिनल ला जर्नल 210 (गुजरात).

[4] 2007 (4) महाराष्ट्र ला जर्नल 9 = 2007 (5) ए. आई. आर. बम्बई आर. 641.

[5] (2013) 6 गुवाहाटी एल. आर. 201.

[6] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 10602.

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य सम्मिलित है कि क्या उसने पूर्व में किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास भोगा है,

(iii) न्याय से भागने की आवेदक की संभाव्यता, और

(iv) जहां अभियोग आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर उसे क्षति पहुंचाने या उसका अपमान करने के उद्देश्य से लगाया गया है,

वहां या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा :

परंतु यह कि जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, वहां किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसे आवेदन में आशंकित अधिभोग के आधार पर आवेदक को वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले –

(1क) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अंतरिम आदेश मंजूर करता है, वहां वह तत्काल एक सूचना जो सात दिवस से अन्यून की सूचना नहीं होगी, के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति, न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सुनवाई के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने की दृष्टि से लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को भिजवाएगा ।

(1ख) यदि लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय को आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह विचार करता है कि न्याय के हित में ऐसी उपस्थिति आवश्यक है तो न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करते समय अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति बाध्यकर होगी ।"

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है –

(i) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा ;

(ii) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा ;

(iii) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा ;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो ।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारंट जारी करेगा ।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग में किसी

व्यक्ति की गिरफ्तारी की किसी भी दशा में लागू नहीं होगी ।"

7. उक्त उपबंधों के साधारण पठन से अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अग्रिम जमानत संबंधी किसी अनुरोध पर कार्यवाही करने हेतु किसी उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता समवर्ती प्रकृति की है । यह विवाद अनेक अवसरों पर भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष उठाया गया है कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकृति का कोई आवेदन केवल उस समय फाइल किया जा सकता है जब सेशन न्यायालय के समक्ष उपलब्ध उपचार का फायदा ले लिया गया हो ।

8. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो भिन्न-भिन्न न्यायपीठों ने दो भिन्न राय व्यक्ति की हैं, यद्यपि **हरेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में एक न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन फाइल किया गया जमानत संबंधी आवेदन तब तक कार्यवाही किए जाने योग्य नहीं है, जब तक कि सेशन न्यायालय के समक्ष पहले ही उक्त आवेदन फाइल करके उस उपचार का फायदा न ले लिया गया हो, जबकि **विनोद कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में दूसरी न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे किसी आवेदन को उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है किन्तु इसके साथ इस शर्त को जोड़ा गया कि उच्च न्यायालय से सर्वप्रथम संपर्क करने और उसकी अधिकारिता का लाभ लेने के लिए सुदृढ़, अकाट्य और सबल कारण तथा विशेष परिस्थितियां अनिवार्य रूप से विद्यमान होनी चाहिए और केवल उक्त परिस्थितियों के अधीन ही सेशन न्यायालय के समक्ष उक्त अधिकारिता का फायदा लिए बिना सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है ।

9. उसके पश्चात् इस विवाद्यक को अंकित भारती (उपरोक्त) वाले मामले के माध्यम से उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ को निर्दिष्ट

---

[1] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 4571 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 इलाहाबाद 1707.

[2] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 4821.

किया गया था । पूर्ण न्यायपीठ ने अंततोगत्वा **विनोद कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में एक न्यायपीठ द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्षों का अनुमोदन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जमानत संबंधी आवेदन केवल सबल कारणों के साथ और विशेष परिस्थितियों में ही सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है और "आपवादिक" या "असाधारण" पदों से असामान्य, दुर्लभ परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो साधारण या प्रायिक नहीं हैं, अभिप्रेत हैं और इसके अतिरिक्त इस बात का विनिश्चय न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सम्यक् रूप से मूल्यांकन करते हुए इस प्रश्न का अवधारण करे कि किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियां "आपवादिक" या "असाधारण" हैं अथवा नहीं ।

10. **हाजी अली शेर** (उपरोक्त) वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन कोई आवेदन फाइल करने हेतु न्यायालय का चुनाव पूर्णतया अभियुक्त के विकल्प पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उक्त प्रश्न का निर्णय करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन किए गए आवेदन और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन किए गए किसी आवेदन में कोई अंतर/भेद नहीं है और यदि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन स्वीकार किया जाता है तो किसी अभियुक्त व्यक्ति के पास यह अधिकार होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा सीधे पहली बार उसके जमानत संबंधी आवेदन पर विचार किया जाए और इसी तर्क को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन फाइल किए जाने वाले आवेदनों के संबंध में भी लागू किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा करना वांछनीय है कि सामान्य व्यवहार यह होना चाहिए कि ऐसे किसी मामले में सर्वप्रथम निचले न्यायालय से संपर्क किया जाए, यद्यपि आपवादिक मामलों या विशेष परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 या धारा 439 के अधीन जमानत के लिए आवेदन को सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है और उच्च न्यायालय उस पर कार्यवाही करके उसके संबंध में विनिश्चय कर सकता है ।

11. **के. सी. ईय्या** (उपरोक्त) वाले मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 8, 9 और 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

"8. इस संबंध में, मैं सर्वप्रथम हिमालच प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक (तत्कालीन) द्वारा शेर सिंह **बनाम** सिंघा सिंह वाले मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करूंगा । यह एक ऐसा मामला था जिसमें व्यथित पक्षकार ने विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर की गई जमानत को रद्द करने हेतु प्रार्थना की थी । पक्षकारों ने सेशन न्यायाधीश के समक्ष आवेदन फाइल करने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया था । उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि सेशन न्यायालय के पास वर्तमान मामले में समवर्ती शक्तियां विद्यमान हैं, विद्वान् न्यायाधीश ने यह महसूस किया कि स्थापित व्यवहार के अनुसार पक्षकारों के लिए यह वांछनीय था कि वे सबसे पहले सेशन न्यायाधीश के समक्ष जाते । मैं इस संबंध में विद्वान् न्यायाधीश के निम्नलिखित संप्रेक्षणों में से उपयोगी उद्धरणों को नीचे उल्लिखित कर रहा हूं –

'मुझे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में याची को सबसे पहले ऐसा आवेदन विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए । यह अनुक्रम इस न्यायालय द्वारा गुलाम अली बनाम राज्य वाले मामले में अधिकथित विधि के अनुरूप होगा । याचियों के विद्वान् काउंसेल ने मेरा ध्यान एस. नारायणन बनाम कन्नम्मा भार्गवी वाले मामले की ओर आकर्षित किया है जिसमें केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ ने यह संप्रेक्षण किया है कि पक्षकारों के लिए इस संबंध में कोई विधिक वर्जन विद्यमान नहीं है कि वे सर्वप्रथम सेशन न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए बिना सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते । उस उच्च न्यायालय में अनुसरित किए जाने वाले

सामान्य व्यवहार को प्रतिनिर्दिष्ट किया गया । इस बात के संबंध में कोई संदेह विद्यमान नहीं है कि कोई पक्षकार सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए हकदार है, यद्यपि वह विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष भी इस प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए हकदार है । किन्तु जब कभी किसी कानून द्वारा एक साथ दो न्यायालयों, जिनमें से एक न्यायालय दूसरे से उच्चतर न्यायालय है, को समवर्ती अधिकारिता प्रदान की जाती है तो मेरे विचार में पक्षकारों के लिए यह उपयुक्त होगा कि वे सर्वप्रथम निचले न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें । मुझे इस निष्कर्ष तक पहुंचने हेतु अनेक हेतुक विद्यमान हैं । प्रथमतः, यदि किसी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह सर्वप्रथम निचले न्यायालय से संपर्क करे तो ऐसी स्थिति में उच्चतर न्यायालय के पास निचले न्यायालय की राय का फायदा मौजूद होता है और जब कभी उस न्यायालय के पास ऐसे किसी मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने का अवसर आता है तो उसे निचले न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है । द्वितीयतः, साधारण रूप से निचला न्यायालय उसी स्थान पर या उस स्थान के निकल अवस्थित होता है जहां वह प्राधिकारी अवस्थित है जिसके आदेश के परिणामस्वरूप पुनरीक्षण आवेदन किया गया है और यह सुगम और सुविधाजनक है तथा साथ ही इससे प्राधिकारी से उस निकट न्यायालय को अभिलेख अग्रेषित करने का समय भी बचता है जब पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है और पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा होने के पश्चात् अभिलेख को वापस अधिकारी के पास भेजना भी सुविधाजनक होता है जिससे वह सुगमता से मामले का निपटारा कर सके । तृतीयतः, इससे इस बात में भी सहायता प्राप्त होती है कि उच्चतर न्यायालय में ऐसे मामलों की बाढ़ न आ जाए जिन्हें उपयुक्त रूप से निचले न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है । साधारण रूप से सदैव कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए उच्च

न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां किसी मामले के संबंध में समवर्ती अधिकारिता विद्यमान है, वहां किसी पक्षकार को सामान्य रूप से सर्वप्रथम निचले न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए । किन्तु यह नियम कोई आत्यंतिक नियम नहीं है । इस नियम को न्यायानुसार लागू किया जाना चाहिए । ऐसा कोई मामला हो सकता है जहां उस समय न्याय का हित असफल हो सकता है यदि किसी पक्षकार से यह अपेक्षा की जाए कि वह उच्च न्यायालय से संपर्क करने से पूर्व निचले न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे । इस नियम को न्याय के हितों के सामने झुकना होगा ।' (पैरा 6)

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

*** *** ***

*** *** ***

*** *** ***

9. वर्तमान मामला इस प्रकार का मामला नहीं है । ये मामले जमानत से संबंधित मामले हैं । सेशन न्यायाधीश द्वारा ऐसे मामलों में प्रभावी अनुतोष प्रदान किया जा सकता है । उनके पास वही शक्तियां विद्यमान हैं जो इस न्यायालय के पास हैं । अतः, ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न के संबंध में कार्यवाही करते समय शेर सिंह वाला मामला अधिक सुसंगत है ।

10. नई संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात्, ऐसे अनेक व्यक्ति, जिन्हें राज्य भर में फैले विभिन्न पुलिस थानों द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है और जो गैर जमानतीय अपराधों में संलिप्त हैं और जिनमें से अनेक गंभीर प्रकृति के भी नहीं हैं, सीधे इस न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं । ऐसे सभी मामलों में राज्य अभियोजक, जिसे सुनना हमारे लिए आवश्यक है, को स्थानीय पुलिस से अनुदेश प्राप्त करने होते हैं और अनेक मामलों में ऐसे पुलिस थाने दुरस्थ स्थानों पर

अवस्थित हैं । इसके कारण आवश्यक रूप से अत्याधिक लोक समय और ऊर्जा व्यर्थ हो रही है । यदि पक्षकार सर्वप्रथम जिले के सेशन न्यायाधीश के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करता है तो वह वहां से वांछनीय अनुतोष प्राप्त कर सकता है और स्थानीय लोक अभियोजक के लिए भी आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस से संपर्क करना सुगम होगा कि जिससे कि वह सेशन न्यायालय की सहायता कर सकता है । विद्वान् न्यायाधीश (मुख्य न्यायमूर्ति पाठक) ने विशेष रूप से इन सुसंगत विचारों को संज्ञान में लिया कि 'इस प्रकार का व्यवहार/प्रक्रिया उच्च न्यायालय पर पड़ने वाले दबाव को कम करेगा । अन्यथा उच्च न्यायालय के पास ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी जो अधिक उपयुक्त रूप से निचले न्यायालय द्वारा निपटाए जा सकते हैं ।' यदि एक दशक पूर्व वर्ष 1972 में इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान थीं तो वर्तमान समय में प्रत्येक उच्चतर न्यायालय अपनी क्षमता से अधिक मामलों पर विचार कर रहा है और अधिकाधिक व्यक्ति, जो वर्तमान समय में अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, अधिक संख्या में उच्चतर न्यायालयों से संपर्क कर रहे हैं ।"

12. गुजरात उच्च न्यायालय ने **रमेशचंद्र काशीराम वोरा** (उपरोक्त) वाले मामले में अपने निर्णय के पैरा 10 में इसी प्रकार का मत अवधारित किया है, जो निम्नानुसार है :–

"10. मैं सादर इन दो मामलों में स्थापित अनुपात को स्वीकार करता हूं । मेरी यह राय है कि सेशन न्यायालय को छोड़कर अग्रिम जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय में फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन पर कार्यवाही करना उत्तम न्यायिक विवेक का प्रयोग किए जाने का समतुल्य नहीं है । सामान्यतः, सेशन न्यायालय अभियुक्त के निकट अवस्थित होता है और वह उसे सुगमता से उपलब्ध होता है तथा सुसंगत धारा के अधीन अग्रिम जमानत संबंधी उपचार के संबंध में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की शक्तियां एक समान हैं और यह विश्वास करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है कि सेशन न्यायालय विधि के

अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा और वह ऐसे मामलों में उपयुक्त आदेश पारित नहीं करेगा । किसी मामले में यदि कोई अभियुक्त व्यथित है तो वह अतिरिक्त उपचार के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और इस संबंध में कोई वर्जन विद्यमान नहीं है तथा वह उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए कोई सारवान् आवेदन प्रस्तुत कर सकता है या उक्त संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के पास सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों का फायदा भी उपलब्ध होगा । केवल आपवादिक मामलों या विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को सीधे ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसी आपवादिक तथा विशेष परिस्थितियां वास्तव में आपवादिक होनी चाहिए और सेशन न्यायालय के समक्ष न जाने तथा सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क किए जाने संबंधी विधिमान्य और अकाट्य कारण विद्यमान होने चाहिए । उच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत के आवेदनों पर सीधे कार्यवाही कर सकता है, जहां लोक अभियोजक अन्वेषण अधिकारी को बुलाए बिना अपना कार्य उचित रूप से कर सकता है । ऐसे अनेक मामलों के उदाहरण विद्यमान हैं जहां एक ही दिन में अग्रिम जमानत आवेदनों का निपटारा करके अंतिम रूप से अग्रिम जमानत मंजूर की जा सकती है । जहां तथ्य इतने सुस्पष्ट हैं कि न्यादेश जारी किया जा सकता है और उसे उसी दिन आत्यंतिक बनाया जा सकता है तो वहां उच्च न्यायालय आवेदन को खारिज न करते हुए अभियुक्त को इस प्रकार के निदेश जारी कर सकेगा कि वह सर्वप्रथम सेशन न्यायालय में जाए । यदि ऐसे अन्य मामलों में न्यादेश जारी किया जाना अपेक्षित है और लोक अभियोजक को अन्वेषण अधिकारी से संपर्क करने हेतु कुछ समय अपेक्षित है और यदि आवश्यक हो तो अन्वेषण अधिकारी को बुलाना भी उचित प्रतीत होता है तो ऐसे मामलों में ऐसे समयांतराल के दौरान

अंतरिम जमानत नहीं मंजूर की जाती है तो आवेदन निष्फल हो जाएगा और यदि अंतरिम जमानत मंजूर कर दी जाती है और इस प्रकार गिरफ्तारी में विलंब हो जाता है तो ऐसे में कभी-कभार अन्वेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । ऐसे मामलों में सेशन न्यायालय से बचने का विकल्प भी सदभावी प्रतीत नहीं हो सकेगा । जब किसी अभियुक्त के पास साधारण और समान रूप से प्रभावी उपचार सेशन न्यायालय में उपलब्ध है तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय को सीधे ऐसे किसी आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु मनाने के लिए विशेष और आपवादिक मामला स्थापित करने के लिए विशेष और सुदृढ़ कारण अपेक्षित होंगे ।"

13. बम्बई उच्च न्यायालय ने **मोहनलाल** (उपरोक्त) वाले मामले में भी समान मत अभिव्यक्त किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन कोई आवेदन फाइल करने के लिए सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में से न्यायालय को चुनने का विकल्प अभियुक्त के निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता । गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा **रमेशचंद काशीराम बोरा** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिलिखित किए गए निर्णय तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **छज्जु राम** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 29 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

"29. ..... मेरी राय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 आवेदक को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है कि वह संहिता की धारा 438 के अधीन उपचार की ईप्सा करने हेतु मंच का चयन कर सके । यद्यपि, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक संहिता की धारा 438 के अधीन सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है और उच्च न्यायालय विधि के अनुसार उस पर कार्यवाही कर सकता है, किन्तु मेरी राय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय

[1] (1978) क्रिमिनल ला जर्नल 608.

उच्च न्यायालय के लिए यह पूर्णतया न्यायोचित होगा कि वह सीधे उच्च न्यायालय में गुणागुण के आधार पर अग्रिम जमानत की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन पर कार्यवाही करने से पूर्व आपवादिक कारणों और परिस्थितियों पर बल दे । इस न्यायालय ने सतत् रूप से इस व्यवहार का अनुसरण किया है कि आवेदक को उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व सेशन न्यायालय से संपर्क करना चाहिए । अत:, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि यद्यपि, अग्रिम जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय में फाइल किए गए किसी आवेदन पर कार्यवाही की जा सकती है किन्तु उच्च न्यायालय तब तक ऐसे किसी आवेदन पर गुणागुण के आधार पर विचार न करने के लिए हकदार होगा तथा यह तब तक न्यायोचित होगा जब तक कि आपवादिक कारण विद्यमान न हों ।"

14. आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री रमाकांत मिश्रा द्वारा **कामता गारा ब्रह्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है और उक्त निर्णय के पैरा 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :–

"17. अत:, यह आवश्यक है कि सामान्यत: किसी व्यक्ति/अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन या उक्त संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए आवेदन सर्वप्रथम सेशन न्यायालय के समक्ष फाइल करना चाहिए और उसके पश्चात् वह उच्च न्यायालय के पास जा सकता है । तथापि, यह कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका अत्यंत कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए । आपवादिक परिस्थितियों में कोई व्यक्ति/अभियुक्त सीधे उच्च न्यायालय के पास जा सकता है । ऐसी परिस्थितियों को नीचे उद्धृत किया गया है जिनके अधीन कोई व्यक्ति/अभियुक्त सीधे उच्च न्यायालय में ऐसा आवेदन फाइल कर सकता है –

(i) जब किसी अन्य राज्य के व्यक्ति/अभियुक्त को दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने हेतु आवेदन फाइल करना हो और यदि उसके लिए ऐसा आवेदन सीधे उच्च न्यायालय, जो दूरी को ध्यान में रखते हुए उसके समीप है, में फाइल करना सुविधाजनक हो तो ऐसे किसी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए ऐसे आवेदन को इस आधार पर, उसे पहले सेशन न्यायालय के पास जाना चाहिए तब तक खारिज किया जाना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि सेशन न्यायालय भी उसी स्थान पर अवस्थित न हो ।

(ii) जब कभी किसी सेशन अधिकारिता के अधीन कोई विशिष्ट घटना या अपराध आम जनता और मीडिया का अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है और उक्त घटना या अपराध के अभियुक्त के संबंध में प्रतिकूल लोकमत तैयार हो गया है तो ऐसे किसी मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के आवेदन और उक्त संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत के आवेदन को सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया जा सकता है ।

(iii) जब सेशन न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/439 के अधीन जमानत मंजूर किए जाने संबंधी किसी आवेदन को पहले ही खारिज कर दिया है और जहां उक्त घटना में संलिप्त कोई व्यक्ति/अभियुक्त भी समान परिस्थिति के अधीन है वहां ऐसे व्यक्ति/अभियुक्त के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जमानत मंजूर किए जाने के लिए सेशन न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे और ऐसी परिस्थिति में वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/439 के अधीन सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है ।"

15. आवेदक की विद्वान् काउंसेल सुश्री नौशीना अली ने **बरुण चंद्र ठाकुर** (उपरोक्त) वाले मामले का अवलंब लिया है जिसमें सीधे उच्च

न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए आवेदन को स्वीकार किया गया था और उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से इनकार करने का कारण यह था कि मामला मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया में काफी उछाला गया था और उसने बड़ी संख्या में जनता का ध्यान आकर्षित किया था जिससे यह तात्पर्य है कि वह एक आपवादिक मामला था ।

16. इस प्रकार ऊपर निर्दिष्ट अनेकों निर्णयों में इसी सिद्धांत को अपनाया गया है कि यद्यपि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 किसी उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को समवर्ती अधिकारिता प्रदान करती है किन्तु सामान्यत: ऐसा कोई आवेदन सर्वप्रथम सेशन न्यायालय के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और न कि सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष । उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे आवेदन फाइल करने के लिए आवेदक को यह उपदर्शित करना होगा तथा उच्च न्यायालय का इस संबंध में समाधान करना होगा कि ऐसी आपवादिक दुर्लभ या असामान्य परिस्थितियां या कारण विद्यमान हैं जिनके परिणामस्वरूप आवेदक ने सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क किया है ।

17. मात्र इस कारण से कि अभियुक्त के पास गुणागुण के आधार पर एक उत्तम मामला है, वह सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन फाइल नहीं कर सकता और उपरोक्त कारण सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए आधार नहीं हो सकता क्योंकि यदि किसी अभियुक्त के पास गुणागुण के आधार पर उत्तम मामला विद्यमान है और पुलिस के पास अभियुक्त को मामले में फंसाने हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि विद्यमान सेशन न्यायाधीश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन नहीं करेंगे और अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे ।

18. हमने वर्तमान जमानत आवेदनों के गुणागुण के संबंध में कोई विचार नहीं किया है क्योंकि हमें वर्तमान मामले में ऐसी कोई आपवादिक परिस्थितियां दिखाई नहीं दी हैं जो आवेदकों को सीधे उच्च न्यायालय के

समक्ष अग्रिम जमानत संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु हकदार बनाए । गुणागुण के संबंध में हमारे द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण सेशन न्यायालय के समक्ष आवेदक के मामले को प्रभावित कर सकता है और इसलिए हम, उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे फाइल किए गए इन दो जमानत आवेदनों को इस आधार पर खारिज करते हुए कि वे चलाए जाने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक आपवादिक परिस्थितियों को उपदर्शित करने में असमर्थ रहे हैं, आवेदकों के पक्ष में यह राय व्यक्त करते हैं कि वे सर्वप्रथम सेशन न्यायालय के पास जाएं और उसके पश्चात् यदि आवश्यक हो, तो उच्च न्यायालय के पास अपनी प्रार्थना पुन: प्रस्तुत करें ।

19. चूंकि, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे फाइल किए गए ये दो जमानत संबंधी आवेदन चलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए हम आवेदकों को मंजूर की गई अंतिम सुरक्षा को जारी रखने की प्रार्थना को भी अस्वीकार करते हैं, तथापि, सेशन न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि जब भी आवेदक सेशन न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत संबंधी आवेदनों को प्रस्तुत करें तो वह शीघ्रातिशीघ्र उक्त अग्रिम जमानत संबंधी आवेदनों का विनिश्चय करे ।

20. परिणामत: दोनों आवेदनों को इस आधार पर खारिज किया जाता है कि वे चलाए जाने योग्य नहीं है और इस संबंध में ऊपर कथित किए गए अनुसार संप्रेक्षण किए जाते हैं ।

याचिका खारिज की जाती है ।

पु.

**अब्दुल मनन**

बनाम

**त्रिपुरा राज्य**

(2018 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 73)

तारीख 17 मार्च, 2021

**न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय**

**वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) – धारा 42 [सपठित त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952, नियम 13] – अभियोजन पक्ष द्वारा याची के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि वह अप्राधिकृत रूप से सागवान वृक्ष के 23 अचिह्नित कटे हुए तनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिवहन कर रहा था – अभियुक्त/याची द्वारा अपने इस अपराध की स्वीकारोक्ति किया जाना कि वह वन उत्पाद की उदयपुर से बांग्लादेश को तस्करी करने के कार्य में संलिप्त था – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में संगत, पुष्टिकारक और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – अभियुक्त द्वारा अपने कब्जे में मौजूद वन उत्पाद के औचित्य को स्थापित करने में असफल रहना – याची द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी प्रकार की सारवान् सामग्री को अभिलेख पर प्रस्तुत करने में असफल रहना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में लेते हुए याची की दोषसिद्धि सर्वथा उचित प्रतीत होती है और अपील न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।**

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पबित्र कुमार जमातिया (अभि. सा. 1), वन संरक्षण ईकाई, गर्जी के प्रभारी अधिकारी ने तारीख 1 फरवरी, 2016 को उदयपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक अभियोजन रिपोर्ट दर्ज की जिसमें यह अभिकथन किया गया कि उस दिन प्रात: लगभग 11.30 बजे उसने अपने अन्य वन कर्मचारिवृन्द के साथ पित्रा से उदयपुर जा रहे एक यान, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टी.आर. 03 बी -

1879 था, को निरुद्ध किया । जब उन्होंने उक्त यान को रोका तो उसके तुरंत पश्चात् यान का चालक अन्य तीन सह-यात्रियों के साथ घटनास्थल से भाग गया । किन्तु याची भागने में सफल नहीं हो सका । उक्त यान की भलीभांति तलाशी ली गई और यह पाया गया कि उक्त यान में कुल 23 अचिह्नित आकार के सागवान वृक्ष के कटे हुए तने लदे थे, जिनका अभिग्रहण किया गया और साथ ही याची को भी निरुद्ध किया गया । पूछताछ किए जाने पर याची ने वन पैट्रोलिंग दल के समक्ष इस तथ्य के संबंध में स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की कि वह काफी लंबे समय से वन उत्पादों की उदयपुर से बांग्लादेश को तस्करी करने के कार्य में संलिप्त है । उसके पश्चात् न्यायालय के समक्ष अभियोजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अभियुक्त को भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभिकथित अपराध की विशिष्टियों के संबंध में याची को स्पष्टीकरण प्रदान किया, जिसके उपरांत याची ने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया । तद्नुसार, अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारण आरंभ किया गया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् याची को दोषी पाया और तद्नुसार उसे वन अधिनियम की धारा 42 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया । याची द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपने उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के माध्यम से निम्नानुसार संप्रेक्षण करते हुए याची की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश की अभिपुष्टि की । अपील न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर याची ने उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की है । उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में, सागवान वृक्ष के कटे हुए सभी तनों, जिनका अभिग्रहण उस यान से किया गया था जिसमें याची यात्रा कर रहा था, पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह विद्यमान नहीं था और स्पष्ट रूप से याची किसी प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी अनुमति पत्र के बिना उक्त यान में उन वन उत्पादों का

अभिवहन कर रहा था । राज्य सरकार ने वन अधिनियम की धारा 41 के अधीन उपबंधित शक्ति का प्रयोग करते हुए त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952 को विरचित किया है । उक्त त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952 का नियम 13 इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करता है जो छह मास तक की अवधि का कारावास या 500/- रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकेगा । वन अधिनियम की धारा 42 में भी उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध किया गया है । उक्त धारा यह उपबंध करती है कि धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विरचित नियम, ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियों को विहित कर सकेंगे जिसमें ऐसी अवधि का कारावास सम्मिलित होगा जो छह मास तक की हो सकेगी या 500/- रुपए का जुर्माना या दोनों को अधिरोपित किया जा सकेगा । याची अभिलेख पर ऐसी कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे अभियोजन साक्षियों द्वारा अभिकथित अपराध में उसके संलिप्त होने के संबंध में प्रस्तुत किए गए संगत, पुष्टिकारक और ठोस साक्ष्य को विश्वसनीय न समझा जाए । अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि याची के संबंध में यह पाया गया है कि वह अपने यान में सागवान वृक्ष के 23 अचिह्नित कटे हुए तनों को अप्राधिकृत रूप से एक स्थान से अन्य स्थान की ओर ले जा रहा था और इस प्रकार उसने त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन किया है जिसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण के पश्चात् उस पर शास्ति अधिरोपित की गई है । उस पर अधिरोपित शास्ति संबंधी निर्णय की अभिपुष्टि अपील न्यायालय में भी मामले के अभिलेखों की ब्यौरेवार समीक्षा तथा विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए साक्ष्य के पुन: मूल्यांकन के पश्चात् की है । इस प्रकार, अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामत: पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया जाता है । याची, अब्दुल मनन को यह निदेश दिया जाता है कि वह आज की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण करे और स्वयं पर अधिरोपित दंडादेश को पूरा करे, जिसमें असफल रहने पर विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आदेशिका जारी करके न्यायालय के समक्ष उसकी

उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा तथा इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि वह अपने दंडादेश को पूरा करता है । (पैरा 16, 17, 18, 19 और 20)

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 73.**

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर द्वारा वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 9 में दिए गए तारीख 7 सितम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

**याची की ओर से** सुश्री मोनालिसा पॉल

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री एस. देबनाथ, अपर लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय** – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर द्वारा वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 9 में दिए गए तारीख 7 सितम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपने उक्त आक्षेपित निर्णय के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर द्वारा दांडिक मामला सं. सीआर(एफ)1/2016 में पारित तारीख 18 जनवरी, 2018 के उस दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश की अभिपुष्टि की है, जिसके द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'वन अधिनियम' कहा गया है) की धारा 42 के अधीन याची को सिद्धदोष ठहराते हुए उस पर तीन मास के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया था और व्यतिक्रम अनुबंध के साथ उस पर 500/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था ।

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि निम्नानुसार है :–

पबित्र कुमार जमातिया (अभि. सा. 1), वन संरक्षण ईकाई, गर्जी के प्रभारी अधिकारी ने तारीख 1 फरवरी, 2016 को उदयपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक अभियोजन रिपोर्ट दर्ज की जिसमें यह अभिकथन किया गया कि उस दिन

प्रात: लगभग 11.30 बजे उसने अपने अन्य वन कर्मचारिवृन्द के साथ पित्रा से उदयपुर जा रहे एक यान, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टी.आर. 3 बी 1879 था, को निरुद्ध किया । जब उन्होंने उक्त यान को रोका तो उसके तुरंत पश्चात् यान का चालक अन्य तीन सह-यात्रियों के साथ घटनास्थल से भाग गया । किन्तु याची भागने में सफल नहीं हो सका । उक्त यान की भलीभांति तलाशी ली गई और यह पाया गया कि उक्त यान में कुल 23 अचिन्हित आकार के सागवान वृक्ष के कटे हुए तने लदे थे, जिनका अभिग्रहण किया गया और साथ ही याची को भी निरुद्ध किया गया । पूछताछ किए जाने पर याची ने वन पैट्रोलिंग दल के समक्ष इस तथ्य के संबंध में स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की कि वह काफी लंबे समय से वन उत्पादों की उदयपुर से बांग्लादेश को तस्करी करने के कार्य में संलिप्त है । उसके पश्चात् न्यायालय के समक्ष अभियोजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अभियुक्त को भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

3. विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभिकथित अपराध की विशिष्टियों के संबंध में याची को स्पष्टीकरण प्रदान किया, जिसके उपरांत याची ने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया । तद्नुसार, अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारण आरंभ किया गया और विचारण के दौरान शिकायतकर्ता सहित पांच अभियोजन साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को लेखबद्ध किया गया । अन्य साक्षियों में वन गार्ड, अर्थात् श्री रासामोय देबनाथ (अभि. सा. 2), श्री किंकर चकमा (अभि. सा. 3), श्री दिनेश देबबर्मा (अभि. सा. 4) और श्री सुखेन्दु चौ. डे (अभि. सा. 5) सम्मिलित थे । उनके मौखिक कथनों के अलावा अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष चार दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जिन्हें प्रदर्श-1 से प्रदर्श-4 के रूप में चिन्हित किया गया तथा याची के कब्जे से अभिग्रहण किए गए सागवान के तनों को प्रदर्श एमओ-1 के रूप में चिन्हित किया गया । याची को उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य के दौरान सामने आई परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर भी प्रदान किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा के दौरान विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने याची को मामले में फंसाने वाले साक्ष्य के संबंध में ब्यौरेवार स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए । याची ने साधारण रूप से अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया और यह दावा किया कि उसे एक मिथ्या मामले में फंसाया गया है ।

4. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् याची को दोषी पाया और तद्नुसार उसे वन अधिनियम की धारा 42 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया । विचारण न्यायालय ने इस संबंध में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंधों के अधीन याची फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, याची को तीन मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया और साथ ही उस पर व्यतिक्रम अनुबंध के साथ 500/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । याची द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपने उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के माध्यम से निम्नानुसार संप्रेक्षण करते हुए याची की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश की अभिपुष्टि की :–

> "11. अपीलार्थी के अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन के अलावा विभिन्न अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिसाक्ष्य भी अन्यथा स्वयं में इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु पर्याप्त है कि अपीलार्थी के कब्जे में अवैध सागवान वृक्ष के कटे हुए तने पाए गए थे जो अपराध में प्रयुक्त यान में लदे हुए थे और अपीलार्थी उक्त अवैध तनों के उसके कब्जे में होने के संबंध में कोई न्यायोचित कारण प्रस्तुत करने में असफल रहा है । अतः, समग्र रूप से इस बात में नितांत रूप से कोई संदेह नहीं है कि सिद्धदोष अपीलार्थी द्वारा वन अधिनियम की धारा 42 के अधीन दंडनीय अपराध किया गया है ।
>
> 12. उपरोक्त चर्चा और संप्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पहुंचकर कोई त्रुटि नहीं की है कि अभियोजन पक्ष ने अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने पक्षकथन को साबित किया है ।

जहां तक दंडादेश की तुलना में परिवीक्षा का संबंध है –

13. जहां तक दंडादेश का संबंध है, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभियुक्त वन से संबंधी अपराध किए जाने का दोषी है जिसके कारण पारिस्थितिकी पर्यावरण पर प्रतिकूल पड़ता है । वनों को नष्ट किया जाना पर्यावरण के प्रति एक गंभीर खतरा है । पृथ्वी का पारिस्थितिकीय संतुलन उत्तरजीविता के लिए अत्यंत आवश्यक है । वन, आक्सीजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो हमारी उत्तरजीविता का एक प्रमुख संघटक है । आक्सीजन के बिना हम एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते । वनों का नष्ट किया जाना वैश्विक तापक्रम वृद्धि और पर्यावरणीय प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व को प्रतिकूल परिणाम भोगने पड़ रहे हैं । इसलिए, ऐसे व्यक्ति, जो अवैध रूप से वनों को नष्ट किए जाने के कार्य में लिप्त हैं किसी भी प्रकार की दया के पात्र नहीं हैं और उनके लिए शून्य सहनशीलता की नीति होनी चाहिए । वस्तुतः, वन अधिनियम की धारा 42 के अधीन विहित दंड काफी कम प्रतीत होता है, अर्थात् जो कि मात्र छह मास का कारावास या 500/- रुपए का जुर्माना है । प्राचीन काल में किसी वृक्ष को काटने के लिए मृत्युदंड की शास्ति विहित की गई थी । वन को नष्ट करना संपूर्ण सभ्यता की उत्तरजीविता को नष्ट करने के प्रयास के तत्समान है । उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में मेरा मत यह है कि वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी जो वनों को नष्ट किए जाने के गंभीर अपराध का एक भागीदार है, परिवीक्षा के फायदा के लिए हकदार नहीं है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने उसे उक्त फायदा देने से इनकार करके उचित कार्य किया है ।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरा मत यह है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई सारवान् त्रुटि विद्यमान नहीं है और इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।"

5. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को विद्वान् सेशन न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल

किया गया था । इस न्यायालय ने वर्ष 2018 के अंतरिम आवेदन सं. 1 में तारीख 10 अक्तूबर, 2018 को पारित आदेश द्वारा याची के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश को निलंबित किया था तथा याची द्वारा 10,000/- रुपए का जमानत बंधपत्र और विचारण न्यायालय के समाधानप्रद रूप में समान रकम का एक प्रतिभूत प्रस्तुत किए जाने पर उसे जमानत पर निर्मुक्त किया था ।

6. याची की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् अधिवक्ता सुश्री मोनालिसा और साथ ही राज्य-प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस. देबनाथ को सुना ।

7. याचिका के समर्थन में मुख्यत:, निम्नलिखित प्रतिवाद सामने रखे गए हैं :–

(i) वर्तमान मामले में यद्यपि उस स्थान, जहां से याची को अभिकथित रूप से निरुद्ध किया गया था, पर अनेक आवासीय झोपड़ें अवस्थित हैं और उक्त झोपड़ों के निवासियों को सुगमता से वर्तमान मामले में साक्षी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता था फिर भी वन विभाग के पदधारियों के अलावा न्यायालय के समक्ष किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ii) याची के साथ एकतरफा व्यवहार करते हुए, अन्य अपराधियों को पकड़ने का कोई प्रयास किए बिना उसके विरुद्ध यत्नपूर्वक रीति में अभियोजन चलाया गया है । यद्यपि, अपराध में प्रयुक्त यान को भी निरुद्ध किया गया था फिर भी यान के स्वामी को वर्तमान मामले में लिप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । वन अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन याची के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया, वर्तमान मामले के संबंध में लागू नहीं होते हैं ।

(iii) निचले न्यायालय ने इस तथ्य को विचार में नहीं लिया कि हितबद्ध शासकीय साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मात्र के आधार पर की गई दोषसिद्धि विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

8. याची की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य याची को उक्त

अपराध के लिए दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं है । अतः, विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय से यह अनुरोध किया कि आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए ।

9. दूसरी ओर, श्री एस. देबनाथ, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि निचले न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं और इसलिए उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

10. अभिलेख के परिशीलन से यह तथ्य सामने आया है कि याची पर वन उत्पाद को अप्राधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखने तथा उसका अभिवहन करने हेतु अभियोजन चलाया गया था ।

11. श्री पबित्रा जमातिया (अभि. सा. 1), जो गोमती न्यायिक जिले में स्थित गर्जी के वन संरक्षक ईकाई का प्रभारी अधिकारी है, ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह वन गार्डों के साथ पैट्रोल ड्यूटी कर रहा था तो उस समय उन्होंने पित्रा से उदयपुर की ओर जा रहे एक ट्रक को रोका था जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक टीआर 3 बी 1879 था और उक्त यान की उनके द्वारा तलाशी ली गई जिसके दौरान उन्होंने यह पाया कि सागवान वृक्ष के 23 कटे हुए तने ट्रक में लदे हुए थे । ट्रक का चालक किसी प्रकार ट्रक में बैठे अन्य तीन व्यक्तियों के साथ घटनास्थल से फरार हो गया । याची भी ट्रक में मौजूद था किन्तु वह घटनास्थल से भागने में असफल रहा और उन्होंने उसे निरुद्ध किया तथा उन्होंने ट्रक में लदे सागवान वृक्ष के उक्त तनों का अभिग्रहण सूची (प्रदर्श-1) के माध्यम से अभिग्रहण किया और उसके पश्चात् इस अपराध के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिससे याची के विरुद्ध वन अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने के लिए अभियोजन चलाया जा सके । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 के समक्ष याची की ओर से अनेक प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए गए । अभि. सा. 1 को यह सुझाव दिया गया कि यह संपूर्ण मामला झूठा था और याची के कब्जे से किसी प्रकार का कोई वन उत्पाद अभिगृहीत नहीं किया गया था और वह किसी भी प्रकार से उक्त अपराध में संलिप्त नहीं था । अभि. सा. 1 ने

इन सभी सुझावों से इनकार किया । इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को प्रश्नगत नहीं किया जा सका ।

12. श्री रसामोय देबनाथ (अभि. सा. 2) एक वन गार्ड है जो सारवान् समय पर अभि. सा. 1 के साथ था और उसने अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य का समर्थन करते हुए पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत किया है । उसने यह कथन किया कि याची को उसकी उपस्थिति में निरुद्ध किया गया था और उस ट्रक से, जिसमें याची यात्रा कर रहा था, सागवान वृक्ष के 23 कटे हुए तने बरामद हुए थे ।

13. श्री किंकर चकमा (अभि. सा. 3), श्री दिनेश देबबर्मा (अभि. सा. 4) और श्री सुखेन्दु चौ. डे (अभि. सा. 5) ने भी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य के समर्थन में इसी प्रकार के कथन प्रस्तुत किए हैं । उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त उनके साक्ष्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सका ।

14. मामले के तथ्यों और विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह प्रश्न सामने आता है कि क्या वन अधिनियम की धारा 42 के अधीन याची की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश न्यायोचित है ।

15. वन अधिनियम को वन से संबंधित विधियों को समेकित करने, वन उत्पाद के सुचारू अभिवहन तथा लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर उदग्रहणीय शुल्क का सुव्यवस्थित करने हेतु अधिनियमित किया गया था ।

वन अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में अधिनियम की धारा 41 राज्य सरकार को सभी लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों के अभिवहन का विनियमन करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है । धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन यह उपबंध किया गया है कि अन्य बातों के साथ, ऐसे नियम ऐसी लकड़ी या अन्य उत्पादों का, अनुमति पत्र को जारी करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र के बिना या ऐसी अनुमति पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुसार के सिवाय अन्यथा आयात या निर्यात या अभिवहन को प्रतिषिद्ध कर सकते हैं ।

16. स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में, सागवान वृक्ष के कटे हुए सभी तनों, जिनका अभिग्रहण उस यान से किया गया था जिसमें याची यात्रा कर रहा था, पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह विद्यमान नहीं था और स्पष्ट रूप से याची किसी प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी अनुमति पत्र के बिना उक्त यान में उन वन उत्पादों का अभिवहन कर रहा था । राज्य सरकार ने वन अधिनियम की धारा 41 के अधीन उपबंधित शक्ति का प्रयोग करते हुए त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952 को विरचित किया है । उक्त नियमों का नियम 1 निम्नानुसार है :–

"1. (1) किसी भी लकड़ी या अन्य वन उत्पाद, जिसके अंतर्गत धारी और अंब्रेला हैंडल भी हैं, का अभिवहन पैरा 12 के अधीन के सिवाय किसी भूभाग, सड़क या सरिता के माध्यम से तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह किसी वन अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत न आती हो या अभिवहन करने वाले व्यक्ति के पास किसी वन अधिकारी द्वारा जारी अभिवहन अनुमति पत्र न हो जिसमें निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया गया हो –

(क) वन उत्पाद के स्वामी का नाम,

(ख) नगों की संख्या और वर्णन तथा लकड़ी की दशा में उसके आकार का वर्णन,

(ग) चिन्ह, यदि कोई हो, और

(घ) अभिवहन अनुमति पत्र जारी करने की तारीख तथा वह तारीख जिस तक वह प्रवृत्त बना रहेगा ।

(2) लकड़ी या जलावन लकड़ी से भिन्न वन उत्पाद को एकत्रित करने की अनुमति को मूल स्थान के वन बीट की अधिकारिता के भीतर वन उत्पाद के संचलन के संबंध में पर्याप्त समझा जाएगा । अपने मूल स्थान से लकड़ी और जलावन लकड़ी का विधिमान्य अभिवहन अनुमति पत्र के बिना बीट की अधिकारिता के भीतर या उसके बाहर किसी अन्य स्थान के लिए कोई संचलन नहीं किया जाएगा ।"

17. उक्त त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952 का नियम 13 इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करता है जो छह मास तक की अवधि का कारावास या 500/- रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकेगा ।

18. वन अधिनियम की धारा 42 में भी उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध किया गया है । उक्त धारा यह उपबंध करती है कि धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विरचित नियम, ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियों को विहित कर सकेंगे जिसमें ऐसी अवधि का कारावास सम्मिलित होगा जो छह मास तक की हो सकेगी या 500/- रुपए का जुर्माना या दोनों को अधिरोपित किया जा सकेगा । सुसंगत उपबंध निम्नानुसार है :–

> "**42 धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के भंग के लिए शास्ति** –
>
> (1) राज्य सरकार ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति के रूप में ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ऐसे नियमों द्वारा विहित कर सकेगी ।
>
> (2) ऐसे नियम उपबंध कर सकेंगे कि उन मामलों में, जिनमें अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयार करने के पश्चात् किया गया है या जहां कि अपराधी उसी प्रकार के अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चुका है, उपधारा (1) में वर्णित शास्तियों से दुगुनी शास्तियों लगाई जा सकेंगी ।"

पूर्वोक्त कानूनी उपबंधों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वन उत्पादों का अप्राधिकृत संचलन, राज्य सरकार द्वारा वन अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का विरचित किए गए त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो वन अधिनियम की धारा 42 के अधीन दंडनीय है ।

19. याची अभिलेख पर ऐसी कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे अभियोजन साक्षियों द्वारा अभिकथित अपराध में उसके संलिप्त होने के संबंध में प्रस्तुत किए गए संगत, पुष्टिकारक और ठोस साक्ष्य को विश्वसनीय न समझा जाए । अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि याची के संबंध में यह पाया गया है कि वह अपने यान में सागवान वृक्ष के 23 अचिन्हित कटे हुए तनों को अप्राधिकृत रूप से एक स्थान से अन्य स्थान की ओर ले जा रहा था और इस प्रकार उसने त्रिपुरा वन अभिवहन नियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन किया है जिसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण के पश्चात् उस पर शास्ति अधिरोपित की गई है । उस पर अधिरोपित शास्ति संबंधी निर्णय की अभिपुष्टि अपील न्यायालय में भी मामले के अभिलेखों की ब्यौरेवार समीक्षा तथा विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए साक्ष्य के पुन: मूल्यांकन के पश्चात् की है । इस प्रकार, अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामत: पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया जाता है ।

20. याची, अब्दुल मनन को यह निदेश दिया जाता है कि वह आज की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण करे और स्वयं पर अधिरोपित दंडादेश को पूरा करे, जिसमें असफल रहने पर विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आदेशिका जारी करके न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा तथा इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि वह अपने दंडादेश को पूरा करता है ।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है ।

निचले न्यायालय के अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाए ।

याचिका खारिज की जाए ।

पु.

**बिस्वाजीत घोष**

बनाम

**त्रिपुरा राज्य**

(2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 21)

तारीख 7 अप्रैल, 2021

**न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304क, 279 और 338 [सपठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 184] – सड़क पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो जाने के कारण मोटरसाइकिलों के चालकों और एक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर सवार व्यक्ति का आहत होना – इस प्रकार सड़क दुर्घटना में आई क्षतियों के कारण एक मोटरसाइकिल चालक की अस्पताल में मृत्यु हो जाना – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने अत्यंत तीव्र गति और उतावलेपन से मोटरसाइकिल का चालन करते हुए दूसरी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और इस प्रकार दूसरी मोटरसाइकिल के चालक की मृत्यु कारित की जो मानववध की कोटि में नहीं आती है – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त अत्यंत तीव्र गति से मोटरसाइकिल चला रहा था और वह उक्त दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था – वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा सड़क की चौड़ाई, दुर्घटना में संलिप्त यानों की सड़क पर स्थिति, सारवान् स्थान पर यातायात का घनत्व जैसे अनेक सुसंगत तथ्यों को अभिनिश्चित किए जाने के लिए समुचित अन्वेषण करने में असफल रहना जिसके कारण यह सुनिश्चित करना सुगम नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती के कारण घटित हुई और उसके लिए कौन-सा चालक वस्तुत: जिम्मेदार था – अभियुक्त को केवल इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना हेतु दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह अपनी मोटरसाइकिल का चालन तीव्र गति से कर रहा था । इस प्रकार अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त उतावलेपन तथा**

**उपेक्षापूर्वक अपने यान का चालन कर रहा था जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई और जिसके परिणामस्वरूप दूसरी मोटरसाइकिल के चालक की मृत्यु हो गई, अत: अभियुक्त दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।**

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 4 जनवरी, 2016 को श्री राखल चन्द्र दास द्वारा सायं लगभग 6.55 बजे कमालपुर पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया गया था कि उस दिन अपराह्न लगभग 3.25 बजे कलाचारी ग्राम पंचायत कार्यालय के पास कमालपुर - अंबासा मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी । इत्तिलाकर्ता के अनुसार माणिक भांडेर से कमालपुर जाते समय अमरदेब द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टीआर-04-7499 है, विपरीत दिशा से आ रही बिस्वाजीत घोष द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टी-04ए-6726 है, से टकरा गई । मोटरसाइकिलों की इस प्रकार हुई टक्कर से दोनों मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से आहत हो गए । स्थानीय लोगों के द्वारा तुरंत उन्हें कमालपुर जिला अस्पताल ले जाया गया । इत्तिलाकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि उक्त मोटरसाइकिलों को लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना घटित हुई । अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर कमालपुर थाना में मामला सं. 2015 केएमपी001 तारीख 4 जनवरी, 2016 को दर्ज किया गया । उक्त मामला दंड संहिता की धारा 279 एवं 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अधीन उक्त मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध दर्ज किया गया और उसके पश्चात् पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया । तारीख 5 जनवरी, 2016 को आहत चालक अमर चन्द्रदेब ने अगरतला के एजीएमसी तथा जीबीपी अस्पताल में उसे हुई क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया । तारीख 8 जनवरी, 2018 को उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कमालपुर द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा न्यायालय के अनुमोदन से अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के उद्देश्य से मामले में दंड संहिता की धारा 304-क को जोड़ा । अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने अपराध स्थल का दौरा किया और उसने अपराध स्थल का

स्थल-नक्शा तैयार किया जिसमें तात्विक स्थानों को दर्शाया गया है । तत्पश्चात्, मामले के तथ्यों से भिज्ञ तात्विक साक्षियों की उसके द्वारा परीक्षा की गई और उनके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया । पीड़ितों की क्षति रिपोर्ट और मृतक मोटरसाइकिल चालक की शव-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई और इस प्रकार के अन्वेषण के आधार पर तारीख 5 अप्रैल, 2016 को अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 279, 338, 304 भाग-II तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184 और 190 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 2016 के आरोप पत्र सं. 22 को प्रस्तुत किया गया । उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कमालपुर ने आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अपने तारीख 19 अप्रैल, 2016 के आदेश द्वारा मामले को प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायालय, कमालपुर को सौंप दिया । विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के मौलिक घटकों का वर्तमान मामले में गठन नहीं हो रहा था, इसलिए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने तारीख 4 मई, 2016 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 279, 338 और 304-क तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184 और 190(2) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का संज्ञान लिया । इस प्रकार याची के विरुद्ध विचारण आरंभ किया गया, जिसके पूरा हो जाने के पश्चात् याची को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश अधिरोपित किया गया । याची ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर उसे अपीली न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । अपीली न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अभिपुष्टि की । याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल करके अपीली न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने याचिका मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 4 मधुसूदन चक्रबर्ती, अभि. सा. 5 श्री उत्तम नामशूद्रा और अभि. सा. 11 श्री सुदाम ऋषिदास के अतिरिक्त इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । इन तीन साक्षियों में अभि. सा. 4 मधुसूदन चक्रबर्ती घटना के समय मृतक अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल पर

सवार था । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था क्योंकि वह अपने यान को तीव्र गति से चालन कर रहा था । श्री उत्तम नामशूद्रा ने कथन किया है कि वह घटना के समय कालाचारी पंचायत कार्यालय में घटनास्थल से 60 हाथ की दूरी पर था और उसने वहीं से दुर्घटना को देखा था । उसके अनुसार अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के द्वारा उतावलेपन से यान का चालन किए जाने के कारण यह दुर्घटना हुई । अभि. सा. 11 जिसे एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह सारवान् समय पर अपनी साइकिल से माणिक भांडेर से कमालपुर लौट रहा था । कालाचारी पर उसने अभियुक्त बिस्वाजीत घोष को अपनी मोटरसाइकिल तीव्र गति से चलाते हुए देखा । उसके अनुसार मृतक अमर चन्द्र देब अपनी मोटरसाइकिल धीमी गति से चला रहा था । अभि. सा. 11 ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के द्वारा उतावलेपन से यान का चालन किए जाने के परिणामस्वरूप दोनों मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हुई, जिससे दोनों चालकों और मोटरसाइकिल के पीछे सवार श्री मधुसूदन चक्रबर्ती को क्षतियां आई जो मृतक अभियुक्त अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहा था । याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल समर दास ने यह दलील दी है कि श्री राखल चौ. दास (अभि. सा. 1) द्वारा दर्ज कराई गई सूचना के आधार पर दुर्घटना में शामिल दोनों मोटरसाइकिल के चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था । चूंकि एक अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है इसलिए दूसरे अभियुक्त अर्थात् बिस्वाजीत घोष के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया है । तद्नुसार, विद्वान् काउंसेल के अनुसार तर्क हेतु यदि अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 11 के साक्ष्यों पर विश्वास कर लिया जाए तो भी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान का चालन किए जाने के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसके पश्चात् विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान के चालन के लिए अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को न्यायोचित नहीं ठहराती है । दूसरी ओर विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस घोष ने यह प्रतिवाद किया

है कि अभियुक्त के विरुद्ध उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्वक यान का चालन करने के आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य इतने संगत हैं कि निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है अत:, विद्वान् काउंसेल ने वर्तमान याचिका को खारिज करने का आग्रह किया । वर्तमान मामले में, अन्वेषण अधिकारी के द्वारा सड़क की चौड़ाई, उसकी स्थिति, सारवान् स्थान पर यातायात का घनत्व तथा दुर्घटना के समय मौजूद उल्लंघनकारी यान और साक्षियों एवं मृतक के सटीक अवस्थान के विषय में पता लगाने के लिए कोई भी अन्वेषण नहीं किया जिससे न्यायालय के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके ताकि न्यायालय यह जान सके कि वास्तव में दुर्घटना कैसे हुई और इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार था । इस प्रकार के साक्ष्य के अभाव में मात्र इस साक्ष्य के आधार पर याची को दोषी ठहराना अनुचित होगा कि उल्लंघनकारी यान तेज गति में था और दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई । ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष याची के विरुद्ध पर्याप्त, युक्तियुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान का चालन करने के आरोपों को स्थापित करने में विफल रहा है । परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण याचिका मंजूर की जाती है और अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । उसके जमानत बंधपत्रों का उन्मोचन किया जाता है । वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया जाता है । लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो (हों), का भी निपटारा किया जाएगा । (पैरा 29, 30, 31, 34 और 35)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2019] | (2019) 1 टी. एल. आर. 191 : **सुमन साहा** बनाम **त्रिपुरा राज्य** ; | 33 |
| [1998] | (1998) 8 एस. सी. सी. 493 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 95 : **कर्नाटक राज्य** बनाम **सतीश** ; | 32 |

[1975] (1975) 4 एस. सी. सी. 122 =
ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1324 :
**श्रीमती शकीला खादर और अन्य** बनाम
**नौशीर कामा और अन्य** । 32

**पुनरीक्षण (दांडिक) याचिका : 2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 21.**

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से अपर सेशन न्यायाधीश, धलाई न्यायिक जिला कमालपुर द्वारा वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 3 में पारित तारीख 20 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है ।

**याची की ओर** श्री समर दास

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री एस. घोष, अपर लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय** – याची ने उच्च न्यायालय में वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की है जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, धलाई न्यायिक जिला कमालपुर द्वारा 2018 की दांडिक अपील सं. 3 में पारित तारीख 20 दिसम्बर, 2018 के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कमालपुर द्वारा पीआरसी(डब्ल्यू-पी)20/2016 में पारित तारीख 9 जनवरी, 2018 के उस निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय ने याची पर निम्नानुसार दंडादेश अधिरोपित किया था :–

| **धारा** | **दंडादेश** | **जुर्माना** | **व्यतिक्रम दंडादेश** |
|---|---|---|---|
| दंड संहिता, 279 | - | 1000/- | - |
| दंड संहिता, 338 | 2 (दो) माह का कठोर कारावास | 1000/- | 10 (दस) दिन का साधारण कारावास |
| दंड संहिता, 304-क | 2 (दो) माह का कठोर कारावास | 2000/- | 15 (पंद्रह) दिन का साधारण कारावास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मोटरयान अधिनियम, 184 | - | 1000/- | 10 (दस) दिन का साधारण कारावास |

दंडादेश के संबंध में यह भी आदेश जारी किया गया कि वे एक साथ चलेंगे । विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अपील में पारित आक्षेपित निर्णय द्वारा अभिपुष्टि की गई । व्यथित याची ने वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका को फाइल करके अपीलीय न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है ।

2. अभियोजन के पक्षकथन की व्युत्पत्ति उस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर आधारित है जो तारीख 4 जनवरी, 2016 को श्री राखल चन्द्र दास द्वारा सायं लगभग 6.55 बजे कमालपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया गया था कि उस दिन अपराह्न लगभग 3.25 बजे कलाचारी ग्राम पंचायत कार्यालय के पास कमालपुर - अंबासा मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी । इत्तिलाकर्ता के अनुसार माणिक भांडेर से कमालपुर जाते समय अमरदेब द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टीआर-04-7499 है, विपरीत दिशा से आ रही बिस्वाजीत घोष द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टी-04ए-6726 है, से टकरा गई । मोटरसाइकिलों की इस प्रकार हुई टक्कर से दोनों मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से आहत हो गए । स्थानीय लोगों के द्वारा तुरंत उन्हें कमालपुर जिला अस्पताल ले जाया गया । इत्तिलाकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि उक्त मोटरसाइकिलों को लापरवारी से चलाने के कारण दुर्घटना घटित हुई ।

3. अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर कमालपुर थाना में मामला सं. 2015 केएमपी 001 तारीख 4 जनवरी, 2016 को दर्ज किया गया । उक्त मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 279 एवं 338 तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 184 के अधीन उक्त मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध दर्ज किया गया और उसके पश्चात् पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया ।

4. तारीख 5 जनवरी, 2016 को आहत चालक अमर चन्द्र देब ने अगरतला के एजीएमसी तथा जीबीपी अस्पताल में उसे हुई क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया । तारीख 8 जनवरी, 2018 को उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कमालपुर द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा न्यायालय के अनुमोदन से अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के उद्देश्य से मामले में दंड संहिता की धारा 304-क को जोड़ा । अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने अपराध स्थल का दौरा किया और उसने अपराध स्थल का स्थल-नक्शा तैयार किया जिसमें तात्विक स्थानों को दर्शाया गया है । तत्पश्चात्, मामले के तथ्यों से भिज्ञ तात्विक साक्षियों की उसके द्वारा परीक्षा की गई और उनके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया । पीड़ितों की क्षति रिपोर्ट और मृतक मोटरसाइकिल चालक की शव-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई और इस प्रकार के अन्वेषण के आधार पर तारीख 5 अप्रैल, 2016 को अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 279, 338, 304 भाग-II तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184 और 190 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 2016 के आरोप पत्र सं. 22 को प्रस्तुत किया गया ।

5. उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कमालपुर ने आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अपने तारीख 19 अप्रैल, 2016 के आदेश द्वारा मामले को प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायालय, कमालपुर को सौंप दिया ।

6. विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के मौलिक घटकों का वर्तमान मामले में गठन नहीं हो रहा था, इसलिए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने तारीख 4 मई, 2016 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 279, 338 और 304-क तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 183, 184 और 190(2) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का संज्ञान लिया ।

7. विचारण के प्रारंभ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के प्रतिनिर्देश से आरोप का सार अभियुक्त याची को बताया गया जिसे यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है :–

"यह कि तारीख 4 जनवरी, 2016 को लगभग 15.25 बजे

कमालपुर - अम्बासा लोक मार्ग पर, कमालपुर पुलिस थाने के अंतर्गत कलाचारी स्थान पर अपनी मोटरसाइकिल (सुपर स्प्लेण्डर) जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टीआर-04ए-6726 है, का चालक होने के नाते आपने मोटरसाइकिल को इस प्रकार उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाया जिससे मानवीय जीवन के प्रति संकट उत्पन्न हुआ जिससे किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य था और आपने तद्द्वारा अमर चन्द्र देब को गंभीर उपहति और मधुसूदन चक्रवर्ती को उपहति कारित की जिसके परिणामस्वरूप तारीख 5 जनवरी, 2016 को आपके द्वारा कारित की गई क्षतियों के कारण अमर चन्द्र देब की मृत्यु हो गई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है और तद्द्वारा आपने दंड संहिता की धारा 279/338/337/304-क के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया और यह मेरे संज्ञान में है ।

द्वितीयतः, उसी तारीख तथा उसी समय और उसी स्थान पर आप जिस मोटरसाइकिल का चालन कर रहे थे उसका रजिस्ट्रीकरण सं. जीआर-04-ए-6726 है जिसका आप ऐसी गति पर या ऐसी रीति में चालन कर रहे थे जो वर्तमान मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक था, जिसके अंतर्गत घटनास्थल की स्थिति और जहां वाहन चलाया जा रहा था उस स्थान का उपयोग तथा यातायात की मात्रा जो घटना के समय यथार्थ रूप में थी या जिसका युक्तियुक्त रूप से उस स्थान पर होने की उपेक्षा की जा सकती थी और तद्द्वारा आपने मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अधीन दंडनीय खतरनाक रूप से मोटरयान चलाने का दंडनीय अपराध कारित किया है, जिसका मैं संज्ञान लेता हूं ।

तृतीयतः, आपके द्वारा उसी तारीख, समय तथा उसी स्थान पर जिस मोटरसाइकिल का चालन किया जा रहा था, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टीआर-04ए-6726 है और जिसका आप मोटरयान अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं का उल्लंघन करते हुए चालन कर रहे थे और इसलिए आपके द्वारा मोटरयान

अधिनियम की धारा 183 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया गया है जो कि मेरे संज्ञान में है ।

चतुर्थतः, आपके द्वारा उसी तारीख, उसी समय तथा उसी स्थान पर जिस मोटरसाइकिल का चालन किया जा रहा था, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. टीआर-04ए-6726 है जिसका आपके द्वारा सड़क सुरक्षा, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करते हुए चालन किया गया और इसलिए आपके द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 190(2) के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया गया है जो कि मेरे संज्ञान में है ।"

अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया ।

8. अभियुक्त के विरुद्ध पक्षकथन को साबित करने के लिए विचारण के दौरान इत्तिलाकर्ता और अन्वेषण अधिकारी सहित 17 अभियोजन साक्षियों (अभि. सा. 1 से अभि. सा. 17) की परीक्षा की गई तथा अभियोजन पक्ष की ओर से 17 दस्तावेजों (प्रदर्श-1 से प्रदर्श-17) प्रस्तुत किए गए । तत्पश्चात्, तारीख 9 नवम्बर, 2017 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन की गई अभियुक्त की परीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अभियुक्त को अपराध में संलिप्त करने वाली सामग्री को उसके समक्ष स्पष्ट किया गया । अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक् किया और उसने दावा किया कि आरोप उस पर थोपे गए हैं । उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्षी पेश करने से इनकार कर दिया ।

9. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री समर दास और राज्य प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस. घोष को सुना ।

10. पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान देने से पूर्व विचारण के दौरान अभिलिखित साक्ष्यों पर एक दृष्टि डालना उचित होगा ।

11. जैसा कि उल्लेख किया गया है, दुर्घटना में दो मोटरसाइकिल शामिल थी और उन यानों के दोनों चालकों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट दर्ज की गई थी । घटना के एक दिन पश्चात् आहत व्यक्तियों में से एक चालक अमर चन्द्र देब की उसे हुई क्षतियों के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई । अन्य अभियुक्त अर्थात् बिस्वाजीत घोष विचारण का सामना कर रहा है । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षियों में, अभि. सा. 1 श्री राखल चन्द्र दास मोटरसाइकिलों की टक्कर होने पर तेज आवाज सुनने के पश्चात् अपने निकट स्थित कार्यालय से निकलकर घटनास्थल पर पहुंचा । घटनास्थल पर पहुंचकर उसने देखा कि दोनों मोटर साइकिलें सड़क पर पड़ी हैं और अभियुक्त चालकों में से एक चालक अमर चन्द्र देब की स्थिति गंभीर बनी हुई है । अभि.सा. 1 ने यह कथन किया कि उसे स्थानीय लोगों के माध्यम से घायल चालकों का नाम पता चला । उसके तुरंत पश्चात् वह अन्य लोगों के साथ एक ऑटो रिक्शा में घायल अमर चन्द्र देब को अस्पताल ले गया । जब पुलिस द्वारा घटना स्थल का दौरा किया गया तब उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखकर पुलिस को प्रस्तुत की । उसकी शनाख्त के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित है । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे नहीं पता कि दुर्घटना किस प्रकार हुई और दोनों आरोपी चालकों में से किसकी गलती थी क्योंकि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी ।

12. इसी प्रकार, अभि.सा. 2 श्री दिलीप चंदा ने भी दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी । वह अपने घर के सामने वाली सड़क पर अपनी गाय को चारा डाल रहा था तभी उसने दो मोटरसाइकिलों की टक्कर की तेज आवाज सुनी । वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और देखा कि सड़क पर मोटर साइकिलें पड़ी हुई हैं, तथा आहत चालकों में से एक सड़क पर पड़ा हुआ है । आहत व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया । अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर अभि. सा. 2 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष के काउंसेल द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई । अभियोजन पक्ष के द्वारा इस प्रकार की प्रतिपरीक्षा के दौरान उससे कोई विरोधी तथ्य सामने नहीं आ सका । अभियुक्त द्वारा की गई प्रति परीक्षा के दौरान उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी और इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ।

13. अभि. सा. 3 श्री बाबुल दास ने यह कथन किया है कि उसे दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । उसने किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य नहीं दिया ।

14. अभि. सा. 4 श्री मधुसूदन चक्रवर्ती प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जो मृतक अभियुक्त अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठा था । अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि वह मृतक अभियुक्त अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल पर माणिक भांडेर से कमालपुर वापस आ रहा था । जब वे कालाचारी पहुंचे तो, अभियुक्त बिस्वाजीत घोष जो कि रजिस्ट्रीकरण सं. टीआर-04ए-6726 वाली मोटरसाइकिल चला रहा था, ने अकस्मात् विपरीत दिशा से आकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी । अभि. सा. 4 के अनुसार यह दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष अपनी मोटरसाइकिल अत्यधिक तेज गति से चला रहा था । दुर्घटना के परिणामस्वरूप अभि. सा. 4 मोटरसाइकिल से गिर गया और उसे घातक क्षतियां कारित हुईं । अमर चन्द्र देब जिसकी मोटरसाइकिल पर वह पीछे वाली सीट पर बैठा था, उसको भी गंभीर क्षतियां आईं । दोनों अभियुक्त चालकों को अस्पताल ले जाया गया और अंततः दोनों को जीबीपी अस्पताल निर्दिष्ट कर दिया गया, जहां अभियुक्त अमर चन्द्र देब ने अगले दिन अपनी क्षतियों के परिणामस्वरूप दम तोड़ दिया ।

15. प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त की ओर से साक्षी को कई सुझाव दिए गए । उसने उन सभी सुझावों से इनकार किया । अभि. सा. 4 ने इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष अपना यान अत्यधिक तेज गति से चला रहा था । उसने उस सुझाव से भी इनकार किया कि उसने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन प्रस्तुत किया है ।

16. अभि. सा. 5 श्री उत्तम नामशुदा ने यह कथन किया कि वह सारवान् समय पर कालाचारी पंचायत कार्यालय में सहायक के रूप में तैनात था । वहां से उसने अभियुक्त बिस्वाजीत घोष को तेज गति से अपने यान का चालन करते हुए देखा । उसने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया कि तेज गति से उसका तात्पर्य यह है कि मोटरसाइकिल टेढ़े-मेढ़े तरीके से चलाई जा रही थी । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अनुसार दोनों

मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हुई थी । जिसके परिणामस्वरूप मृतक अमर चन्द्र देब को गंभीर क्षति आई और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसका कार्यालय घटनास्थल से 50-60 हाथ की दूरी पर स्थित है । अभि. सा. 5 ने इस बात से इनकार किया कि उसने न्यायालय के समक्ष सत्य कथन नहीं किया है । उसने इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं था ।

17. अभि. सा. 6, मृतक की पत्नी श्रीमती पापी देब ने घटना के तुरंत पश्चात् अस्पताल में घायल पति अमर चन्द्र देब से मुलाकात की थी । उसने यह भी कथन किया है कि वह अस्पताल में यान पर पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति श्री मधुसूदन चक्रवर्ती और श्री सुदाम ऋषिदास से भी मिली । उन दोनों के माध्यम से उसे यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के द्वारा लापरवाही से मोटरसाइकिल का चालन करने के कारण यह दुर्घटना हुई थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 6 द्वारा यह कथन किया गया कि श्री मधुसूदन चक्रवर्ती उसके पति का सहकर्मी था जो उस तात्विक समय पर उसके पति की मोटरसाइकिल पर कमालपुर लौट रहा था । उसने इस बात से इनकार किया कि दुर्घटना बिस्वाजीत घोष के द्वारा उतावलेपन से यान चलाने के कारण नहीं हुई थी ।

18. अभि. सा. 7 श्री अर्जुन चन्द्र देब मृतक अमर चन्द्र देब का छोटा भाई है । इस अभि. सा. ने भी दुर्घटना को घटित होते हुए नहीं देखा लेकिन जब वह कमालपुर अस्पताल में अपने आहत ज्येष्ठ भाई को देखने गया तो वह आहत मधुसूदन चक्रवर्ती से भी मिला, जिसने उसे बताया कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष उस दिन अपनी मोटरसाइकिल अत्यंत तेज गति से चला रहा था और परिणामस्वरूप उसने उसके ज्येष्ठ भाई की मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मारी ।

19. इसी प्रकार का साक्ष्य अभि. सा. 8 श्री लिटन देब ने भी प्रस्तुत किया है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । उसे

स्थानीय लोगों से ज्ञात हुआ कि यह दुर्घटना अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के द्वारा उतावलेपन से मोटरसाइकिल चलाने के कारण हुई थी । अभि. सा. 8 बाद में अपने दामाद मधुसूदन चक्रवर्ती से मिलने अस्पताल गया था, जो मृतक अभियुक्त अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहा था ।

20. श्री बिकाश चंद्र दास (अभि. सा. 9) ने मात्र इतना ही कथन किया कि उसने घटनास्थल पर भीड़ देखी और उसे पता चला कि दो मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हुई है । अभियोजन पक्ष के द्वारा उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया । अभियोजन पक्ष के काउंसेल द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से अभियोजन पक्ष के समर्थन में कोई भी बात सामने नहीं आ सकी ।

21. इसी प्रकार से अभि. सा. 10 श्री पल्लब दास को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष के काउंसेल द्वारा अभि. सा. 10 की प्रतिपरीक्षा भी की गई । अभियोजन पक्ष के काउंसेल द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त को अपराध में फंसाने वाला कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया ।

22. अभि. सा. 11 श्री सुदाम ऋषिदास ने यह कथन किया कि उसने मृतक अमर चन्द्र देब को सड़क के बाईं ओर बहुत ही धीमी गति से मोटरसाइकिल का चालन करते हुए देखा था । मधुसूदन चक्रवर्ती (अभि. सा. 4) उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे सवार था । अकस्मात् अभियुक्त बिस्वाजीत घोष की मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से अत्यंत तेज गति से आई तथा मृतक अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल से टकरा गई । दो मोटरसाइकिलों की भीषण टक्कर के परिणामस्वरूप एक तेज आवाज हुई । इस दुर्घटना में दोनों अभियुक्त चालकों को घातक क्षतियां आई जिसके उपरांत दोनों को अस्पताल ले जाया गया । अपनी प्रति परीक्षा के दौरान अभि. सा. 4 ने अभियुक्त के इस सुझाव से इनकार किया कि याची घटना के समय अपना यान तेज गति से नहीं चला रहा था ।

23. अभि. सा. 12 डा. सुदीप कुमार अचारजी जिला अस्पताल कमालपुर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात था । उसने घटना के

तुरंत पश्चात् अस्पताल में आहत चालकों और आहत मधुसूदन चक्रवर्ती का उपचार किया और उन सभी व्यक्तियों के शरीर पर सड़क यातायात दुर्घटना से हुई क्षतियों को पाया । मरीजों को एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल अगरतला निर्दिष्ट किया गया ।

24. अभि. सा. 13 श्री चक्रपाणि दास मोटरयान निरीक्षक है जिसने यह कथन किया कि तारीख 4 मार्च, 2016 अर्थात् घटना के दो माह पश्चात् उसने कमालपुर पुलिस थाना परिसर में दुर्घटना में संलिप्त मोटरसाइकिलों की परीक्षा की । इस परीक्षा के दौरान उसने दोनों यानों के अग्रभाग को क्षतिग्रस्त पाया । उनके अनुसार घटना के समय दोनों यानों में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी ।

25. अभि. सा. 14 उप निरीक्षक श्री स्वप्न बर्मन ने वर्तमान मामले का अन्वेषण किया । उसने कथन किया कि उसके द्वारा किए गए अन्वेषण के दौरान उसने सारवान् साक्षियों की परीक्षा की तथा उसने उल्लंघनकारी मोटरसाइकिलों को भी अभिगृहीत किया और उन मोटरसाइकिलों की परीक्षा मोटरयान निरीक्षक से करवाई तथा साथ ही मृतक अमर चन्द्र देब की शवपरीक्षा रिपोर्ट सहित दुर्घटना में आहत हुए व्यक्तियों की क्षतियों संबंधी रिपोर्ट भी प्राप्त की तथा उपेक्षापूर्वक यान चालन करके मृतक अमर चन्द्र देब की मृत्यु कारित करने के लिए अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

26. अभि. सा. 15, अमर चन्द्र देब के चचेरे भाई बिजॉय कुमार देब ने यह कथन किया है कि उसने उस अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किया था जिसके द्वारा पुलिस ने उसके मृतक भाई के यान संबंधी दस्तावेजों का अभिग्रहण किया था ।

27. अभि. सा. 16, श्री तपन दास ने घटना के पश्चात् घटनास्थल का दौरा किया । उसने सड़क पर पड़ी दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिलों को देखा और आहत व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की । अभि. सा. 16 यह बताने में असमर्थ था कि दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ।

28. अभि. सा. 17, डा. प्रदीप्ता नारायण चक्रवर्ती ने तारीख 5

जनवरी, 2016 को अगरतला स्थित एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में मृतक अमर चन्द्र देब की शव-परीक्षा की । उक्त अभि. सा. के अनुसार अमर चन्द्र देब की मृत्यु सिर में कठोर और कुंद बल के प्रभाव से कारित हुई क्षति के कारण हुई थी । अभि. सा. 17 ने यह भी कथन किया कि सभी क्षतियां मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थी और समय के अनुसार हाल ही में हुई थी ।

29. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 4 मधुसूदन चक्रबर्ती, अभि. सा. 5 श्री उत्तम नामशूद्रा और अभि. सा. 11 श्री सुदाम ऋषिदास के अतिरिक्त इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । इन तीन साक्षियों में अभि. सा. 4 मधुसूदन चक्रबर्ती घटना के समय मृतक अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल पर सवार था । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था क्योंकि वह अपने यान का तीव्र गति से चालन कर रहा था । श्री उत्तम नामशूद्रा ने कथन किया है कि वह घटना के समय कालाचारी पंचायत कार्यालय में घटनास्थल से 60 हाथ की दूरी पर था और उसने वहीं से दुर्घटना को देखा था । उसके अनुसार अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के द्वारा उतावलेपन से यान का चालन किए जाने के कारण यह दुर्घटना हुई । अभि. सा. 11 जिसे एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह सारवान् समय पर अपनी साइकिल से माणिक भांडेर से कमालपुर लौट रहा था । कालाचारी पर उसने अभियुक्त बिस्वाजीत घोष को अपनी मोटरसाइकिल तीव्र गति से चलाते हुए देखा । उसके अनुसार मृतक अमर चन्द्र देब अपनी मोटरसाइकिल धीमी गति से चला रहा था । अभि. सा. 11 ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष के द्वारा उतावलेपन से यान का चालन किए जाने के परिणामस्वरूप दोनों मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हुई, जिससे दोनों चालकों और मोटरसाइकिल के पीछे सवार श्री मधुसूदन चक्रबर्ती (अभि. सा. 4) को क्षतियां आई जो मृतक अभियुक्त अमर चन्द्र देब की मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहा था ।

30. याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल समर दास ने यह दलील दी है कि श्री राखल चौ. दास (अभि. सा. 1) द्वारा दर्ज कराई गई

सूचना के आधार पर दुर्घटना में शामिल दोनों मोटरसाइकिल के चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था । चूंकि एक अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है इसलिए दूसरे अभियुक्त अर्थात् बिस्वाजीत घोष के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया है । तद्नुसार, विद्वान् काउंसेल के अनुसार तर्क हेतु यदि अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 11 के साक्ष्यों पर विश्वास कर लिया जाए तो भी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान का चालन किए जाने के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसके पश्चात् विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान के चालन के लिए अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को न्यायोचित नहीं ठहराती है ।

31. दूसरी ओर विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस घोष ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्वक यान का चालन करने के आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य इतने संगत हैं कि निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है अतः, विद्वान् काउंसेल ने वर्तमान याचिका को खारिज करने का आग्रह किया ।

32. अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 और अभि. सा. 11 के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि जिसने भी अभिकथित रूप से इस दुर्घटना को देखा था उनमें से प्रत्येक साक्षी ने यह कथन किया है कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि अभियुक्त बिस्वाजीत घोष अपनी मोटरसाइकिल को अत्यंत तेज गति से चला रहा था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्रीमती शकीला खादर और अन्य** बनाम **नौशीर कामा और अन्य**[1] वाले मामले में यह संप्रेक्षण किया है कि चालक की ओर से उतावलेपन तथा उपेक्षा को तय करने हेतु यान की गति ही एकमात्र मापदंड नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कर्नाटक राज्य** बनाम **सतीश**[2] वाले मामले में भी इसी प्रकार का संप्रेक्षण किया गया है जो निम्नानुसार है :–

---

[1] (1975) 4 एस. सी. सी. 122 = ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1324.

[2] (1998) 8 एस. सी. सी. 493 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 95.

"4. मात्र इसलिए कि ट्रक "तेज गति" से चलाया जा रहा था, यह स्वयं में "उतावलेपन" या फिर "उपेक्षा" को दर्शित नहीं करता है । अभियोजन पक्ष के द्वारा परीक्षा किया गया कोई भी साक्षी यह उपदर्शित करने में समर्थ नहीं था कि "तेज गति" से उसका क्या तात्पर्य है । "तेज गति" एक सापेक्ष शब्द है । यह अभियोजन पक्ष का उत्तरदायित्व है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में "तेज गति" का क्या तात्पर्य है, इस तथ्य को स्थापित करने हेतु अभिलेख पर सुसंगत सामग्री प्रस्तुत करे । किसी दांडिक विचारण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को स्थापित करने हेतु आवश्यक प्रत्येक सामग्री उपलब्ध कराने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है और अभियुक्त के पक्ष में तब तक निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है । निश्चित रूप से कुछ कानूनी अपवादों के अधीन रहते हुए अपराध के संबंध में अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में ऐसे किसी कानूनी अपवाद के संबंध में अभिवाक् नहीं किया गया । अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में स्वयं प्रमाण सिद्धांत को लागू करके उपेक्षा या उतावलेपन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इस बात का साक्ष्य विद्यमान है कि ट्रक पलटने से ठीक पूर्व एक बड़ा झटका लगा था । यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि झटका उबड़-खाबड़ सड़क के कारण लगा था या फिर किसी यांत्रिक खराबी के कारण लगा था । यान का निरीक्षण करने वाले मोटरयान निरीक्षक के द्वारा उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । यह रिपोर्ट अभिलेख से प्रकट नहीं हो रही है और अभियोजन पक्ष को सर्वोत्तम रूप से ज्ञात कारणों से निरीक्षक की परीक्षा नहीं की गई थी । यह अभियोजन के मामले में एक गंभीर कमी और दोष है ।

33. इस उच्च न्यायालय ने **सुमन साहा** बनाम **त्रिपुरा राज्य**[1] वाले मामले में यह प्रतिपादित किया है कि मात्र तेज गति ही उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाए जाने संबंधी निश्चायक साक्ष्य नहीं हो सकता है ।

---

[1] (2019) 1 टी. एल. आर. 191.

34. वर्तमान मामले में, अन्वेषण अधिकारी के द्वारा सड़क की चौड़ाई, उसकी स्थिति, सारवान् स्थान पर यातायात का घनत्व तथा दुर्घटना के समय मौजूद उल्लंघनकारी यान और साक्षियों एवं मृतक के सटीक अवस्थान के विषय में पता लगाने के लिए कोई भी अन्वेषण नहीं किया जिससे न्यायालय के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके ताकि न्यायालय यह जान सके कि वास्तव में दुर्घटना कैसे हुई और इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार था । इस प्रकार के साक्ष्य के अभाव में मात्र इस साक्ष्य के आधार पर याची को दोषी ठहराना अनुचित होगा कि उल्लंघनकारी यान तेज गति में था और दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई ।

35. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष याची के विरुद्ध पर्याप्त, युक्तियुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान का चालन करने के आरोपों को स्थापित करने में विफल रहा है । परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण याचिका मंजूर की जाती है और अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । उसके जमानत बंधपत्रों का उन्मोचन किया जाता है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया जाता है । लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो (हों), का भी निपटारा किया जाएगा ।

निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेज दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./पु.

---

# पवन कुमार महतो उर्फ पवन कुमार सिंह

बनाम

# बिहार राज्य

(2018 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 4237)

तारीख 23 मार्च, 2021

**न्यायमूर्ति बिरेन्द्र कुमार**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366क और 376 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3] – अभियुक्त पर बलात्संग का आरोप लगाया जाना – मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब होना जिसके संबंध में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की सही आयु साबित करने में असफल रहना जिससे यह तथ्य साबित न हो पाना कि अभियोक्त्री अभिकथित अपराध के समय विधिमान्य सहमति देने हेतु असमर्थ थी – अभियोक्त्री द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के माध्यम से यह आरोप लगाया जाना कि जब वह 16 वर्ष की थी तो उस समय वह शौच करने हेतु अपने घर से निकली और उसी समय अभियुक्त और सह-अभियुक्त ने बलपूर्वक उसके मुख को दबाकर अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और उसके पश्चात् उन्होंने उसे एक समीप स्थित महाविद्यालय में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया – अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में अनेक प्रकार की विसंगतियां विद्यमान होना – इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री का आचरण भी संदेहास्पद होना, जो इस तथ्य से दर्शित होता है कि वह बलात्संग के तुरंत पश्चात् अभियुक्तों के साथ रेलवे स्टेशन गई और वहां बिना कोई विरोध दर्शित किए या चीख-पुकार मचाए बिना उनके साथ रेल में सवार हो गई और जब अभियुक्त उसे रेलगाड़ी में छोड़कर वहां से फरार हो गया तो वह किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ, उसके द्वारा विवाह का आश्वासन दिए जाने पर गुजरात चली**

**गई – मामले के उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है, अतः, उसकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।**

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरि नारायण यादव द्वारा तारीख 9 जनवरी, 2016 को प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट में प्रकट किए गए अनुसार अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 5 जनवरी, 2016 को सायं 6 बजे के करीब उसकी अप्राप्तवय पुत्री शौच के लिए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई । इत्तिलाकर्ता ने अपने नातेदारों के साथ उसकी इधर-उधर खोजबीन की लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका । तारीख 8 जनवरी, 2016 को अभि. सा. 4 देव नारायण यादव, उसके एक सह-ग्रामवासी ने यह कथन किया कि उसने इत्तिलाकर्ता की पुत्री को अपीलार्थी के साथ एक मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था । इत्तिलाकर्ता ने आगे यह प्रकट किया कि उसकी पुत्री के पास एक मोबाइल फोन था, जिसमें अपीलार्थी के नाम से क्रय किए गए सिम कार्ड का प्रयोग किया जा रहा था । घटना की तारीख को पीड़िता ने अपीलार्थी से बात की थी इसलिए उसे विश्वास है कि अपीलार्थी ने पीड़िता को अपने साथ चलने के लिए अभिप्रेरित किया होगा तथा अपीलार्थी उसे देह व्यापार में ढकेल सकता है या फिर किसी अनैतिक उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है । पूर्वोक्त रिपोर्ट के आधार पर 2016 के बाबूबरही पुलिस थाना मामला सं. 4 को रजिस्टर किया गया तथा पुलिस ने अन्वेषण को पूरा करने के पश्चात् केवल अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जबकि अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण को लंबित रखा गया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल तेरह साक्षियों की परीक्षा की । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर विद्यमान सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – यह प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान मामले की अभियोक्त्री एक 'विश्वस्त साक्षी' है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कथन (प्रदर्श-1) में पीड़िता ने यह कहा है कि तारीख 5 जनवरी की प्रात: उसके पास एक मोबाइल कॉल आया । उसने कॉल उठाया, फोन करने वाले व्यक्ति ने उसके साथ गाली-गलौज की, जिसके पश्चात् उसने फोन काट दिया । उसी दिन सायं छ: बजे वह शौच के लिए गई थी, तभी उसने देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लड़के ने पीड़िता को दबोच लिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया । जिसके पश्चात् वे उसे समीप स्थित महाविद्यालय में ले गए और वहां अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त संजय सिंह, दोनों ने उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात् वे दोनों उसे जयनगर रेलवे स्टेशन ले गए जहां वे सभी एक रेलगाड़ी में सवार हो गए । अपीलार्थी और सह-अभियुक्त संजय ने पीड़िता को वहां बैठने के लिए कहा और यह भी कहा कि वे पान लेकर आते हैं । किन्तु वे दोनों वहां से फरार हो गए और रेलगाड़ी आगे बढ़ गई । जब रेलगाड़ी खतौली रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक तीसरे लड़के सुनील दास ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तथा सुनील ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वे उसके साथ विवाह करेगा । सुनील के नाम का प्रकटीकरण वहां बैठी एक महिला यात्री ने किया था । इसके पश्चात् सुनील उसे गुजरात के गांधी धाम ले गया । वहां वह उसे एक मित्र के घर ले गया और उसे तब तक वहां प्रतीक्षा करने के लिए कहा जब तक कि वह किसी कमरे की व्यवस्था नहीं कर लेता । लेकिन जब 'सेठ जी' को यह सूचना प्राप्त हुई कि सुनील किसी लड़की को भगा कर लाया है, तो उन्होंने पीड़िता के चाचा, जो बंगलौर में थे, को फोन कर दिया । उसके बाद पीड़िता के चाचा वहा आए और पीड़िता को बंगलौर और फिर वहां से पटना ले गए । अभियोक्त्री की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई और उसने यह कथन किया है कि तारीख 5 जनवरी, 2016 को अपराह्न 6 बजे के करीब वह शौच के लिए गई थी । सह-अभियुक्त संजय सिंह तथा अपीलार्थी पूर्व दिशा की ओर से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे । सह-अभियुक्त संजय सिंह ने अभियोक्त्री का मुंह बंद

करके, उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया । इसके पश्चात् वे उसे बेल्ही पुल के समीप एक महाविद्यालय में ले गए और दोनों ने उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात् वे दोनों पीड़िता को जय नगर रेलवे स्टेशन ले गए और रेलगाड़ी में सवार हो गए । अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़िता से कहा कि वे पान खाने के पश्चात् वापस आएंगे लेकिन वे वापस नहीं आए और रेलगाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई । जब रेलगाड़ी खतौली स्टेशन पहुंची तो सुनील दास नामक एक व्यक्ति उसके साथ विवाह करने की जिद करने लगा और फिर वह उसे गुजरात ले गया । वहां सुनील दास ने पीड़िता को एक राम बाबू नामक व्यक्ति के घर छोड़ा और वह स्वयं कोई कमरा खोजने चला गया । लेकिन जब कंपनी के 'सेठ जी' को यह सूचना मिली कि सुनील दास किसी लड़की को भगा कर लाया है तो उन्होंने पीड़िता के पिता को फोन किया और पिता ने इस मामले की सूचना पीड़िता के चाचा, जो बंगलौर में थे, को दी । इसके पश्चात् पीड़िता को वापस गांव लाया गया । पीड़िता ने यह भी कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया था । उसकी शनाख्त पर उसे प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित किया गया । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया कि सुनील दास उसे मधुबनी से दिल्ली और उसके पश्चात् गुजरात ले गया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि सुनील दास के साथ यात्रा करने के दौरान उसने कोई चीख-पुकार नहीं मचाई थी । वर्तमान मामले में पीड़िता के साथ बलात्संग किए जाने के बाद भी उसके द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जय नगर रेलवे स्टेशन जाना और अभियुक्त के साथ रेलगाड़ी पर सवार होना एवं अभियुक्त के कथन पर विश्वास करना कि वे पान खाकर फिर वापस आएंगे, उसके इस व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता पूरे मामले में एक सहमतिजन्य पक्षकार थी । इसके अतिरिक्त, भलीभांति यह जानते हुए कि किसी ने अभी-अभी उसे धोखा दिया है, रेलगाड़ी में वह एक अज्ञात व्यक्ति से मिली और विवाह करने के आश्वासन पर वह उस अज्ञात व्यक्ति के साथ गुजरात चली गई, इसलिए यह गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि पीड़िता मामले से संबंधित कुछ और वास्तविक तथ्यों को प्रकट नहीं कर रही है । पीड़िता के पिता

का आचरण, जिसे अभि. सा. 2 के अनुसार अपनी पुत्री के व्यपहरण की जानकारी तारीख 5 जनवरी, 2016 को ही हो गई थी, लेकिन उसके द्वारा घर सहित अलग-अलग गांवों में निवास करने वाले नातेदारों के विभिन्न निवास स्थानों पर खोजबीन करने के पश्चात् भी मामले की सूचना पुलिस को तारीख 9 जनवरी, 2016 को दी गई, इस तथ्य के प्रति विश्वासोत्पादक नहीं है कि कुटुम्ब के सदस्य वास्तविक मामलों से अनभिज्ञ थे, यदि वे वास्तव में अनभिज्ञ थे तो उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध बाद में तथा पूर्व-नियोजित रूप से आरोप लगाए । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पीड़िता अपने चाचा के साथ बंगलौर गई और वायुयान के माध्यम से पटना आ गई । यह अज्ञात है कि वहां से चाचा द्वारा उसे पुलिस थाने ले जाया गया या गांव या फिर किस स्थान ले जाया गया । क्योंकि तारीख 22 जनवरी, 2016 को पीड़िता अकेली मधुबनी पुलिस थाने के द्वार पर मिली थी । 'विश्वस्त साक्षी' की कसौटी पर तथा अभियोक्त्री द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह 'विश्वस्त साक्षी' है चूंकि तात्विक विशिष्टियों पर अभिपुष्टि का अभाव है, इसलिए अभियोक्त्री के कमजोर साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियोजन के पक्षकथन में विद्यमान उपरोक्त गंभीर कमियों को विचार में नहीं लिया गया है । तिथि के अनुसार यह सुस्थापित है कि अभियोक्त्री की अनुमानित आयु संबंधी साक्ष्य अभियोक्त्री की सही आयु के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अभियोक्त्री की सही आयु साबित करने में विफल रहा है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ थी । यदि पीड़िता की सहमति की संभावना का कोई संकेत प्राप्त होता है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए । तद्नुसार, अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपील मंजूर की जाती है । दंडादेश भुगत रहे अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त किया जाए । (पैरा 13, 15, 16, 17 और 18)

## निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] (2016) 1 एस. सी. सी. 696 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6029 : **मध्य प्रदेश** बनाम **मुन्ना** ; 17

[2012] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157 : **राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राज्य** ; 12

[2008] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858 : **राजू** बनाम **मध्य प्रदेश** ; 11

[2005] (2005) 5 एस. सी. सी. 272 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2000 एस. सी. 474 : **राज राम** बनाम **राजस्थान राज्य** ; 5

[2005] (2005) 5 एस. सी. सी. 258 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2804 : **मुख्तियार अहम अंसारी** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** ; 5

[1996] (1996) 2 एस. सी. सी. 384 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393 : **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह** । 10

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 4237.**

वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश - प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा वर्ष 2016 के जी. आर. सं. 2 के तत्संबंधी 2016 के बाबूबरही पुलिस थाना मामला सं. 4 में पारित तारीख 24 सितम्बर, 2018 के दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 1 अक्तूबर, 2018 को पारित दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री रमाकांत शर्मा, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री राकेश कुमार शर्मा

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री सुजीत कुमार सिंह (अपर लोक अभियोजक)

**न्यायमूर्ति बिरेन्द्र कुमार** – वर्तमान अपील में ऊपर नामित एकमात्र अपीलार्थी ने वर्ष 2016 के जी. आर. सं. 2 के तत्संबंधी 2016 के बाबूबरही पुलिस थाना मामला सं. 4 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 366-क और 376 के साथ पठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसके इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पोक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अपराध करने के लिए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-प्रथम-सह विशेष न्यायाधीश, मधुबनी के समक्ष विचारण का सामना किया ।

तारीख 24 सितम्बर, 2018 को पारित आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त सभी अपराधों को कारित करने के लिए दोषी पाया और उन्होंने तारीख 1 अक्तूबर, 2018 को पारित दंडादेश संबंधी आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 366-क और 376 के अधीन किए गए अपराधों में से प्रत्येक अपराध को कारित करने हेतु दस वर्ष के कठोर कारावास को भोगने का निदेश दिया तथा उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास को भोगने का निदेश दिया गया । पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपीलार्थी को सात साल के कठोर कारावास को भोगने का दंडादेश पारित किया गया तथा उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास को भोगने का निदेश दिया गया । दंडादेशों के संबंध में यह निदेश दिया गया कि वे साथ-साथ चलेंगे ।

2. अभि. सा. 8 श्री हरि नारायण यादव द्वारा तारीख 9 जनवरी,

2016 को प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट में प्रकट किए गए अनुसार अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 5 जनवरी, 2016 को सायं 6 बजे के करीब उसकी अप्राप्तवय पुत्री शौच के लिए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई । इत्तिलाकर्ता ने अपने नातेदारों के साथ उसकी इधर-उधर खोजबीन की लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका । तारीख 8 जनवरी, 2016 को अभि. सा. 4 देव नारायण यादव, उसके एक सह-ग्रामवासी ने यह कथन किया कि उसने इत्तिलाकर्ता की पुत्री को अपीलार्थी के साथ एक मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था । इत्तिलाकर्ता ने आगे यह प्रकट किया कि उसकी पुत्री के पास एक मोबाइल फोन था, जिसमें अपीलार्थी के नाम से क्रय किए गए सिम कार्ड का प्रयोग किया जा रहा था । घटना की तारीख को पीड़िता ने अपीलार्थी से बात की थी इसलिए उसे विश्वास है कि अपीलार्थी ने पीड़िता को अपने साथ चलने के लिए अभिप्रेरित किया होगा तथा अपीलार्थी उसे देह व्यापार में ढकेल सकता है या फिर किसी अनैतिक उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है ।

3. पूर्वोक्त रिपोर्ट के आधार पर 2016 के बाबूबरही पुलिस थाना मामला सं. 4 को रजिस्टर किया गया तथा पुलिस ने अन्वेषण को पूरा करने के पश्चात् केवल अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जबकि अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण को लंबित रखा गया ।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल तेरह साक्षियों की परीक्षा की । अभि. सा; 1 राम अवतार सिंह, अभि. सा. 2 राम विलास महतो, अभि. सा. 9 विजय कुमार सिंह तथा अभि. सा. 10 बबलू कुमार सिंह को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किया गया ।

अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि पीड़िता अपीलार्थी की दुकान पर बैठती थी और पीड़िता तथा अपीलार्थी के मध्य अपीलार्थी की दुकान से क्रय किए गए सामानों की बकाया राशि को लेकर विवाद था । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि अपीलार्थी घटना में शामिल नहीं था । अभि. सा. 9 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि वह घटना के विषय में कुछ नहीं जानता है तथा अभि. सा. 10 ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह घटना के विषय में कुछ नहीं जानता है ।

5. **राज राम** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित नहीं किया जाता है तो प्रतिरक्षा पक्ष इस प्रकार के साक्षी के साक्ष्य का अवलंब ले सकता है और यह अभियोजन पक्ष पर आबद्धकर होगा । **मुख्तियार अहम अंसारी** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली)**[2] वाले मामले में **राज राम** (उपरोक्त) वाले मामले में लिए गए मत को दोहराया गया है ।

6. इस प्रकार पेश किए गए पूर्वोक्त साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य, जिसका अभियोजन पक्ष ने अवलंब लिया है, गंभीर रूप से अभियोजन के पक्षकथन की विश्वसनीयता के संबंध में प्रश्न उठाता है क्योंकि साक्षियों ने पूरी तरह से घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने की बात से इनकार ही नहीं किया है बल्कि साक्षियों में से एक साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी घटना में संलिप्त नहीं था ।

7. अभि. सा. 3 पीड़ित लड़की है जिसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर बाद में चर्चा की जाएगी । अभि. सा. 4 देव नारायण यादव ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि तारीख 5 जनवरी, 2016 को जब वह अपीलार्थी की दुकान से वापस आ रहा था, क्योंकि दुकान बंद थी तो उसने देखा कि अपीलार्थी पीड़िता और संजय मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे हैं । जब साक्षी गांव लौटा तब उसने पीड़िता के व्यपहरण के बारे में सुना, तब उसने जो कुछ भी देखा था, उसे प्रकट किया । साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का खंडन करने हेतु उसे उसका वह कथन दिखाया गया जो उसने पुलिस के समक्ष दिया था और अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 11) का ध्यान भी इस ओर भी आकर्षित किया गया कि साक्षी ने यह कथन नहीं किया था कि उसने तीनों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था । यदि इस साक्षी के परिसाक्ष्य पर पूर्वोक्त सीमा तक विश्वास भी कर लिया जाए तो भी यह स्पष्ट है कि पीड़िता के द्वारा उस समय

---

[1] (2005) 5 एस. सी. सी. 272 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2000 एस. सी. 474.

[2] (2005) 5 एस. सी. सी. 258 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2804.

कोई विरोध नहीं किया जा रहा था या कोई चीख पुकार नहीं मचाई जा रही थी ।

अभि. सा. 5 उग्र नारायण यादव वास्तविक घटना के विषय में एक अनुश्रुत साक्षी है तथापि, उसने यह कथन किया है कि जब वह रात्रि में अपीलार्थी के घर गया तो अपीलार्थी वहां मौजूद था तथा अपीलार्थी ने कहा कि पीड़िता उस समय कहां है इस विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है बल्कि पीड़िता की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुधा पुत्री अहिल्या देवी से सम्पर्क किया जाना चाहिए । इसी साक्षी ने यह भी कथन किया कि इत्तिलाकर्ता ने अहिल्या देवी के विरुद्ध उसी पुत्री के व्यपहरण के संबंध में पश्चात्वर्ती प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । अभि. सा. 5 के अनुसार कॉल विवरण से यह प्रकट हुआ कि पीड़िता और अपीलार्थी लंबी अवधि तक और निरंतर अंतराल पर बात करते थे ।

अभि. सा. 6 सहदेव यादव भी एक अनुश्रुत साक्षी है । इसी प्रकार से अभि. सा. 7 राउडी यादव भी वास्तविक घटना के संबंध में एक अनुश्रुत साक्षी है ।

अभि. सा. 8 हरि नारायण यादव ने अपने द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और साथ ही एक अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना का समर्थन किया है । साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अहिल्या देवी और अपीलार्थी द्वारा उसी पीड़ित लड़की को बाद में प्रलोभन दिए जाने के संबंध में एक और मामला दर्ज किया गया जो कि विद्वान् तवरित निपटान न्यायालय-1 में लंबित है ।

अभि. सा. 11 रामनाथ प्रसाद वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है उसने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण का साधारण रूप से समर्थन किया है ।

अभि. सा. 12, डा गार्गी सिन्हा तथा अभि. सा. 13 डा रमा झा, वे डाक्टर हैं, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा की थी तथा उनकी राय यह है कि हाल ही में बलात्संग किए जाने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया । विकिरण विज्ञान परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की आयु

18 वर्ष निर्धारित की गई । जिस डाक्टर ने विकिरण विज्ञान परीक्षा की थी और पीड़िता की आयु के बारे में राय प्रस्तुत की थी, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया ।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन का पक्षकथन अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है और उसका परिसाक्ष्य संदेह से घिरा हुआ है तथा पीड़िता के आचरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि उसने पूर्ण सत्य को सामने नहीं रखा है बल्कि वह घटना से संबंधित कुछ वास्तविक तथ्यों को छुपा रही है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार पूर्वोक्त स्थिति में पीड़िता के परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि के अभाव में दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि पीड़िता के परिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि घटना में उसकी सहमति सम्मिलित थी तथा अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि पीड़िता की आयु विधिमान्य सहमति देने की आयु से कम थी । अतः, इस कारण से भी अभियोजन का पक्षकथन अविश्वसनीय है ।

9. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि यदि पीड़िता यह कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी तो न्यायालय यह बात मान लेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी और यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि घटना में पीड़िता की सहमति शामिल थी । छिट-पुट विसंगतियों के लिए अभियोक्त्री के साक्ष्य को अभिपुष्टि के अभाव में परित्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि में बलात्संग के आरोप को साबित करने के लिए बहु साक्ष्यों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं है और न ही कोई आत्मसम्मान रखने वाली लड़की से नैमित्तिक रीति में ऐसा कथन करने की प्रत्याशा की जाती है जो स्वयं उसके सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक हो । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की बारीकी से परीक्षा की है और उससे असहमत होने के लिए कोई अकाट्य सामग्री अभिलेख पर मौजूद नहीं है ।

10. यह सुस्थापित विधि है कि लैंगिक हमले की पीड़िता का साक्ष्य

किसी आहत साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के समतुल्य माना जाता है । बलात्संग के प्रत्येक मामले में अभिपुष्टि कारक साक्ष्य न्यायिक विश्वसनीयता का अनिवार्य घटक नहीं है । न्यायालय किसी अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अपने न्यायिक विवेक का समाधान करने के लिए उसके कथन के संबंध में किसी आश्वासन की अपेक्षा कर सकता है क्योंकि पीड़ित लड़की एक ऐसी साक्षी है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के परिणाम के संबंध में हितबद्ध है । यहां **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

11. तथापि, ऐसे किसी मामले में जहां अभियोक्त्री द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य अंतर्निहित तथा तात्विक असंभाव्यता से ग्रस्त है और उसके आचरण से यह उपदर्शित होता है कि मामले में उसके द्वारा तात्विक तथ्य को छिपाया गया है वहां न्यायालय यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए अभिपुष्टि की वांछा कर सकता है ताकि किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया जाए ।

**राजू** बनाम **मध्य प्रदेश**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है, बलात्संग किसी पीड़िता के लिए सर्वाधिक व्यथा और अपमान का कारण बनता है लेकिन साथ ही बलात्संग का कोई मिथ्या आरोप अभियुक्त को भी उतनी ही व्यथा अपमान और क्षति पहुंचा सकता है । अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए ।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राज्य**[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करने से पूर्व न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि अभियोक्त्री एक "विश्वस्त साक्षी" है ।

---

[1] (1996) 2 एस. सी. सी. 384 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393.

[2] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858.

[3] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157.

निर्णय के पैरा 22 को यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

"22. हमारी सुविचारित राय में 'विश्वस्त साक्षी' अत्यधिक उच्च कोटि का और साथ ही क्षमतावान होना चाहिए तथा इसलिए उसका बयान भी अकाट्य होना चाहिए । इस प्रकार के साक्षी के बयान पर विचार करने वाले न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसे स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए । ऐसे किसी साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए साक्षी की प्रास्थिति महत्वहीन है और केवल ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए कथन की सतयता ही सुसंगत है । यह तथ्य अत्यंत संगत है कि उक्त साक्षी का कथन आरंभ से अंत तक अर्थात् जब साक्षी ने अपना प्रारंभिक कथन प्रस्तुत किया तब से अंततोगत्वा न्यायालय के समक्ष अपना कथन प्रस्तुत करने तक पूर्णतया संगत बना रहना चाहिए । यह अभियुक्त के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन से स्वाभाविक और संगत होना चाहिए । इस प्रकार के साक्षी के बयान में किसी भी प्रकार का छल-कपट नहीं होना चाहिए । साक्षी को किसी भी प्रकार की प्रतिपरीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए चाहे वह कितनी भी विस्तृत और कठिन क्यों न हो, और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्यों, उसमें संलिप्त व्यक्तियों और साथ ही घटना की श्रृंखला के विषय में किसी भी संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए । इस प्रकार के बयान का अन्य सहायक सामग्री में से प्रत्येक और हर एक के साथ सह-संबद्ध होना चाहिए, उदाहरण के रूप में की गई बरामदगियां, प्रयुक्त हथियार, अपराध करने की रीति, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ राय । उक्त बयान को प्रत्येक अन्य साक्षी के बयान से निरंतर मेल खाना चाहिए । यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू परीक्षण के सदृश होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई कड़ी अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए । यदि ऐसे साक्षी का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू होने वाले अन्य सभी समतुल्य परीक्षणों का उत्तीर्ण करता है तो यह

अभिनिर्धारित किया जा सकता है और कि ऐसे साक्षी को 'विश्वस्त साक्षी' कहा जा सकता है और उसका बयान न्यायालय द्वारा बिना किसी अभिपुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है और अधिक स्पष्टता के लिए उक्त साक्षी का अपराध के सारभूत भाग पर बयान अविकल रहना चाहिए जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री अर्थात् मौखिक दस्तावेजी और तात्विक वस्तुएं सारवान् विशिष्टियों में उक्त बयान से समरूप होनी चाहिए, जिससे अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी को अभिकथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए अन्य समर्थनकारी सामग्री की समीक्षा करने के लिए मूल बयान का अवलंब लेने हेतु समर्थ हो सके ।

13. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान मामले की अभियोक्त्री एक 'विश्वस्त साक्षी' है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कथन (प्रदर्श-1) में पीड़िता ने यह कहा है कि तारीख 5 जनवरी की प्रात: उसके पास एक मोबाइल कॉल आया । उसने कॉल उठाया, फोन करने वाले व्यक्ति ने उसके साथ गाली-गलौज की, जिसके पश्चात् उसने फोन काट दिया । उसी दिन सायं छ: बजे वह शौच के लिए गई थी, तभी उसने देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लड़के ने पीड़िता को दबोच लिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया । जिसके पश्चात् वे उसे समीप स्थित महाविद्यालय में ले गए और वहां अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त संजय सिंह, दोनों ने उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात् वे दोनों उसे जयनगर रेलवे स्टेशन ले गए जहां वे सभी एक रेलगाड़ी में सवार हो गए । अपीलार्थी और सह-अभियुक्त संजय ने पीड़िता को वहां बैठने के लिए कहा और यह भी कहा कि वे पान लेकर आते हैं । किन्तु वे दोनों वहां से फरार हो गए और रेलगाड़ी आगे बढ़ गई । जब रेलगाड़ी खतौली रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक तीसरे लड़के सुनील दास ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तथा सुनील ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वे उसके साथ विवाह करेगा । सुनील के नाम का प्रकटीकरण वहां बैठी एक

महिला यात्री ने किया था । इसके पश्चात् सुनील उसे गुजरात के गांधी धाम ले गया । वहां वह उसे एक मित्र के घर ले गया और उसे तब तक वहां प्रतीक्षा करने के लिए कहा जब तक कि वह किसी कमरे की व्यवस्था नहीं कर लेता । लेकिन जब 'सेठ जी' को यह सूचना प्राप्त हुई कि सुनील किसी लड़की को भगा कर लाया है, तो उन्होंने पीड़िता के चाचा, जो बंगलौर में थे, को फोन कर दिया । उसके बाद पीड़िता के चाचा वहां आए और पीड़िता को बंगलौर और फिर वहां से पटना ले गए ।

अभियोक्त्री की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई और उसने यह कथन किया है कि तारीख 5 जनवरी, 2016 अपराह्न 6 बजे के करीब वह शौच के लिए गई थी । सह-अभियुक्त संजय सिंह तथा अपीलार्थी पूर्व दिशा की ओर से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे । सह-अभियुक्त संजय सिंह ने अभियोक्त्री का मुंह बंद करके, उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया । इसके पश्चात् वे उसे बेल्ही पुल के समीप एक महाविद्यालय में ले गए और दोनों ने उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात् वे दोनों पीड़िता को जय नगर रेलवे स्टेशन ले गए और रेलगाड़ी में सवार हो गए । अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़िता से कहा कि वे पान खाने के पश्चात् वापस आएंगे लेकिन वे वापस नहीं आए और रेलगाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई । जब रेलगाड़ी खतौली स्टेशन पहुंची तो सुनील दास नामक एक व्यक्ति उसके साथ विवाह करने की जिद करने लगा और फिर वह उसे गुजरात ले गया । वहां सुनील दास ने पीड़िता को एक राम बाबू नामक व्यक्ति के घर छोड़ा और वह स्वयं कोई कमरा खोजने चला गया । लेकिन जब कंपनी के 'सेठ जी' को यह सूचना मिली कि सुनील दास किसी लड़की को भगा कर लाया है तो उन्होंने पीड़िता के पिता को फोन किया और पिता ने इस मामले की सूचना पीड़िता के चाचा, जो बंगलौर में थे, को दी । इसके पश्चात् पीड़िता को वापस गांव लाया गया । पीड़िता ने यह भी कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया था । उसकी शनाख्त पर उसे प्रदर्श-1 के रूप में चिन्हित किया गया । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया कि सुनील दास उसे मधुबनी से दिल्ली और उसके पश्चात् गुजरात ले गया था । उसने

यह भी स्वीकार किया कि सुनील दास के साथ यात्रा करने के दौरान उसने कोई चीख-पुकार नहीं मचाई थी ।

14. अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 11) ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री को तारीख 22 जनवरी, 2016 को मधुबनी पुलिस स्टेशन के द्वार के पास से बरामद किया गया था । इसके पश्चात् तारीख 23 जनवरी, 2016 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया और उसी दिन उसकी चिकित्सा परीक्षा भी की गई ।

15. वर्तमान मामले में पीड़िता के साथ बलात्संग किए जाने के बाद भी उसके द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जय नगर रेलवे स्टेशन जाना और अभियुक्त के साथ रेलगाड़ी पर सवार होना एवं अभियुक्त के कथन पर विश्वास करना कि वे पान खाकर फिर वापस आएंगे, उसके इस व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता पूरे मामले में एक सहमतिजन्य पक्षकार थी । इसके अतिरिक्त, भलीभांति यह जानते हुए कि किसी ने अभी-अभी उसे धोखा दिया है, रेलगाड़ी में वह एक अज्ञात व्यक्ति से मिली और विवाह करने के आश्वासन पर वह उस अज्ञात व्यक्ति के साथ गुजरात चली गई, इसलिए यह गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि पीड़िता मामले से संबंधित कुछ और वास्तविक तथ्यों को प्रकट नहीं कर रही है । पीड़िता के पिता का आचरण, जिसे अभि. सा. 2 के अनुसार अपनी पुत्री के व्यपहरण की जानकारी तारीख 5 जनवरी, 2016 को ही हो गई थी, लेकिन उसके द्वारा घर सहित अलग-अलग गांवों में निवास करने वाले नातेदारों के विभिन्न निवास स्थानों पर खोजबीन करने के पश्चात् भी मामले की सूचना पुलिस को तारीख 9 जनवरी, 2016 को दी गई, इस तथ्य के प्रति विश्वासोत्पादक नहीं है कि कुटुम्ब के सदस्य वास्तविक मामलों से अनभिज्ञ थे, यदि वे वास्तव में अनभिज्ञ थे तो उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध बाद में तथा पूर्व-नियोजित रूप से आरोप लगाए । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पीड़िता अपने चाचा के साथ बंगलौर गई और वायुयान के माध्यम से पटना आ गई । यह अज्ञात है कि वहां से चाचा द्वारा उसे पुलिस थाने ले जाया

गया या गांव या फिर किस स्थान ले जाया गया । क्योंकि तारीख 22 जनवरी, 2016 को पीड़िता अकेली मधुबनी पुलिस थाने के द्वार पर मिली थी ।

16. 'विश्वस्त साक्षी' की कसौटी पर तथा अभियोक्त्री द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह 'विश्वस्त साक्षी' है चूंकि तात्विक विशिष्टियों पर अभिपुष्टि का अभाव है, इसलिए अभियोक्त्री के कमजोर साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियोजन के पक्षकथन में विद्यमान उपरोक्त गंभीर कमियों को विचार में नहीं लिया गया है ।

17. **मध्य प्रदेश** बनाम **मुन्ना**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री की अनुमानित आयु संबंधी साक्ष्य अभियोक्त्री की सही आयु के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अभियोक्त्री की सही आयु साबित करने में विफल रहा है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ थी । यदि पीड़िता की सहमति की संभावना का कोई संकेत प्राप्त होता है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए ।

18. तद्नुसार, अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपील मंजूर की जाती है । दंडादेश भुगत रहे अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./पु.

---

[1] (2016) 1 एस. सी. सी. 696 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6029.

# महाराष्ट्र राज्य

बनाम

# सीताबाई रामभाऊ निगाडे और अन्य

(2009 की दांडिक अपील सं. 353)

तारीख 26 फरवरी, 2021

**न्यायमूर्ति के. आर. श्रीराम**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 107, 108, 498क, 306 और 34 – अभियुक्तों, जो मृतका के पति के नातेदार हैं, के विरुद्ध क्रूरता और आत्महत्या हेतु उकसाकर उसका दुष्प्रेरण करने का आरोप लगाया जाना – अभिकथित रूप से अभियुक्तों के विरुद्ध यह अभिकथन किया जाना कि चूंकि विवाह के दो वर्ष के पश्चात् भी मृतका गर्भधारण नहीं कर सकी थी इसलिए वे उसके विरुद्ध अत्याचार करते थे और उनका आचरण इस प्रकार था कि जिसके कारण मृतका ने तंग आकर एक जलाशय में कूदकर आत्महत्या कर ली – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त मृतका को बांझ कहकर चिढ़ाते थे और वे उसे भरपेट खाना भी नहीं देते थे और प्रत्येक छिटपुट बात पर उससे झगड़ा करके उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे – एक अभियोजन साक्षी द्वारा यह भी कथन किया जाना कि मृतका के पति के चचरे भाई ने मृतका के साथ बलात्संग करने के पश्चात् उसकी हत्या की है – यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध बलात्संग और हत्या का मामला न बनाया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस प्रतिरक्षा का अवलंब लिया जाना कि मृतका का पति अपने कार्य के कारण वर्ष में केवल दो या तीन बार गांव आता था और इसलिए मृतका अवसादग्रस्त थी जिसके कारण उसने आत्महत्या की और उक्त प्रतिरक्षा को साबित करने हेतु डाक्टर के माध्यम से यह सुझाव दिया जाना कि यदि कोई व्यक्ति लैंगिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो वह अवसादग्रस्त हो सकता है और अवसाद अत्यधिक बढ़ने पर तथा लंबे समय तक बने रहने पर वह आत्महत्या भी कर सकता है – अभियोजन पक्ष के साक्षियों**

**द्वारा प्रस्तुत कथनों में सारवान् विसंगतियों और विरोधाभासों का मौजूद होना – उनके द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए कथनों और न्यायालय के समक्ष किए गए कथनों में सारवान् रूप से अंतर होना – मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण किए जाने के अपराध के अनिवार्य घटकों को स्थापित करने में असफल रहा है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषमुक्ति सर्वथा उपयुक्त है और उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।**

वर्तमान दांडिक अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मुक्ताबाई नामक एक महिला का विवाह मारुति नामक एक व्यक्ति के साथ अनुष्ठापित हुआ था । वर्तमान मामले में विवाह की तारीख स्पष्ट नहीं है । वर्तमान मामले में मारुति की माता सीता बाई रामभाऊ निगाडे को अभियुक्त सं. 1, मारुति की बहन शांताबाई हनुमंत पिलावाडे को अभियुक्त सं. 3 बनाया गया था । मारुति का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम विष्णु निगाडे है और उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त सं. 2 बनाया गया है और वह पुलिस पाटिल के रूप में कार्यरत था । मारुति मुम्बई में स्थित एक रेस्तरां में कार्य करता था और वह एक वर्ष में केवल दो या तीन बार ही अपने गांव वापस आता था । मुक्ता बाई अपनी सास, अर्थात् अभियुक्त सं. 1 के साथ गांव में निवास कर रही थी । मारुति के मुक्ता बाई से विवाह के अनुष्ठापन से पूर्व ही उसकी बहन अर्थात् अभियुक्त सं. 3 का विवाह हो गया था और वह उस गांव से, जहां मुक्ता बाई का घर स्थित था और जहां वह अपनी सास के साथ निवास कर रही थी, आठ या नौ किलोमीटर दूर स्थित एक ग्राम में अपने वैवाहिक घर में निवास कर रही थी । मुक्ताबाई ने विवाह के लगभग तीन वर्ष पश्चात् तारीख 26 नवम्बर, 2005 को या उसके आस-पास आत्महत्या की थी । मुक्ताबाई मारुति से विवाह के पश्चात् अभियुक्त सं. 1 के घर में निवास करने हेतु चली गई थी जहां अभियुक्त सं. 1 का पति भी उसके साथ निवास करता था । विवाह के दो वर्ष पश्चात् तक मुक्ताबाई का जीवन सुचारु रूप से चलता रहा और मुक्ताबाई को अपने ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 2 का भी विवाह हो

गया और उसके तुरंत पश्चात् उसकी पत्नी गर्भवती हो गई । इस घटना से मुक्ताबाई के ससुराल पक्ष के व्यक्ति नाराज हो गए और उन्होंने मुक्ताबाई का उत्पीड़न करना आरंभ कर दिया । प्रारंभ में उत्पीड़न में मुक्ताबाई के गर्भधारण न कर पाने संबंधी ताने और टिप्पणियां सम्मिलित थी जिसमें उसे अक्सर वनजोटी (बांझ स्त्री) बुलाया जाता था । जब मुक्ताबाई विवाह के दो वर्ष पश्चात् भी गर्भवती नहीं हो सकी तो उसके साथ उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों ने दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया और उन्होंने उसे घर छोड़ने के लिए कहा । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4, जो मुक्ताबाई के क्रमश: माता और पिता हैं, ने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि जब कभी मुक्ताबाई अपने मायके उनके पास आती थी तो वह अभियुक्त सं. 1 द्वारा उसके विवाह के दो वर्ष पश्चात् भी गर्भवती होने में असमर्थ रहने के संबंध में उसका उत्पीड़न किए जाने संबंधी किस्से सुनाती थी । माता-पिता किसी प्रकार मुक्ताबाई को शांत करके उसे उसके वैवाहिक घर भेज दिया करते थे । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियुक्तों के हाथों अपना इस प्रकार का उत्पीड़न सहन करने में असमर्थ रहने पर तारीख 26 नवम्बर, 2005 को जब मुक्ताबाई शिवकालीन जलाशय से पानी लाने गई तो उसने जलाशय में कूद कर तथा उसमें डूब कर आत्महत्या कर ली । तारीख 26 नवम्बर, 2005 को अभि. सा. 1 ने शिकायत दर्ज की तथा उसके पश्चात् स्थल पंचनामा तथा अभिग्रहण पंचनामा तैयार किया गया । अन्वेषण कार्य पूरा होने के पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया । डाक्टरों के कथनों को भी लेखबद्ध किया गया तथा मृत्युसमीक्षा पंचनामा, शवपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों को भी फाइल किया गया । अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्तों ने इस तथ्य से इनकार किया है कि उन्होंने कभी भी मुक्ताबाई के साथ दुर्व्यवहार किया था और प्रतिरक्षा पक्ष के अनुसार मुक्ताबाई की मृत्यु एक दुर्घटना थी । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् सभी अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया । इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य ने उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल करके चुनौती

दी है । उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – धारा 498क के अधीन अपराध के घटक क्या हैं, इस संबंध में विधि को अनेक निर्णयों के माध्यम से भलीभांति स्थापित किया गया है । यह सुस्थापित विधि है कि दंड संहिता की धारा 498क के अधीन प्रत्येक क्रूरता अपराध नहीं है । उक्त धारा के अधीन क्रूरता को उस स्तर का होना चाहिए जैसा कि उक्त धारा के उपबंधों में अनुध्यात किया गया है । उच्च न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि इस मामले में इस स्तर की कोई क्रूरता अंतर्विष्ट थी । निश्चित रूप से साक्ष्य से ऐसा उपदर्शित नहीं होता है । यदि कोई व्यक्ति किसी अभियुक्त द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के कारण आत्महत्या कर लेता है तो भी अभियुक्त के संबंध में तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण किया है जब तक कि अभियुक्त का पीड़ित/मृतक के प्रति अत्याचार किए जाने का आशय यह न हो कि वह उसके उक्त अत्याचार के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ले । यदि इस विधिक सिद्धांत की कठोरता को थोड़ा कम भी कर दिया जाए तो भी यह दर्शित करना अपेक्षित है कि अभियुक्त युक्तियुक्त रूप से इस बात का अनुमान लगा सकता था कि उसके आचरण के कारण पीड़ित लगभग निश्चित रूप से या कम से कम संभाविक रूप से आत्महत्या कर सकता है । जब तक कि पीड़ित को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इस प्रकार का अभियुक्त का आशय साबित न कर दिया जाए या यह साबित न कर दिया जाए कि अभियुक्त युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगा सकता था या वह पीड़ित/मृतक से यह आशा कर सकता था कि वह उसके आचरण के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर लेगा, तब तक अभियुक्त पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है । यह आरोप उस समय भी नहीं लगाया जा सकता है कि यदि पीड़ित/मृतक द्वारा आत्महत्या अभियुक्त द्वारा किए गए कतिपय कार्यों के परिणामस्वरूप की गई है । विभिन्न न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सुझाव प्राप्त होना चाहिए या उससे यह उपदर्शित होना चाहिए कि अभियुक्त को यह तथ्य

ज्ञात था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि मृतक आत्महत्या कर लेगा । वर्तमान मामले में इस प्रकार का सुझाव देने वाला कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है । अभियुक्त को, उसके दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है । अभियुक्त के पास यह अवधारणा मौजूद थी जब वह विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण का सामना कर रहा था । विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति इस अवधारणा को और बल प्रदान करती है कि वह निर्दोष है । विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सम्यक् या उचित बल दिया जाना चाहिए और उस पर सम्यक् रूप से विचार किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कुछ भी पूर्णतया गलत, प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण या प्रदर्शनीय रूप से कायम न रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य में ऐसी कोई सामग्री विद्यमान नहीं है जो अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करती हो । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया है और इसलिए अभियुक्त के पक्ष में दोहरी अवधारणा विद्यमान है । प्रथमत:, दांडिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन अभियुक्त को उपलब्ध निर्दोषिता की यह अवधारणा कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । द्वितीय, अभियुक्त ने विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति प्राप्त की है और इस प्रकार उसकी निर्दोषिता की अवधारणा को विचारण न्यायालय के निर्णय से और अधिक बल मिलता है, उसकी पुन: पुष्टि होती तथा वह और अधिक सुदृढ़ हो जाती है । अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के मतानुसार विचारण न्यायालय की राय को अविधिपूर्ण या अनुचित या विधि के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता । उच्च न्यायालय के विचार में दोषमुक्ति के आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है, इसलिए अपील खारिज की गई । (पैरा 8, 14, 17, 18, 20, 21 और 22)

## निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम्बई 1762 :
**कमलेश घनश्याम लोहिया और अन्य** बनाम
**महाराष्ट्र राज्य, मार्फत पुलिस आयुक्त और अन्य** ; 9

[2019] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 924 :
**उदय सिंह और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य** ; 15

[2019] 2019 केरल एल. जे. 434 :
**राजेश** बनाम **हरियाणा राज्य** ; 16

[2017] 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम्बई 62 :
**नीरज सुभाष मेहता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 10

[2014] (2014) 5 एस. सी. सी. 730 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2200 :
**मुरलीधर और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 19

[2012] 2012 (3) बम्बई सी. आर. (क्रिमिनल) 532 :
**शिवाजी शीतोले और अन्य** बनाम
**महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ; 14

[2008] (2008) 10 एस. सी. सी. 450 = ए. आई.
आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1318 :
**घूरे लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 18

[2005] 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4322 (केरल) :
**सीरियक, पुत्र देवास्सिया और अन्य** बनाम
**पुलिस उप निरीक्षक, कदुथुरुति और अन्य** ; 13

[1996] (1996) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 972 =
ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2035 :
**रमेश बाबूलाल दोशी** बनाम **गुजरात राज्य** । 19

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 353.**

वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पुणे द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2008 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

**अपीलार्थी की ओर से** — सुश्री अनामिका मल्होत्रा, अपर लोक अभियोजक

**प्रत्यर्थी की ओर से** — श्री अभिषेक भाटी/एस. के. लीगल एसोसिएट्स, एलएलपी

**न्यायमूर्ति के. आर. श्रीराम** – वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पुणे द्वारा तारीख 10 जुलाई, 2008 को पारित उस आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों (अभियुक्तों) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 498क (किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उक्त महिला के विरुद्ध क्रूरता बरतना), धारा 306 (आत्महत्या के दुष्प्रेरण) सपठित धारा 34 (अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किए गए कार्य) के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त किया था ।

2. मुक्ताबाई नामक एक महिला का विवाह मारुति नामक एक व्यक्ति के साथ अनुष्ठापित हुआ था । वर्तमान मामले में विवाह की तारीख स्पष्ट नहीं है । वर्तमान मामले में मारुति की माता सीता बाई रामभाऊ निगाडे को अभियुक्त सं. 1, मारुति की बहन शांताबाई हनुमंत पिलावाडे को अभियुक्त सं. 3 बनाया गया था । मारुति का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम विष्णु निगाडे है और उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त सं. 2 बनाया गया है और वह पुलिस पाटिल के रूप में कार्यरत था । मारुति मुम्बई में स्थित एक रेस्तरां में कार्य करता था और वह एक वर्ष में केवल दो या तीन बार ही अपने गांव वापस आता था । मुक्ताबाई अपनी सास, अर्थात् अभियुक्त सं. 1 के साथ गांव में निवास कर रही थी । मारुति के मुक्ताबाई से विवाह के अनुष्ठापन से पूर्व ही उसकी बहन अर्थात् अभियुक्त सं. 3 का विवाह हो गया था और वह उस गांव से, जहां मुक्ताबाई का घर स्थित था और जहां वह अपनी

सास के साथ निवास कर रही थी, आठ या नौ किलोमीटर दूर स्थित एक ग्राम में अपने वैवाहिक घर में निवास कर रही थी । मुक्ताबाई ने विवाह के लगभग तीन वर्ष पश्चात् तारीख 26 नवम्बर, 2005 को या उसके आस-पास आत्महत्या की थी ।

3. मुक्ताबाई मारुति से विवाह के पश्चात् अभियुक्त सं. 1 के घर में निवास करने हेतु चली गई थी जहां अभियुक्त सं. 1 का पति भी उसके साथ निवास करता था । विवाह के दो वर्ष पश्चात् तक मुक्ताबाई का जीवन सुचारु रूप से चलता रहा और मुक्ताबाई को अपने ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 2 का भी विवाह हो गया और उसके तुरंत पश्चात् उसकी पत्नी गर्भवती हो गई । इस घटना से मुक्ताबाई के ससुराल पक्ष के व्यक्ति नाराज हो गए और उन्होंने मुक्ताबाई का उत्पीड़न करना आरंभ कर दिया । प्रारंभ में उत्पीड़न में मुक्ताबाई के गर्भधारण न कर पाने संबंधी ताने और टिप्पणियां सम्मिलित थी जिसमें उसे अक्सर वनजोटी (बांझ स्त्री) बुलाया जाता था । जब मुक्ताबाई विवाह के दो वर्ष पश्चात् भी गर्भवर्ती नहीं हो सकी तो उसके साथ उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों ने दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया और उन्होंने उसे घर छोड़ने के लिए कहा ।

4. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4, जो मुक्ताबाई के क्रमश: माता और पिता हैं, ने स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि जब कभी मुक्ताबाई अपने मायके उनके पास आती थी तो वह अभियुक्त सं. 1 द्वारा उसके विवाह के दो वर्ष पश्चात् भी गर्भवती होने में असमर्थ रहने के संबंध में उसका उत्पीड़न किए जाने संबंधी किस्से सुनाती थी । माता-पिता किसी प्रकार मुक्ताबाई को शांत करके उसे उसके वैवाहिक घर भेज दिया करते थे । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियुक्तों के हाथों अपना इस प्रकार का उत्पीड़न सहन करने में असमर्थ रहने पर तारीख 26 नवम्बर, 2005 को जब मुक्ताबाई शिवकालीन जलाशय से पानी लाने गई तो उसने जलाशय में कूद कर तथा उसमें डूब कर आत्महत्या कर ली । तारीख 26 नवम्बर, 2005 को अभि. सा. 1 ने शिकायत दर्ज की तथा उसके पश्चात् स्थल पंचनामा तथा अभिग्रहण पंचनामा तैयार किया गया । अन्वेषण कार्य पूरा होने के पश्चात् न्यायालय में आरोप

पत्र फाइल किया गया । डाक्टरों के कथनों को भी लेखबद्ध किया गया तथा मृत्युसमीक्षा पंचनामा, शव-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों को भी फाइल किया गया । अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्तों ने इस तथ्य से इनकार किया है कि उन्होंने कभी भी मुक्ताबाई के साथ दुर्व्यवहार किया था और प्रतिरक्षा पक्ष के अनुसार मुक्ताबाई की मृत्यु एक दुर्घटना थी ।

5. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए आठ साक्षियों की परीक्षा की, अर्थात् चंद्रभागा मारुति भुरुक, मुक्ताबाई की माता, शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 के रूप में, राम चंद्र किसन वेणुपुरे, पंच साक्षी अभि. सा. 2 के रूप में, सोपान जानू बुरुक, मुक्ताबाई के चाचा, अभि. सा. 3 के रूप में, मारुति जानू बुरुक, मुक्ताबाई के पिता अभि. सा. 4 के रूप में, कृष्णाबाई आर. खुले, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 की नातेदार, अभि. सा. 5 के रूप में, सिंदुबाई ए. उमारथकर, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 की नातेदार, अभि. सा. 6 के रूप में, डा. नंदा नामदेव शिंगाड़े, चिकित्सा अधिकारी की अभि. सा. 7 के रूप में और विवेक एकनाथ लावंड, अन्वेषण अधिकारी की अभि. सा. 8 के रूप में ।

6. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । मुझे विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई स्पष्ट कारण प्रतीत नहीं होता है । यदि कोई व्यक्ति मुक्ताबाई के माता-पिता, अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 द्वारा सामने रखे गए पक्षकथन पर विचार करे तो यह प्रकट होता है कि संपूर्ण व्यथा यह है कि मुक्ताबाई को एक बांझ स्त्री बुलाया जाता था और चूंकि वह गर्भधारण करने में असमर्थ थी इसलिए उसे उसका वैवाहिक घर छोड़ने के लिए कहा गया । अभि. सा. 3, जो मुक्ताबाई की नातेदार है, ने भी इसी प्रभाव का कथन किया है । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, जो कि मुक्ताबाई और अभि. सा. 1 के नातेदार हैं, ने भी यह कथन करके पूरे मामले की कहानी में कुछ मिर्च-मसाला जोड़ा है कि अभियुक्त मुक्ताबाई को ताने दे रहे थे और वे उसे खाना भी उपलब्ध नहीं करा रहे थे तथा अभियुक्त उसके साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा हरेक छोटी बात पर उससे झगड़ा करते

थे और उससे घर से निकल जाने को कहते थे । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4, अर्थात् मुक्ताबाई के माता-पिता ने मुक्ताबाई को पर्याप्त रूप से भोजन उपलब्ध न कराए जाने या अभियुक्तों द्वारा हरेक छोटी-मोटी बात पर झगड़ा करने का कोई उल्लेख नहीं किया है । अभि. सा. 5 ने यह तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए इस प्रभाव के परिसाक्ष्य का कि अभियुक्त व्यक्ति मुक्ताबाई को वनजोटी कहकर बुलाते थे और वे उसे पर्याप्त रूप से भोजन भी उपलब्ध नहीं करा रहे थे, उसके द्वारा पुलिस के समक्ष लेखबद्ध किए गए कथन में कोई उल्लेख नहीं है । अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त सं. 2 ने मुक्ताबाई के साथ बलात्संग किया था और उसके पश्चात् उसकी हत्या कर दी गई किन्तु अभियोजन पक्ष या अभि. सा. 1 या अभि. सा. 4 या अभि. सा. 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का कोई पक्षकथन प्रस्तुत नहीं किया गया । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4, जो मुक्ताबाई के माता-पिता हैं, ने यह कथन नहीं किया है कि मुक्ताबाई के साथ बलात्संग किया गया था और उसकी हत्या की गई थी । इसके विपरीत अभि. सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में केवल यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 2 उस समय मुक्ताबाई के साथ अभद्र व्यवहार करता था जब वह पानी लेने हेतु जाया करती थी । निस्संदेह रूप से अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 2 ने मुक्ताबाई के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया था किन्तु इस तथ्य का उल्लेख अभि. सा. 1 द्वारा पुलिस के समक्ष लेखबद्ध किए गए उसके कथन में कहीं भी नहीं किया गया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 8) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5 ने अन्वेषण के दौरान उसके समक्ष कभी भी इस प्रभाव का कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्त सं. 2 ने मुक्ताबाई के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया था । इससे यह भी दर्शित होता है कि ये दोनों साक्षी अभियोजन के पक्षकथन को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे उक्त मामले में अभियुक्त सं. 2, जो एक पुलिस पाटिल था, को किसी प्रकार संलिप्त किया जा सके । हमने इस बात को भी संज्ञान में लिया है कि अभि. सा. 4, जो मुक्ताबाई का पिता है, ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 2 ने कभी भी मुक्ताबाई की ओर वासनापूर्ण दृष्टि डाली थी या उसके साथ

बलात्संग करने का प्रयास किया था । न तो अभि. सा. 1 ने और न ही अभि. सा. 4 ने कहीं भी इस प्रभाव का कोई कथन किया है कि मुक्ताबाई अभि. सा. 5 के घर गई थी, किन्तु अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि मुक्ताबाई अक्सर उसके घर आती थी और वह अपने वैवाहिक घर में उसके साथ बीत रहे दुखद समय का दुखड़ा उसे सुनाती थी । अभि. सा. 6 की भी स्थिति अभि. सा. 5 के समान है । अभि. सा. 6 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष उसके परिसाक्ष्य में किए गए इन कथनों का कि मुक्ताबाई को वनजोटी कहकर बुलाया जाता था या घटना से एक दिन पूर्व मुक्ताबाई ने उसे टेलीफोन किया था और मुक्ताबाई ने उसे उस समय यह बताया था कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस के समक्ष उसके द्वारा लेखबद्ध कराए गए कथन में उल्लेख नहीं किया गया है । इन लोपों के संबंध में अभि. सा. 8 द्वारा अभिपुष्टि की गई है ।

7. अभि. सा. 1, मुक्ताबाई की माता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त सं. 3 का विवाह मुक्ताबाई के विवाह से पूर्व हो गया था और वह उनके घर से लगभग आठ या नौ किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में निवास कर रही थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 2 उसी घर में निवास कर रहा था जिसमें मुक्ताबाई और अभियुक्त सं. 1 निवास कर रहे थे । अत:, इन दो अभियुक्तों द्वारा मुक्ताबाई के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की संभावना अत्यंत क्षीण है और विशिष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा उनके परिसाक्ष्य के संबंध में किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय नहीं है । एक अन्य बिन्दु यह है कि अभियुक्त सं. 2 को काफी समय पश्चात् इस मामले में संलिप्त किया गया । तारीख 26 नवम्बर, 2005 को अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज की गई शिकायत में अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अभिकथन नहीं किया गया है, किन्तु तारीख 30 जनवरी, 2006 को अभि. सा. 1 ने अपने अनुपूरक कथन में अभि. सा. 2 को निर्दिष्ट किया है । यह उल्लेखनीय है कि इसी दौरान अभियुक्त सं. 2 ने अन्य अभियुक्तों को जमानत पर निर्मुक्त कराने का प्रयास किया था और संभवत: इस कारणवश अभियुक्त सं. 2 को इस मामले में संलिप्त किया गया । यह सुस्पष्ट है कि अभियुक्त सं. 3 को भी वर्तमान मामले में केवल इसलिए संलिप्त किया

गया है क्योंकि वह अभियुक्त सं. 1 की पुत्री है । जहां तक मृतका के अवसाद में होने का संबंध है, डाक्टर (अभि. सा. 7) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति लैंगिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो वह अवसादग्रस्त हो सकता है और यदि इस प्रकार की लैंगिक असंतुष्टि काफी लंबे समय तक बनी रहे तो वह अवसाद गहरा हो सकता है तथा ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है । स्वीकार्य रूप से मुक्ताबाई का पति मुम्बई में एक होटल में कार्य कर रहा था और वह अपने गांव में एक वर्ष में केवल दो या तीन बार ही आता था । अभि. सा. 1 ने अपने परिसाक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना की तारीख से 15 दिन पूर्व मुक्ताबाई वेल्हा के बाजार में उनसे मिली थी और उस समय उसके साथ अभियुक्त सं. 3 भी मौजूद थी और उनकी उपस्थिति में अभियुक्त सं. 3 ने मुक्ताबाई को वनजोटी कहा था और यह भी कहा था कि उनके घर में मुक्ताबाई की कोई आवश्यकता नहीं है और मुक्ताबाई को उनका घर छोड़ देना चाहिए, किन्तु इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी उल्लेख पुलिस द्वारा लेखबद्ध किए गए कथन में नहीं किया गया है । अभि. सा. 3 ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पुलिस के समक्ष किए गए उसके कथन में कुछ ऐसे तथ्य अंतर्विष्ट नहीं हैं जो उसने न्यायालय के समक्ष अपना परिसाक्ष्य प्रस्तुत करते समय प्रकट किए हैं । इन सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त ठहराया ।

8. धारा 498क के अधीन अपराध के घटक क्या हैं, इस संबंध में विधि को अनेक निर्णयों के माध्यम से भलीभांति स्थापित किया गया है । यह सुस्थापित विधि है कि दंड संहिता की धारा 498क के अधीन प्रत्येक क्रूरता अपराध नहीं है । उक्त धारा के अधीन क्रूरता को उस स्तर का होना चाहिए जैसा कि उक्त धारा के उपबंधों में अनुध्यात किया गया है, अर्थात् वह ऐसी प्रकृति का स्वैच्छिक आचरण होना चाहिए जो किसी महिला को आत्महत्या करने या स्वयं के प्रति गंभीर क्षति कारित करने के लिए उकसाता हो या उसके जीवन, अंगों और उक्त महिला के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरे को उत्पन्न करने की संभावना रखता हो । मैं वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि इस मामले में इस स्तर की कोई क्रूरता अंतर्विष्ट थी । निश्चित रूप से साक्ष्य से ऐसा उपदर्शित नहीं होता है ।

9. इस न्यायालय की खंडपीठ ने **कमलेश घनश्याम लोहिया और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**, **मार्फत पुलिस आयुक्त और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 12 से 15 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "12. अत:, याचियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनका पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया जाए । यदि हम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में याचियों के विरुद्ध किए गए अभिकथनों को स्वीकार भी कर लेते हैं तो भी सर्वोत्तम रूप से याचियों के विरुद्ध तीन आरोप लगाए जा सकते हैं –
>
> (i) प्रथम इत्तिलाकर्ता और कृष्णा के जून, 2012 में जुहू में स्थानांतरण के पश्चात् याचियों ने कभी-कभार ही उनके घर का दौरा किया और ऐसे दौरों के दौरान उन्होंने प्रथम इत्तिलाकर्ता को मोटी और काली औरत कहकर उसका अपमान किया ।
>
> (ii) प्रत्येक त्यौहार के अवसर पर कृष्णा के कुटुम्ब के सदस्यों ने उसके माता-पिता से वस्त्रों, गहनों और धन की मांग की और उनकी ऐसी मांगों को पूरा किया गया ।
>
> (iii) सभी कुटुम्ब सदस्यों ने प्रथम इत्तिलाकर्ता को 'बांझ' कहकर उसका अपमान किया और उसे अपने माता-पिता से धन की मांग करने के लिए मजबूर किया ।
>
> 13. यदि उपरोक्त अभिकथनों को स्वीकार भी कर लिया जाए तो क्या उनके आधार पर याचियों के विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है, यह इस मामले का आधारभूत प्रश्न है । इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि दंड संहिता की धारा 498क के अधीन क्रूरता के संबंध में एक विनिर्दिष्ट विधिक अभिप्राय को स्थापित किया गया है । सामान्य रूप से होने वाले झगड़े, मतभेद और जीवन के उतार-चढ़ाव, जो संभवत: हर घर में होते हैं, क्रूरता के ऐसे अपराध के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं जिन्हें दंड संहिता की धारा 498क दंडित करने हेतु आशयित है । इसी प्रकार

[1] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम्बई 1762.

प्रत्येक प्रकृति का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न भी उसके परिधि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है । दंड संहिता की धारा 498क के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अपराध को लाने हेतु किसी विवाहित महिला के प्रति इस प्रकार की क्रूरता बरती जानी चाहिए जो उसे आत्महत्या करने या स्वयं को गंभीर क्षति कारित करने हेतु प्रेरित करे या कोई ऐसा कार्य करने हेतु प्रेरित करे जिससे उसके जीवन, अंगों या स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो या वह क्रूरता ऐसी प्रकृति की हो जो उसे या उसके किसी नातेदार को संपत्ति संबंधी किसी अवैध मांग की पूर्ति करने हेतु मजबूर करे । उत्पीड़न के बिना धन या संपत्ति की कोई मांग भी दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत नहीं आती है । मांग और उसके पारिणामिक उत्पीड़न में कोई संबंध अवश्य होना चाहिए ।

14. पूर्वोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि ऊपर उल्लिखित अभिकथनों का मूल्यांकन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2010 में जुहू में स्थानांतरण के पश्चात् प्रथम इत्तिलाकर्ता का अपमान किए जाने संबंधी अभिकथन साधारण प्रकृति का है । इसके अतिरिक्त, यह अभिकथन काफी पुराना है । कोई अनुमान लगाकर यह नहीं कहा जा सकता कि अभिकथित आचरण प्रथम इत्तिलाकर्ता को आत्महत्या करने या स्वयं को हानि कारित करने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है ।

15. दूसरा अभिकथन कृष्णा के सभी कुटुम्ब सदस्यों के विरुद्ध किया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रत्येक त्यौहार के अवसर पर धन, वस्त्रों और गहनों की मांग की किन्तु यह अभिकथन भी साधारण प्रकृति का है और इसमें किसी विशिष्ट दृष्टांत का उल्लेख नहीं किया गया है । अधिकाधिक उक्त अभिकथन यह उपदर्शित करते हैं कि त्यौहारों के अवसर पर कतिपय वस्तुओं की मांग की गई थी । इस स्पष्ट अभिकथन के अभाव में कि प्रथम इत्तिलाकर्ता को संपत्ति संबंधी अवैध मांग की पूर्ति न किए जाने पर या उसके द्वारा इस प्रकार की मांगों को पूरा करने में असफल रहने पर उसका उत्पीड़न किया गया था, दूसरा अभिकथन याचियों को अपराध में फंसाने का बल खो देता है ।"

10. इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने **नीरज सुभाष मेहता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 9 और 10 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क किसी विवाहित महिला द्वारा की गई आत्महत्या, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, के मामले में उपधारणा संबंधी नियम को विहित करती है । जब कभी इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी महिला द्वारा की गई आत्महत्या को उसके पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया जाता है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की है और उसके पति या उसके पति के नातेदारों ने उसके प्रति क्रूरता बरती है तो न्यायालय 'मामले के सभी अन्य तथ्यों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए' यह उपधारणा बना सकेगा कि महिला द्वारा की गई आत्महत्या को उसके पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है । अत:, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपधारणा को स्वत: ही विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या और उसके प्रति क्रूरता बरते जाने के सबूत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस उपधारणा को स्थापित करने के लिए इससे कुछ अधिक साक्ष्य अपेक्षित है ।
>
> 10. इस न्यायालय और साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने असंख्य निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि दंड संहिता की धारा 498क के स्पष्टीकरण द्वारा यथाअनुकल्पित क्रूरता क्या है । क्रूरता से कतिपय तीव्रता और संगतता से बरती गई क्रूरता अभिप्रेत है । इसके अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई आती है जिससे शारीरिक और मानसिक संताप उत्पन्न होता है और साथ ही इसमें पीड़िता का प्रपीड़न या उसके विरुद्ध अत्याचार और उसे हानि पहुंचाना और साथ ही उसके विरुद्ध निरंतर आरोप लगाना तथा उसके प्रति भेदभाव बरतना भी है जिससे पीड़िता के अंत:करण में गहन कटुता उत्पन्न हो । दोष को साबित करने के लिए आचरण

[1] 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम्बई 62.

इस प्रकार का होना चाहिए जिससे विवाहित महिला के मस्तिष्क में यह भाव उत्पन्न हो कि जीवन जीने योग्य नहीं है और उसके पास केवल एक ही विकल्प रह गया है कि उसे मर जाना चाहिए । अन्य शब्दों में, दंड संहिता की धारा 498क के उपबंध किसी विवाहित महिला के प्रति निर्बाध, सतत् और गंभीर क्रूरता के माध्यम से उसे आत्महत्या करने हेतु मजबूर करने के आशय को अनुध्यात करते हैं । इस प्रकृति का स्वैच्छिक आचरण, जिससे किसी विवाहित महिला को आत्महत्या करने हेतु मजबूर किया जाए या ऐसी किसी संभावना की ओर धकेला जाए या उसे इस बात के लिए दुष्प्रेरित किया जाए कि वह स्वयं को गंभीर क्षति पहुंचाए या अपने जीवन, अंगों या स्वास्थ्य के प्रति किसी गंभीर खतरे को उत्पन्न करे, स्थापित किया जाना अपेक्षित है । अन्य शब्दों में, वैवाहिक क्रूरता विधिक क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आती है । अन्य शब्दों में, इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि घरेलू जीवन के सामान्य झगड़े और वाद-विवाद या मतभेद क्रूरता के समतुल्य नहीं हो सकते । इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान मामले का इस सीमित प्रयोजन के लिए प्रथमदृष्ट्या परीक्षण करना चाहिए कि क्या आवेदक/अभियुक्त निर्मुक्त किए जाने के लिए हकदार है । यदि विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश का परिशीलन किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि निर्णय के पैरा 65 में कारण संबंधी भाग को सम्मिलित किया गया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवंलब लिया है । यह संप्रेक्षण किया गया है कि मृतका द्वारा 'कच्ची चपातियां' बनाई जाने के मुद्दे पर विवाद हुआ था । इसके पश्चात् यह भी संप्रेक्षण किए गए हैं कि यह एक अत्यंत तुच्छ विषय था जिसके कारण इस प्रकार की घोर प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं है कि वह अपने भाई और माता-पिता को फोन करके घर बुलाती । अन्य शब्दों में, विद्वान् विचारण न्यायाधीश इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सचेत थे कि नेहा द्वारा आत्महत्या की घटना से पूर्व उसके वैवाहिक जीवन में एक अत्यंत तुच्छ घटना/विवाद घटित हुआ था । फिर भी आगे और चर्चा किए बिना दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय

अपराध को साबित मान लिया गया । उसके पश्चात् भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 और साथ ही धारा 113क का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध साबित कर दिया गया है ।"

11. जहां तक धारा 306 का संबंध है वह निम्नानुसार है :–

"306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण – यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

दुष्प्रेरण क्या है और दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन है इस संबंध में दंड संहिता की धारा 107 और 108 में उल्लेख किया गया है जो निम्नानुसार हैं :–

"107. **किसी बात का दुष्प्रेरण** – वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो

पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; अथवा

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा

तीसरा – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।"

"108. **दुष्प्रेरक** – वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता ।"

12. यह मामला उकसाकर दुष्प्रेरण किए जाने का मामला है । किसी व्यक्ति के संबंध में यह कब कहा जाता है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को उकसाया है ? 'उकसाने' पद से किसी व्यक्ति को प्रेरित

करना या उससे आग्रह करना या उसे उत्तेजित करना या उसे भड़काना या प्रोत्साहित करना ताकि वह कोई ऐसा विशिष्ट कार्य करे जिसे वह व्यक्ति अन्यथा नहीं करता । विधि में यह सुस्थापित है कि दुष्प्रेरण के घटकों को स्थापित करने के लिए आपराधिक आशय या आशय की समानता होनी चाहिए । बिना ज्ञान या आशय के दुष्प्रेरण नहीं हो सकता और ज्ञान तथा आशय उस कार्य से संबंधित होने चाहिए जिसके संबंध में दुष्प्रेरण किया गया है, अर्थात् वर्तमान मामले में वह कार्य आत्महत्या है । 'उकसाकर दुष्प्रेरण' के अपराध का गठन करने के लिए आपराधिक कार्य करने हेतु प्रत्यक्ष प्रेरणा को स्थापित किया जाना आवश्यक है । इस विवाद्यक पर विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी विचार किया है और उनके द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों के संबंध में यहां नीचे चर्चा की गई है ।

13. केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान् एकल न्यायाधीश ने **सीरियक, पुत्र देवास्सिया और अन्य** बनाम **पुलिस उप निरीक्षक, कदुथुरुति और अन्य**[1] वाले मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों सहित विभिन्न निर्णयों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किए जाने की अवधारणा पर गहन रूप से विचार किया है ।

विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अंततः इस संबंध में विधिक स्थिति को निम्नानुसार सारबद्ध किया है :–

> "17. मेरे द्वारा पहले ही ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैं निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता हूं – तथापि, अभियुक्त द्वारा अपमानित करने और गाली-गलौज करने के कार्य या आचरण को स्वयं में तब तक आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण के घटक के रूप में पर्याप्त नहीं माना जा सकता जब तक कि उपरोक्त कार्य संगत रूप से यह सुझाव देने में सक्षम न हो कि उपरोक्त कार्य करने के पीछे अभियुक्त का आशय यह था कि उनके परिणामस्वरूप पीड़िता आत्महत्या कर ले । यदि अभियुक्त द्वारा बोले गए शब्दों या सार्वजनिक रूप से उसके द्वारा किए गए

[1] 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4322 (केरल).

आचरण को मृतका का अपमान या अनादर करने हेतु और साथ ही आत्महत्या करने हेतु मजबूर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है तो भी अभियुक्त द्वारा किए गए उपरोक्त कार्य को तब तक आत्महत्या करने हेतु उकसाना या दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं कर दिया जाता कि अभियुक्त अपने उपरोक्त कार्यों द्वारा यह आशय रखता था कि उनके परिणामस्वरूप मृतका आत्महत्या कर ले । यदि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य मृतका के मन में आत्महत्या करने का विचार उत्पन्न करते हैं तो भी यह अपराध का गठन करने हेतु पर्याप्त नहीं है ।

18. अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य या उसके द्वारा कहीं गई बातों से यदि मृतका का मन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ या उनके कारण उसे इस प्रकार का आघात पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली तो भी यह आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है । तथापि, मृतका के मन में उठने वाले स्वयं के लिए घातक विचार या उसकी दुर्भाग्यपूर्ण सोच कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण और भावुक क्यों न हो वह दंड संहिता की धारा 306 में अंतर्विष्ट उपबंधों के प्रभाव में फेरफार नहीं कर सकती । संक्षिप्त रूप से यह इस संबंध में नहीं है कि मृतक को क्या 'महसूस' हुआ अपितु यह इस बारे में है कि अभियुक्त का अपने कार्यों द्वारा क्या करना 'आशयित' था और वर्तमान संदर्भ में यही बात अधिक महत्वपूर्ण है ।"

14. **शिवाजी शीतोले और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 19 में इस न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 306 में उपबंधित विधिक स्थिति को भलीभांति स्पष्ट किया है । उक्त पैरा 19 निम्नानुसार है :–

"19. उपरोक्त चर्चा से उभरने वाली विधिक स्थिति इस प्रकार है कि – यदि कोई व्यक्ति किसी अभियुक्त द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के कारण आत्महत्या कर लेता है तो भी अभियुक्त के

[1] 2012 (3) बम्बई सी. आर. (क्रिमिनल) 532.

संबंध में तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण किया है जब तक कि अभियुक्त का पीड़ित/मृतक के प्रति अत्याचार किए जाने का आशय यह न हो कि वह उसके उक्त अत्याचार के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ले । यदि इस विधिक सिद्धांत की कठोरता को थोड़ा कम भी कर दिया जाए तो भी यह दर्शित करना अपेक्षित है कि अभियुक्त युक्तियुक्त रूप से इस बात का अनुमान लगा सकता था कि उसके आचरण के कारण पीड़ित लगभग निश्चित रूप से या कम से कम संभाविक रूप से आत्महत्या कर सकता है । जब तक कि पीड़ित को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इस प्रकार का अभियुक्त का आशय साबित न कर दिया जाए या यह साबित न कर दिया जाए कि अभियुक्त युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगा सकता था या वह पीड़ित/मृतक से यह आशा कर सकता था कि वह उसके आचरण के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर लेगा, तब तक अभियुक्त पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है । यह आरोप उस समय भी नहीं लगाया जा सकता है कि यदि पीड़ित/मृतक द्वारा आत्महत्या अभियुक्त द्वारा किए गए कतिपय कार्यों के परिणामस्वरूप की गई है । रिपोर्ट किए गए निर्णयों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त ने गाली-गलौज करते हुए तथा अपमानजनक भाषा में इन शब्दों को कहा है कि 'जा और मर जा', जिसके परिणामस्वरूप अभिकथित रूप से आत्महत्या की गई, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह आत्महत्या करने हेतु उकसाए जाने के समतुल्य नहीं है और इसके परिणामस्वरूप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण संबंधी कोई अपराध स्थापित नहीं होता है ।"

15. उच्चतम न्यायालय ने **उदय सिंह और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस बात को भलीभांति स्पष्ट किया है कि दुष्प्रेरण क्या है । उक्त निर्णय के पैरा 37 से पैरा 40 को नीचे उद्धृत किया गया है :–

"37. इस प्रकार 'दुष्प्रेरण' में एक मानसिक प्रक्रिया अंतर्वलित

[1] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 924.

है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को कुछ करने हेतु उकसाया जाता है । किसी व्यक्ति के संबंध में उस समय यह कहा जाता है कि उसने दुष्प्रेरण किया है जब वह, (i) उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; अथवा (ii) उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा (iii) उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है । ये अपराध के रूप में दुष्प्रेरण को पूरा करने के लिए अनिवार्य घटक हैं । 'उकसाने' पद से किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए उत्तेजित करना, प्रेरित करना या उससे आग्रह करना या उसे भड़काना या प्रोत्साहित करना अभिप्रेत है ।

38. आत्महत्या के अभिकथित दुष्प्रेरण के मामलों में इस बात का सबूत होना आवश्यक है कि आत्महत्या किए जाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया गया था । इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आत्महत्या के कारण का प्रश्न, विशिष्ट रूप से आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के संदर्भ में, सदैव अनुत्तरित रहता है । आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरण के आरोप के मामले में किसी न्यायालय को यह देखना चाहिए कि इस बात का अकाट्य और विश्वसनीय सबूत विद्यमान है कि आत्महत्या किए जाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया गया था । आत्महत्या की दशा में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के उत्पीड़न का आरोप मात्र तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया गया हो जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो और इस प्रकार का आपराधिक कार्य घटना के समय के आस-पास किया गया हो । इस प्रश्न का उत्तर कि क्या किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरित किया गया था अथवा नहीं, प्रत्येक मामले के विनिर्दिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही दिया जा सकता है ।

39. यह निष्कर्ष निकालने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी

व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कारित करने का दुष्प्रेरण किया है, इस तथ्य पर विचार करना होगा कि यदि अभियुक्त आत्महत्या करने हेतु उकसाने के कार्य का दोषी है तो यह कहा जा सकता है कि उसने आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने का अपराध किया है । जैसा कि इस न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में स्पष्ट किया है और बार-बार दोहराया है, उकसाने से किसी व्यक्ति को प्रेरित करना या उससे आग्रह करना या उसे उत्तेजित करना या उसे भड़काना या प्रोत्साहित करना अभिप्रेत है, ताकि वह कोई ऐसा विशिष्ट कार्य करे जिसे वह व्यक्ति अन्यथा नहीं करता । यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशीन है और अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य से अन्यथा सामान्य रूप से यह प्रत्याशा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति समान परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेता तो यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित नहीं होगा कि अभियुक्त आत्महत्या का दुष्प्रेरण किए जाने के अपराध का दोषी है । किन्तु, दूसरी ओर यदि अभियुक्त अपने कार्यों द्वारा अपने सतत् आचरण के अनुक्रम में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे मृतक की यह अवधारणा बनती है कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है तो यह मामला दंड संहिता की धारा 306 के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । यदि अभियुक्त पीड़ित के आत्म सम्मान को नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाता है जिसके कारण अंततोगत्वा पीड़ित आत्महत्या कर लेता है तो अभियुक्त को आत्महत्या का दुष्प्रेरण किए जाने के अपराध का दोषी माना जा सकता है । अभियुक्त की दोषी मन:स्थिति के प्रश्न पर ऐसे मामलों में अभियुक्त के वास्तविक कार्यों और कृत्यों के प्रतिनिर्देश से परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य तथा कृत्य केवल ऐसे प्रकृति के हैं जिनसे स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने आता है कि अभियुक्त का आशय केवल अभियुक्त का उत्पीड़न करना था या उसने उक्त कृत्य क्रोधवश किए थे तो ऐसी स्थिति में कोई विशिष्ट मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा । तथापि, यदि अभियुक्त मृतक को तब तक अपने शब्दों या कृत्यों के माध्यम से तंग करता है या क्रोध

दिलाता है, जब तक कि मृतक कोई प्रतिक्रिया दर्शित न करे या आवेश में न आ जाए तो ऐसा कोई विशिष्ट मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरण के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है । इस प्रकार ऐसे मामलों में मानवीय व्यवहार का बारीकी से विश्लेषण सम्मिलित होता है, इसलिए प्रत्येक मामले में यह अपेक्षित है कि उसे उसके तथ्यों के आलोक में मूल्यांकित किया जाए और साथ ही ऐसे सभी संबंधित कारकों को विचार में लिया जाए जो अभियुक्त और मृतक के कार्यों और उनकी मन:स्थिति पर प्रभाव डालते हैं ।

40. हम यह भी संप्रेक्षण करने की वांछा करते हैं कि मानवीय मस्तिष्क असंख्य तरीकों से प्रभावित हो सकता है और तद्नुसार प्रतिक्रिया कर सकता है और किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव में अनेक प्रकार की संभावनाएं सम्मिलित होती हैं । इसी प्रकार, भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न रूप से कार्रवाइयों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं दर्शित करते हैं और जहां तक किसी विशिष्ट व्यक्ति की किसी अन्य मनुष्य के कार्य के प्रति प्रतिक्रिया का संबंध है, उसका माप-तौल करने या उसका अनुमान लगाने हेतु कोई विनिर्दिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता । किसी लड़की के उत्पीड़न के प्रश्न से संबंधित कारकों के संबंध में भी अनेक कारकों पर विचार करना पड़ता है जैसे कि आयु, व्यक्तित्व, पालन-पोषण, ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि, शिक्षा आदि । छेड़छाड़ के दुष्कृत्य के संबंध में प्रतिक्रिया और किसी युवती के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव अनेक कारकों के कारण भिन्न-भिन्न हो सकता है जिसमें उसकी पृष्ठभूमि, आत्म-विश्वास और पालन-पोषण भी सम्मिलित हैं । अत:, ऐसे प्रत्येक मामले में उसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।"

16. **राजेश** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 की दांडिक अपील सं. 93 में तारीख 18 जनवरी, 2019 को दिए गए एक रिपोर्ट न किए गए निर्णय के पैरा 8 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया गया है :–

---

[1] 2019 केरल एल. जे. 434.

"8. दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि केवल उत्पीड़न के आरोप के आधार पर उस समय कायम रखे जाने योग्य नहीं है जब तक अभियुक्त की ओर से घटना के समय के आस-पास कोई सकारात्मक कार्य न किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति ने आत्महत्या की या वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ । दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध को स्थापित करने के लिए आत्महत्या का कोई मामला विद्यमान होना चाहिए और उक्त अपराध को कारित किए जाने में उस व्यक्ति ने, जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण किया है, आत्महत्या किए जाने को सुकर बनाने के लिए उकसाने का कार्य करके या कोई अन्य संबद्ध कतिपय कार्य करके कोई सक्रिय भूमिका निभाई हो । अतः, उक्त अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित तथा भलीभांति स्थापित किया जाना चाहिए, उसके पश्चात् ही ऐसे व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जा सकता है । [अमलेन्दु पाल **उर्फ** झांटू **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 707 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 512] ।"

17. विभिन्न न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सुझाव प्राप्त होना चाहिए या उससे यह उपदर्शित होना चाहिए कि अभियुक्त को यह तथ्य ज्ञात था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि मृतक आत्महत्या कर लेगा । वर्तमान मामले में इस प्रकार का सुझाव देने वाला कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है ।

18. **घूरे लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे कारकों का उल्लेख किया है जिसे किसी अपीली न्यायालय को दोषमुक्ति के विरुद्ध किसी अपील की सुनवाई करते समय ध्यान में रखना चाहिए । उक्त निर्णय के पैरा 72 और 73 निम्नानुसार हैं :–

[1] (2008) 10 एस. सी. सी. 450 = ए. आई. आर. (सप्ली.) 2009 एस. सी. 1318.

"72. ऊपर उल्लिखित मामलों से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं –

1. कोई अपीली न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378 और 386 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपीलों में साक्ष्य का पुनर्विलोकन कर सकेगा । ऐसे न्यायालय की इस प्रकार साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की शक्ति व्यापक है और अपीली न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है । वह विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों तथा विधि, दोनों के संबंध में निकाले गए निष्कर्षों का पुनर्विलोकन कर सकता है ।

2. अभियुक्त को, उसके दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है । अभियुक्त के पास यह अवधारणा मौजूद थी जब वह विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण का सामना कर रहा था । विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति इस अवधारणा को और बल प्रदान करती है कि वह निर्दोष है ।

3. विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सम्यक् या उचित बल दिया जाना चाहिए और उस पर सम्यक् रूप से विचार किया जाना चाहिए । यह विशेष रूप से उस समय सत्य है जब किसी साक्षी की विश्वसनीयता को एक विवाद्यक बनाया जाता है । किसी उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्य के संबंध में केवल एक भिन्न मत बनाना पर्याप्त नहीं है । विचारण न्यायालय को गलत ठहराने के लिए सारवान् और सुदृढ़ कारण होने चाहिए ।

73. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय और अन्य अपीली न्यायालयों को अनेक निर्णय द्वारा भलीभांति स्थापित निम्नलिखित सिद्धांतों का उस समय अनुसरण करना चाहिए यदि वह विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति को अपास्त कर रहा है या अन्यथा उपरोक्त निर्णय में कोई हस्तक्षेप कर रहा है –

1. अपीली न्यायालय केवल उस समय विचारण

न्यायालय की दोषसिद्धि को अपास्त कर सकता है या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप कर सकता है यदि उसके पास ऐसा करने के लिए 'अत्यंत सारवान् और सुदृढ़ कारण' मौजूद हैं ।

ऐसे अनेक दृष्टांत मौजूद हैं जिनमें अपीली न्यायालय के पास विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करने हेतु 'अत्यंत सारवान् और सुदृढ़ कारण' मौजूद होंगे । 'अत्यंत सारवान् और सुदृढ़ कारण' उस समय मौजूद समझे जाएंगे जब –

(i) विचारण न्यायालय का तथ्यों के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है ;

(ii) विचारण न्यायालय का निर्णय विधि के किसी त्रुटिपूर्ण मत पर आधारित है ;

(iii) विचारण न्यायालय के निर्णय से 'न्याय को गंभीर क्षति' पहुंचने की संभावना है ;

(iv) विचारण न्यायालय का साक्ष्य का मूल्यांकन करने संबंधी संपूर्ण दृष्टिकोण सर्वथा अविधिपूर्ण था ;

(v) विचारण न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित और तर्कहीन था ;

(vi) विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की अनदेखी की है या उसने सारवान् साक्ष्य को मिथ्या परिप्रेक्ष्य में लिया है या उसने मृत्युकालिक कथन/प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट आदि जैसे सारवान् दस्तावेजों की अनदेखी की है ।

(vii) इस सूची का आशय दृष्टांतात्मक है और यह स्वयं में संपूर्ण नहीं है ।

2. अपीली न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को सदैव समुचित बल और विचार प्रदान करना चाहिए ।

3. यदि दो युक्तियुक्त मत बनाए जा सकते हैं, एक जो दोषमुक्ति की ओर संकेत करता है तथा दूसरा, जो दोषसिद्धि की ओर संकेत करता है तो उच्च न्यायालय/अपीली न्यायालयों

को ऐसे मत को, जो अभियुक्त के पक्ष में है, अपनाते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त करना चाहिए ।"

19. उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों, जिसके अंतर्गत **मुरलीधर और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाला मामला भी है, यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से गलत या विधि के किसी त्रुटिपूर्ण मत पर आधारित न पाया जाए या यदि ऐसे निष्कर्षों को लागू किया जाता है तो इस बात की संभावना है कि किसी व्यक्ति के साथ घोर अन्याय हो सकता है तो तब तक अपीली न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मात्र इसलिए कि अपीली न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् कोई भिन्न मत बनाने का इच्छुक है, दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उस समय उचित नहीं है यदि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष एक संभाव्य निष्कर्ष है ।

हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्यर्थी के पक्ष में उसके निर्दोष होने की अवधारणा भी विद्यमान है और ऐसी अवधारण को विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित दोषमुक्ति के आदेश से बल प्राप्त होता है ।

उच्चतम न्यायालय ने **रमेश बाबूलाल दोशी** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीली न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह अभिनिर्धारित करता है कि दोषमुक्ति के आदेश को किसी भी प्रकार से कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि अपीली न्यायालय को आक्षेपित आदेश पूर्णतया गलत, प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण या प्रदर्शनीय रूप से कायम न रखे जाने योग्य प्रतीत होता है, तो अपीली न्यायालय अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन कर सकता है । अन्य शब्दों में यदि अपीली न्यायालय यह पाता है कि विचारण न्यायालय के आदेश में कुछ भी गलत या प्रत्यक्ष रूप से कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है तो अपीली

---

[1] (2014) 5 एस. सी. सी. 730 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2200.

[2] (1996) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 972 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2035.

न्यायालय को साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

20. मुझे विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कुछ भी पूर्णतया गलत, प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण या प्रदर्शनीय रूप से कायम न रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य में ऐसी कोई सामग्री विद्यमान नहीं है जो अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करती हो ।

21. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया है और इसलिए अभियुक्त के पक्ष में दोहरी अवधारणा विद्यमान है । प्रथमत:, दांडिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन अभियुक्त को उपलब्ध निर्दोषिता की यह अवधारणा कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । द्वितीय, अभियुक्त ने विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति प्राप्त की है और इस प्रकार उसकी निर्दोषिता की अवधारणा को विचारण न्यायालय के निर्णय से और अधिक बल मिलता है, उसकी पुन: पुष्टि होती तथा वह और अधिक सुदृढ़ हो जाती है । अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है ।

22. मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरे मतानुसार विचारण न्यायालय की राय को अविधिपूर्ण या अनुचित या विधि के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता । मेरे विचार में दोषमुक्ति के आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । मुझे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है ।

23. अपील खारिज की गई ।

अपील खारिज की गई है ।

पु.

**आशिक हुसैन**

बनाम

**कमाल**

(2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2418)

तारीख 27 फरवरी, 2020

**न्यायमूर्ति एस. के अवस्थी**

**परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 – चैक का अनादर – परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उसने अभियुक्त को 3.0 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया था, जिसका प्रतिसंदाय करने हेतु अभियुक्त द्वारा उसे उक्त रकम का एक चैक जारी किया गया जिसे बैंक खाते में प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त के खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण अनादर कर दिया गया – अभियुक्त द्वारा परिवादी के उक्त दावे से इनकार किया जाना और अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिकथन करना कि उसने परिवादी से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया था – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा यह प्रतिरक्षा लिया जाना कि कुछ समय पूर्व उसकी चैक बुक, मोबाइल और कतिपय अन्य वस्तुएं खो गई थीं जिसके संबंध में उसने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई थी और उक्त चैक बुक में से चैक का उपयोग करके परिवादी ने उसे मिथ्या रूप से वर्तमान मामले में फंसाया है – इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह तर्क दिया जाना कि परिवादी अपनी आय के उस स्रोत को दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसने अभियुक्त को अभिकथित रूप से ऋण उपलब्ध कराया था – इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि अभिकथित चैक पर मौजूद हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हैं – प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त के पुत्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके पिता ने परिवादी से ऋण प्राप्त किया था – इस प्रकार, अभियुक्त इस उपधारणा को नकारने में असफल रहा है कि उस पर किसी प्रकार का ऋण या दायित्व विद्यमान नहीं है – मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में**

**रखते हुए निचले न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि उपयुक्त प्रतीत होती है और इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है, यद्यपि, अभियुक्त की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उसके कारावास की अवधि में कमी की जाती है ।**

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी कमाल ने आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए एक निजी परिवाद फाइल किया था कि उसने आवेदक को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु 3.0 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया था । पूर्वोक्त रकम का प्रतिदाय करने के लिए आवेदक ने तारीख 15 जनवरी, 2013 का एक चैक सं. 005647 जारी किया था जो 3.0 लाख रुपए की रकम का था । जब इस चैक को प्रत्यर्थी द्वारा नकदीकरण हेतु अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया गया तो उक्त चैक इस टिप्पणी के साथ अनादर कर दिया गया कि आवेदक के खाते में 'पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है' । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी/परिवादी ने चैक में अंकित रकम का संदाय करने हेतु आवेदक को एक कानूनी सूचना जारी की किन्तु उक्त सूचना की तामील होने के पश्चात् भी आवेदक ने उक्त सूचना में अनुबंधित समयावधि के भीतर उक्त रकम का संदाय नहीं किया । पूर्वोक्त परिवाद के आधार पर विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने हेतु संज्ञान लिया । आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर आवेदक को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई गई और आवेदक ने अभिकथित अपराध का दोषी न होने संबंधी अभिवाक् किया तथा उसने विचारण का दावा किया । उसने इस प्रतिरक्षा का अवलंब लिया कि जब वह नूरानी नगर से चंदन नगर जा रहा था तो मार्ग में उसकी चैक बुक खो गई थी और उसने चैक बुक के खो जाने के संबंध में पुलिस थाना चंदन नगर, इंदौर को भी रिपोर्ट किया था, प्रत्यर्थी ने पूर्वोक्त चैक बुक का दुरुपयोग करते हुए आवेदक को वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया है । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध को

कारित करने के लिए दोषी पाया और उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । दोषसिद्धि संबंधी पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर आवेदक ने सेशन न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 372 फाइल की, जिसे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । अत:, आवेदक ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने और अभिलेख पर उपलबध सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् उक्त याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – वर्तमान मामले में, परिस्थितियों के अधीन यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक/अभियुक्त ऋण या दायित्व की विद्यमानता के संबंध में परिवादी/प्रत्यर्थी के दावे को गलत साबित करने में असफल रहा है । विधि में यह भलीभांति स्थापित है कि कोई उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तब तक मजिस्ट्रेट के किसी आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह विधि के प्रतिकूल न हो या वह स्पष्ट रूप से अनुचित न हो या वह असंगत सामग्री को विचार में लिए जाने पर आधारित न हो । आदेश को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता कि मामले में कोई अन्य मत भी संभव है । पूर्वोक्त परिचर्चा के आधार पर उच्च न्यायालय का मत यह है कि निचले न्यायालयों ने आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराकर कोई त्रुटि नहीं की है और इसलिए आवेदक की दोषसिद्धि के संबंध में निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों की पुष्टि की जाती है, तथापि, आवेदक की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उसके कारावास की अवधि, जो छह मास के कठोर कारावास के रूप में है, को घटाकर तीन मास की अवधि का कठोर कारावास किया जाता है और साथ ही उसे यह भी निदेश दिया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अधीन परिवादी/प्रत्यर्थी को 3.90 लाख रुपए की रकम के प्रतिकर का संदाय करे, जिसमें से 50% की रकम का उसने पहले ही विचारण न्यायालय के समक्ष निक्षेप कर दिया है । तद्नुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका

पूर्वोक्त उपांतरणों, जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, के साथ आंशिक रूप से मंजूर की जाती है । आवेदक जमानत पर है और इसलिए उसके जमानत बंधपत्र और प्रतिभू बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है । आवेदक को यह निदेश दिया जाता है कि वह आज की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अपने शेष बचे कारावास के दंड को पूरा करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे । इस आदेश की एक प्रति निचले न्यायालयों को सूचनार्थ और आवश्यक अनुपालन हेतु अभिलेखों सहित अग्रेषित की जाए । पैरा 13, 14, 15, 16 और 17)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2019] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 389 :
**रोहित भाई जीवन लाल पटेल** बनाम **गुजरात राज्य** ; 12

[1989] ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 908 :
**इंडियन बैंक** बनाम **दातला वेंकट चिन्ना कृष्णम् राजू** । 10

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2418.**

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका आवेदक/अभियुक्त द्वारा द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, इंदौर द्वारा वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 372 में तारीख 8 अप्रैल, 2019 को पारित निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

**याची की ओर से** श्री एम. ए. बोहरा

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री एम. एस. पाटीदार

**न्यायमूर्ति एस. के. अवस्थी** – आवेदक/अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 397/401 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण याचिका, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, इंदौर द्वारा 2016 की दांडिक अपील सं. 372 में तारीख 8 अप्रैल, 2019 को पारित उस आदेश के विरुद्ध फाइल की है, जिसके द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इंदौर द्वारा 2013 के अपराध मामला सं. 10056 में पारित उस निर्णय की पुष्टि की थी

जिसके द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध को करित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया था और उसके विरुद्ध छह मास के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया था और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अधीन परिवादी/प्रत्यर्थी को 3.90 लाख रुपए की रकम के प्रतिकर का संदाय करने का भी निदेश दिया था ।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी कमाल ने आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए एक निजी परिवाद फाइल किया था कि उसने आवेदक को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु 3.0 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया था । पूर्वोक्त रकम का प्रतिदाय करने के लिए आवेदक ने तारीख 15 जनवरी, 2013 का एक चैक सं. 005647 जारी किया था जो 3.0 लाख रुपए की रकम का था । जब इस चैक को प्रत्यर्थी द्वारा नकदीकरण हेतु अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया गया तो उक्त चैक इस टिप्पणी के साथ अनादर कर दिया गया कि आवेदक के खाते में 'पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है' । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी/परिवादी ने चैक में अंकित रकम का संदाय करने हेतु आवेदक को एक कानूनी सूचना जारी की किन्तु उक्त सूचना की तामील होने के पश्चात् भी आवेदक ने उक्त सूचना में अनुबंधित समयावधि के भीतर उक्त रकम का संदाय नहीं किया ।

3. पूर्वोक्त परिवाद के आधार पर विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने हेतु संज्ञान लिया । आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर आवेदक को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई गई और आवेदक ने अभिकथित अपराध का दोषी न होने संबंधी अभिवाक् किया तथा उसने विचारण का दावा किया । उसने इस प्रतिरक्षा का अवलंब लिया कि जब वह नूरानी नगर से चंदन नगर जा रहा था तो मार्ग में उसकी चैक बुक खो गई थी और उसने चैक बुक के खो जाने के संबंध में पुलिस थाना चंदन नगर, इंदौर को भी रिपोर्ट किया था, प्रत्यर्थी ने पूर्वोक्त चैक बुक का दुरुपयोग करते हुए आवेदक को वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया है ।

4. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए दोषी पाया और इस आदेश के ऊपर पैरा स. 1 में उल्लिखित किए गए अनुसार उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । दोषसिद्धि संबंधी पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर आवेदक ने सेशन न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 372 फाइल की, जिसे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । अतः, आवेदक ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की है ।

5. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि परिवादी/प्रत्यर्थी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए 3.0 लाख रुपए की रकम का ऋण लिया था, जो कि परिवादी द्वारा आवेदक को इसलिए उपलब्ध कराया गया था क्योंकि उनके बीच परस्पर मधुर संबंध विद्यमान थे । प्रत्यर्थी/परिवादी अपनी आय के ऐसे स्रोत को साबित करने में असफल रहा है, जिससे उसने आवेदक/अभियुक्त को पूर्वोक्त रकम का ऋण उपलब्ध कराया था । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन यह अपेक्षित है कि सर्वप्रथम प्रत्यर्थी/परिवादी ऋण या अन्य दायित्वों के विद्यमान होने के संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात् ही सबूत प्रस्तुत करने का भार आवेदक पर अंतरित होगा । परिवादी/प्रत्यर्थी इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि उसने आवेदक/अभियुक्त को 3.0 लाख रुपए की रकम का ऋण उपलब्ध कराया था और इसलिए आवेदक के विरुद्ध किसी विधिक ऋण या अन्य दायित्वों के विद्यमान होने के संबंध में उपधारणा नहीं बनाई जा सकती । यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि चैक के अनादर के संबंध में आवेदक/अभियुक्त पर किसी प्रकार की कानूनी सूचना की तामील नहीं की गई थी । अतः, विचारण न्यायालय और साथ ही अपीली न्यायालय ने अभिकथित अपराध के लिए आवेदक/अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराकर गंभीर त्रुटि की है । इन परिस्थितियों के अधीन

आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि वह आक्षेपित निर्णय और आवेदक की दोषसिद्धि को अपास्त करे ।

6. प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद करते हुए आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है कि प्रश्नगत चैक आवेदक द्वारा जारी किया गया था और उसने अपने विधिक ऋण और अन्य दायित्वों के निर्वहन के मद्दे उक्त चैक पर किए गए अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है । अत: प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया है कि याचिका को खारिज किया जाए ।

7. दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया ।

8. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि कानूनी सूचना की तामील एक अज्ञापक अपेक्षा है, तथापि, प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा फाइल किया गया परिवाद सूचना की तामील संबंधी आज्ञापक अपेक्षा को पूरा नहीं करता है । यह आग्रह किया गया है कि स्वयं परिवादी ने इस तथ्य को कहीं भी प्रकट नहीं किया है कि उसने अभियुक्त पर किसी प्रकार की किसी सूचना की तामील की थी ।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि कानूनी सूचना तारीख 11 फरवरी, 2013 को रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से अभियुक्त को भेजी गई थी किन्तु अभियुक्त की ओर से न तो कोई डाक लिफाफा और न ही किसी प्रकार की कोई अभिस्वीकृति प्राप्त हुई । प्रत्यर्थी ने उसके पश्चात् 15 दिन की अवधि के अवसान की प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् उसने अपना परिवाद फाइल किया । प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि कानूनी सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से सम्यक् अभिस्वीकृति के साथ भेजी गई थी और सूचना की तामील के बारे में तब तक यह माना जाता है कि उक्त तामील उस समय पूरी कर दी गई है जब डाक के सामान्य अनुक्रम में पत्र को परिदत्त किया गया,

जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न किया गया हो । इस संबंध में प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 27 का अवलंब लिया है ।

10. **इंडियन बैंक** बनाम **दातला वेंकट चिन्ना कृष्णम् राजू**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 13 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "13. सूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया था किन्तु न तो अभिस्वीकृति कार्ड प्राप्त हुआ और न ही तामील न किया गया रजिस्ट्रीकृत लिफाफा न्यायालय को वापस प्राप्त हुआ । अतः, हम यह उपधारणा बनाते हैं कि प्रत्यर्थी को सम्यक् तामील कर दी गई है ।"

11. उक्त उद्घोषणा के संदर्भ में अभिलेख का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने आवेदक को चैक की रकम का संदाय करने के लिए स्पीड पोस्ट के अधीन सम्यक् अभिस्वीकृति के साथ सूचना भेजी थी, तथापि, न तो तामील न किया गया डाक लिफाफा वापस प्राप्त हुआ और न ही आवेदक को उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त हुई । इन परिस्थितियों के अधीन साधारण खंड अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अधीन आवेदक (चैक के आहरणकर्ता) के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा बनाई जाएगी । उक्त सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् परिवाद फाइल किया गया, जिससे विधि की अपेक्षा भलीभांति पूर्ण होती है । अतः, आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा इस संबंध में उठाया गया पूर्वोक्त आक्षेप स्वीकार्य नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा चैक की रकम के संदाय हेतु कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई ।

12. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने एक अन्य प्रतिवाद भी उठाया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी अपनी आय के ऐसे स्रोत को साबित करने में असफल रहा है जिससे उसने आवेदक को उपरोक्त रकम का संदाय किया

---

[1] ए. आई. आर. 1989 एस. सी. सी. 908.

था, अत:, निचले न्यायालय ने आवेदक को उक्त अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराकर गंभीर त्रुटि की है । तथापि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्वोक्त प्रतिवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रोहित भाई जीवन लाल पटेल** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए कोई बल प्रतीत नहीं होता है, जिसमें एक समान विवाद्यक के संबंध में कार्यवाही करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा सं. 30 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "30. विचारण न्यायालय द्वारा किए गए इस प्रभाव के संप्रेक्षण कि प्रत्यर्थी को ऋण उपलब्ध कराने के लिए निधियों के स्रोत को दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या यह कि आवेदक ने उक्त संव्यवहार को पावती के रूप में या यहां तक कि किसी कच्चे टिप्पण के रूप में भी लेखबद्ध नहीं किया या यह कि परिवादी और उसके साक्षियों के कथन में विसंगतियां विद्यमान हैं या यह कि परिवादी के साक्षियों को मामले के तथ्यों की संपूर्ण जानकारी नहीं थी, आदि उस समय सुसंगत होते, यदि इस मामले की परीक्षा इस प्रतिनिर्देश से की जाती कि यह उत्तरादयित्व परिवादी का है कि वह अपने मामले को सभी सुसंगत संदेहों से परे साबित करे । इस प्रभाव के विचार और संप्रेक्षण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के कारण परिवादी के पक्ष में विद्यमान उपधारणा के समक्ष नहीं ठहर सकते । इस बात को दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी उपधारणा का परिणाम यह है कि इससे यह माना जाएगा कि परिवादी के पक्ष में एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण विद्यमान है जो उसे प्रत्यर्थी से वापस प्राप्त करना है । जब इस प्रकार की उपधारणा बनाई जाती है तो पावतियों या लेखाओं के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य या निधियों के स्रोत के संबंध में साक्ष्य की वांछा उस समय सुसंगत प्रतीत नहीं होती जब मामले की परीक्षा की

---

[1] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 389.

जाती है और यदि अभियुक्त इस उपधारणा को गलत साबित करने में असफल रहता है ।"

13. विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों से यह प्रतीत होता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय का यह मत था कि चैक आवेदक/अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर विद्यमान हैं । यद्यपि, अभियुक्त/आवेदक ने अपनी प्रतिरक्षा के रूप में अपने पुत्र हुसैन की परीक्षा की है, जिसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसके पिता ने प्रत्यर्थी/परिवादी से कभी भी कोई ऋण प्राप्त नहीं किया था और न ही उसने उक्त रकम के प्रतिसंदाय हेतु प्रत्यर्थी/परिवादी को चैक जारी किया था । उसने आगे इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसके पिता की चैक बुक, मोबाइल फोन और प्रमाणपत्र कहीं खो गए थे और उसके पिता ने इस संबंध में पुलिस को भी सूचित किया था किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त प्रतिरक्षा साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके पिता ने चैक बुक खो जाने के संबंध में बैंक में कोई रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं कराई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 13 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके पिता ने परिवादी से ऋण प्राप्त किया था और हुसैन (प्रति. सा. 1) द्वारा की गई उक्त स्वीकारोक्ति परिवादी के पक्षकथन का समर्थन करती है । इन परिस्थितियों के अधीन यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक/अभियुक्त ऋण या दायित्व की विद्यमानता के संबंध में परिवादी/प्रत्यर्थी के दावे को गलत साबित करने में असफल रहा है ।

14. विधि में यह भलीभांति स्थापित है कि कोई उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तब तक मजिस्ट्रेट के किसी आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह विधि के प्रतिकूल न हो या वह स्पष्ट रूप से अनुचित न हो या वह असंगत सामग्री को विचार में लिए जाने पर आधारित न हो । आदेश को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता कि मामले में कोई अन्य मत भी संभव है ।

15. पूर्वोक्त परिचर्चा के आधार पर मेरा मत यह है कि निचले न्यायालयों ने आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराकर कोई त्रुटि नहीं की है और इसलिए आवेदक की दोषसिद्धि के संबंध में निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों की पुष्टि की जाती है, तथापि, आवेदक की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उसके कारावास की अवधि, जो छह मास के कठोर कारावास के रूप में है, को घटाकर तीन मास की अवधि का कठोर कारावास किया जाता है और साथ ही उसे यह भी निदेश दिया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अधीन परिवादी/प्रत्यर्थी को 3.90 लाख रुपए की रकम के प्रतिकर का संदाय करे, जिसमें से 50% की रकम का उसने पहले ही विचारण न्यायालय के समक्ष निक्षेप कर दिया है । तद्नुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका पूर्वोक्त उपांतरणों, जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, के साथ आंशिक रूप से मंजूर की जाती है ।

16. आवेदक जमानत पर है और इसलिए उसके जमानत बंधपत्र और प्रतिभू बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है । आवेदक को यह निदेश दिया जाता है कि वह आज की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अपने शेष बचे कारावास के दंड को पूरा करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे ।

17. इस आदेश की एक प्रति निचले न्यायालयों को सूचनार्थ और आवश्यक अनुपालन हेतु अभिलेखों सहित अग्रेषित की जाए ।

नियमानुसार प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए ।

याचिका आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

पु.

संसद् के अधिनियम

# प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

**(2005 का अधिनियम संख्यांक 29)**

**[23 जून, 2005]**

**प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विनियमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

**2. परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "बख्तरबंद कार सेवा" से बख्तरबंद कार के साथ सशस्त्र रक्षकों के अभिनियोजन द्वारा प्रदान की गई सेवा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएं अभिप्रेत हैं, जो समय-समय पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुज्ञप्ति" से धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "प्राइवेट सुरक्षा" से, किसी व्यक्ति या संपत्ति अथवा दोनों की संरक्षा या रक्षा करने के लिए लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बख्तरबंद कार सेवा की व्यवस्था भी है ;

(छ) "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण" से किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं जिनके अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा गार्डों या उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना भी है, उपलब्ध कराने या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ, सरकारी अभिकरण, विभाग या संगठन से भिन्न, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "प्राइवेट सुरक्षा गार्ड" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को शस्त्र सहित या उनके बिना प्राइवेट सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उसके अंतर्गत पर्यवेक्षक भी है ;

(झ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है ।

**3. नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) राज्य सरकार, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, उसे ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

**4. व्यक्तियों या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के बिना प्राइवेट सुरक्षा गार्ड न रखना या उपलब्ध न कराना** – कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार तभी करेगा या प्रारंभ करेगा, जब उसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति हो :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार कर रहा है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक और यदि उसने एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर दिया है तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक, ऐसा कारबार करता रहेगा :

परन्तु यह और कि कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विदेश में प्राइवेट सुरक्षा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना प्रदान नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा ।

**5. अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता** – इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी व्यक्ति से आवेदन पर केवल उसके पूर्ववत के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् ही विचार किया जाएगा ।

**6. वे व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं हैं** – (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह, –

(क) किसी कंपनी के संप्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबंध के संबंध में किसी अपराध के लिए (उसके द्वारा कंपनी के संबंध में किया गया कोई कपट या अपकरण) सिद्धदोष किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसके लिए विहित दंड दो वर्ष से अन्यून का कारावास है ; या

(ग) किसी ऐसे संगठन या संगम से सम्पर्क रखता है जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए

खतरा है यह ऐसे व्यक्ति के बारे में यह जानकारी है कि वह उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ; या

(घ) अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए, किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि, वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिसका स्वत्वधारी या बहुमत शेयर धारक, भागीदार या निदेशक ऐसा है जो भारत का नागरिक नहीं है ।

**7. अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन** – (1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) आवेदक धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में ब्यौरे समाविष्ट करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और धारा 11 के अधीन और पुलिस में रजिस्ट्रीकृत या न्यायालय में लंबित मामलों की, जिनमें आवेदक लिप्त है, शर्तों को पूरा करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ –

(क) यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण किसी राज्य के एक जिले में कार्य कर रहा है तो पांच हजार रुपए की फीस होगी ;

(ख) यदि अभिकरण किसी राज्य के एक से अधिक किंतु पांच जिलों तक में कार्य कर रहा है तो दस हजार रुपए की फीस होगी ; और

(ग) यदि वह संपूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है तो पच्चीस हजार रुपए की फीस होगी ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, और संबद्ध पुलिस प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, आवेदन की पूर्ण विशिष्टियों और विहित फीस के साथ प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश तभी किया जाएगा जब –

(क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ; और

(ख) वे आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति से इनकार किया जाता है, आदेश में वर्णित किए गए हों ।

(5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति –

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जब तक कि उसे धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रद्द नहीं कर दिया जाता ;

(ख) पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, समय-समय पर पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी ; और

(ग) ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगी, जो विहित की जाएं ।

**8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण** – (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम पैंतालीस दिन पूर्व ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस और इस अधिनियम की धारा 6, धारा 7 तथा धारा 11 के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी होंगे ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर आदेश पारित करेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु इनकार करने का कोई आदेश, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

**9. प्रचालन प्रारंभ करने और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की शर्तें** – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के छह मास के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा ।

(2) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपने प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण और कुशलताएं, जो विहित किए जाएं, देना सुनिश्चित करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारबार करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसी संख्या में, जो विहित की जाए, पर्यवेक्षकों को नियोजित करेगा ।

(4) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा जब वह धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो ।

(5) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के किसी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते समय उस व्यक्ति को, जिसके पास सेना, नौसेना, वायु सेना, संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या राज्य पुलिस,

जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस और होम गार्ड भी हैं, तीन वर्ष से अन्यून की अवधि की सेवा का अनुभव हो, अधिमानता देगा ।

**10. प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बनने के लिए पात्रता** – (1) कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को तभी नियोजित करेगा या रखेगा, जब –

(क) वह भारत का नागरिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ;

(ग) उसने अभिकरण का अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समाधान कर दिया हो ;

(घ) उसने विहित सुरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न किया हो ;

(ङ) वह ऐसे शारीरिक मानदंडों को पूरा करता हो जो विहित किए जाएं ; और

(च) वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता हो ।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसे संघ के किसी सशस्त्र बल, किसी राज्य पुलिस संगठन, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण में, सेवा करते समय अवचार या नैतिक अधमता के आधारों पर सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या लगाया नहीं जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, किसी व्यक्ति को प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित करते समय, ऐसे व्यक्ति को

अधिमानता दे सकेगा, जिसने निम्नलिखित में किसी एक या अधिक में उसके सदस्य के रूप में सेवा की है :–

(i) सेना ;

(ii) नौसेना ;

(iii) वायु सेना ;

(iv) संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल ;

(v) पुलिस, जिसके अंतर्गत राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी है ; और

(vi) होमगार्ड ।

**11. अनुज्ञप्ति की शर्तें** – (1) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित करने के लिए नियम विरचित कर सकेगी जिन पर इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और ऐसी शर्तों में अपेक्षाएं, जो उस प्रशिक्षण के विषय में जिसे अनुज्ञप्तिधारी को लेना है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों, जिनसे अभिकरण बना है, का ब्यौरा नियंत्रक प्राधिकारी को समय-समय पर उनके पते में किसी परिवर्तन, प्रबंध में परिवर्तन के संबंध में और उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त, यथास्थिति, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में उनके विरुद्ध ऐसे किसी दांडिक आरोप के संबंध में दी जाने वाली सूचना की बाध्यता भी है ।

(2) राज्य सरकार धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में सत्यापन करने और ऐसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण की जिसने अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो, अनुज्ञप्ति को जारी रखने का या अन्यथा के पुनर्विलोकन करने का नियमों में उपबंध कर सकेगी ।

**12. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शित किया जाना** – प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अपनी अनुज्ञप्ति या उसकी प्रति अपने कारबार के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

**13. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण और निलंबन** – (1) नियंत्रक प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर रद्द कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) कि अनुज्ञप्ति तात्विक तथ्यों के व्यपदेशन पर या उनको छुपाकर अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) कि अनुज्ञप्तिधारी ने मिथ्या दस्तावेजों या फोटोग्राफों का उपयोग किया है ;

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अतिक्रमण किया है ;

(घ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी औद्योगिक या कारबार उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के यहां प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई जानकारी का दुरुपयोग किया है ;

(ङ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने, किसी शीर्षनामा विज्ञापन या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करके या किसी अन्य रीति से यह व्यपदेशन किया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण सरकार का एक अभिकरण है या ऐसा अभिकरण उस नाम से भिन्न किसी नाम का उपयोग कर रहा है जिस नाम से उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ;

(च) कि अनुज्ञप्तिधारी लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण कर रहा है या किसी व्यक्ति को उस रूप में प्रतिरूपण करने के लिए दे रहा है या सहायता कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है ;

(छ) कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करने में या पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहा था ;

(ज) कि अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को करार की गई सेवाएं प्रदान करने में जानबूझकर असफल रहा है या उसने सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया है ;

(झ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कार्य किया है जो किसी न्यायालय के आदेश या किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेश के अतिक्रमण में है या वह ऐसे किसी आदेश का अतिक्रमण करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है या सहायता दे रहा है ;

(ञ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची में दिए गए अधिनियमों के उपबंधों का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपांतरित किए जा सकेंगे, अतिक्रमण किया है ;

(ट) कि इस बात के अनेक उदाहरण रहे हैं जब प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड :–

(i) प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है या रहे हैं या ऐसी सुरक्षा प्रदान न करने में घोर उपेक्षा के दोषी थे ;

(ii) उन्होंने न्यास भंग किया है या उस संपत्ति या उसके किसी भाग का दुर्विनियोग किया है जिसकी संरक्षा करने की उनसे प्रत्याशा की गई थी ;

(iii) आदतन नशे में या अनुशासनहीन पाए गए थे ;

(iv) अपराध करने में लिप्त पाए गए थे ; या

(v) उन्होंने उनके प्रभार में रखे गए व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध की मौनानुमति दी थी या उन्होंने उसके लिए दुष्प्रेरित किया था ;

(ठ) कि अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ है या पुलिस को या अन्य प्राधिकारी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान न की या उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(2) जहां नियंत्रक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त उपधारा (1) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के प्रश्न के लंबित

रहते हुए ऐसा करना आवश्यक है कि नियंत्रक प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति के प्रचालन को तीस दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि अनुज्ञप्ति का निलंबन, रद्दकरण का प्रश्न अवधारित किए जाने तक क्यों न विस्तारित कर दिया जाए ।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन या रद्दकरण के कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति प्रभावित व्यक्ति को संसूचित की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

**14. अपील** – (1) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नवीकरण करने से इनकार करने के नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश या उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के गृह सचिव को ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी राज्य सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति होगी ।

(3) राज्य सरकार, अपील का निपटारा करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

**15. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा रजिस्टर का रखा जाना** – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण एक रजिस्टर रखेगा जिसमें –

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का प्रबंध कर रहे हैं ;

(ख) उसके नियंत्रणाधीन प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के नाम, पते, फोटोग्राफ और वेतन होंगे ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम और पते होंगे जिनको उसने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या सेवाएं उपलब्ध कराई हैं ; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, पर्यवेक्षक या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे ।

**16. अनुज्ञप्ति आदि का निरीक्षण** – नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसके कारबार के स्थान, अभिलेखों, लेखाओं और अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा किसी दस्तावेज की प्रति ले सकेगा ।

**17. फोटो पहचान पत्र का जारी किया जाना** – (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को, उस प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा, जिसने उस गार्ड को नियोजित या नियुक्त किया है, फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फोटो पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, जारी किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक अपने साथ उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया फोटो पहचान पत्र रखेगा और नियंत्रक प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा ।

**18. अप्राधिकृत व्यक्ति को जानकारी का प्रकटन** – (1) कोई व्यक्ति जिसे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित किया जाए या नियुक्त किया गया है या रखा गया है, नियोजक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, या ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्ति को जिसे नियोजक निदेश दे, उस कार्य के संबंध में ऐसे नियोजन के दौरान उसके द्वारा अर्जित कोई जानकारी जो ऐसे नियोजक द्वारा समनुदेशित किया गया हो, सिवाय ऐसे प्रकटीकरण के जो इस अधिनियम के अधीन या पुलिस द्वारा किसी जांच या अन्वेषण के संबंध में या किसी प्राधिकारी द्वारा या विधि की प्रक्रिया में अपेक्षित हो, प्रकट नहीं करेगा ।

(2) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के समस्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पुलिस को या ऐसे प्राधिकारी को उस अभिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्वेषण की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता देंगे ।

(3) यदि किसी विधि का अतिक्रमण किसी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जानकारी में आता है तो वह उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी में लाएगा, जो नियोजक या अभिकरण के माध्यम से या स्वयं पुलिस को जानकारी देगा ।

**19. प्रत्यायोजन** – राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि (धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) ऐसी किसी शक्ति या कृत्य का, जिसका इस अधिनियम के अधीन, –

(क) उसके द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा, या

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा,

ऐसे विषय के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग या पालन किया जा सकेगा ।

**20. कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड** – (1) कोई व्यक्ति

जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण जो अधिनियम की धारा 9, धारा 10 और धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के अतिरिक्त, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**21. कतिपय वर्दियों के अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति** – यदि कोई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक, सेना, वायुसेना, नौसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या पुलिस की वर्दी पहनेगा या ऐसी पोशाक पहनेगा जो उस वर्दी के समान हो या उस पर उस वर्दी के सुभिन्न चिह्न लगे हुए हों, तो वह और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का स्वत्वधारी, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

**22. कंपनियों द्वारा अपराध** – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है

या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

**23. संरक्षण** – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नियंत्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

**24. राज्यों द्वारा अंगीकार के लिए आदर्श नियमों की विरचना** – केन्द्रीय सरकार, ऐसे सभी या किसी विषय, जिसके संबंध में राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकेगी, के संबंध में आदर्श नियम विरचित कर सकेगी और जहां ऐसे आदर्श नियम राज्य सरकार द्वारा विरचित किए जा चुके हैं वहां धारा 25 के अधीन उस विषय के संबंध में कोई नियम बनाते समय, यथासाध्य, ऐसे आदर्श नियमों के अनुरूप बनाएगी ।

**25. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया ; धारा 10 की उपधारा (1)

के खंड (घ) के अधीन प्रशिक्षण का प्रकार ; धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन शारीरिक मानदंड और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अन्य शर्तें ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन नियोजित किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की संख्या ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(च) अपील करने के लिए धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप ;

(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में रखी जाने वाली विशिष्टियां ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा ;

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया प्रत्येक नियम, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां विधान सभा विद्यमान है वहां उस विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

## अनुसूची

**[धारा 13(1)(ञ) देखिए]**

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) ।

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) ।

(4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) ।

(5) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) ।

(6) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) ।

(7) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) ।

(8) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) ।

(9) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) ।

———————

## विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

| क्रम सं. | पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण) | पृष्ठ सं. | पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में) | विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996 | 273 | 115 | 29.00 |
| 2. | भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000 | 209 | 225 | 57.00 |
| 3. | विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004 | 501 | 580 | 145.00 |
| 4. | निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019 | 190 | 175 | – |
| 5. | भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र | 340 | 325 | – |
| 6. | भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी | 906 | 750 | – |

### अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

| | | |
|---|---|---|
| 1. विधि शब्दावली | सातवां संस्करण, 2015 | कीमत रु. 375/- |
| 2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2) | नवीनतम संस्करण, 2019 | कीमत रु. 1,900/- |
| 3. भारत का संविधान | 2021 | कीमत रु. 300/- |


# विधि साहित्य प्रकाशन

**(विधायी विभाग)**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**भारतीय विधि संस्थान भवन,**

**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**Website : www.lawmin.nic.in**

**Email : am.vsp-molj@gov.in**

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

# सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

**विधि साहित्य प्रकाशन**

**(विधायी विभाग)**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**भारतीय विधि संस्थान भवन,**

**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105**

**विक्रेता :** सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in